रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 2013/अग्रहायण 19, 1935
No. 321] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 2013/AGRAHAYANA 19, 1935

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 3 दिसंबर, 2013

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./विनियम/25/83/2013.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धाराओं 42डी, 42ई और 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 कहलाएँगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे तथा ऐसी तारीख से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 का अधिक्रमण करेंगे।

2. **परिभाषाएँ –** (1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

क. 'अधिनियम' से समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

ख. 'सलाहकार समिति' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 25 के अधीन गठित सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

ग. 'आवेदक' से बीमा दलाल के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदक अभिप्रेत है जैसा कि इन विनियमों में उल्लिखित है;

घ. 'प्राधिकरण' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

ङ. 'संमिश्र दलाल' से वह बीमा दलाल अभिप्रेत है जिसे इस प्रकार कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा फिलहाल लाइसेंस प्रदत्त है तथा जो पारिश्रमिक के लिए बीमा कंपनियों के पास अपने ग्राहकों के लिए बीमा की और/या अपने ग्राहक/ग्राहकों के लिए पुनर्बीमा की व्यवस्था करता है;

च. 'प्रत्यक्ष दलाल' से वह बीमा दलाल अभिप्रेत है जिसे इस प्रकार कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा फिलहाल लाइसेंस प्रदत्त है तथा जो पारिश्रमिक के लिए अपने ग्राहकों की ओर से जीवन बीमा अथवा साधारण बीमा अथवा दोनों के क्षेत्र में विनियम 4 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में कार्य करता है;

छ. इन विनियमों के प्रयोजन के लिए 'दूरस्थ विपणन' से बीमा उत्पादों अथवा सेवाओं की अपेक्षा अथवा बिक्री की वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जहाँ अपेक्षा अथवा बिक्री अथवा बिक्री के निर्णय के स्थान पर उपभोक्ता स्वयं उपस्थित नहीं है, तथा प्रक्रिया टेलीफोन और/या संक्षिप्त संदेश सेवाओं (एसएमएस) और/या ई-मेल और/या इंटरनेट और/या वेब सेवाओं के माध्यम से पूरी की जाती है;

ज. 'जाँच अधिकारी' से प्राधिकरण का कोई अधिकारी, अथवा बीमा व्यवसाय में अनुभवप्राप्त कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी बीमा दलाल के विरुद्ध जाँच करने के लिए विनियम 44 के अधीन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त है;

झ. 'फार्म' से इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फार्म अभिप्रेत हैं;

ञ. 'निरीक्षण प्राधिकारी' से विनियम 39 में बताये गये कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा नियुक्त उसके एक अथवा अधिक अधिकारी अभिप्रेत हैं;

ट. 'बीमा दलाल' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विनियम 15 के अधीन प्राधिकरण द्वारा फिलहाल लाइसेंस प्रदत्त है तथा जो पारिश्रमिक के लिए अपने ग्राहकों की ओर से बीमा कंपनियों के साथ बीमा संविदाओं की व्यवस्था करता है ।

<u>स्पष्टीकरण</u> *: 'बीमा दलाल' शब्द इन विनियमों में जहाँ भी प्रयुक्त है, वहाँ उसका अर्थ प्रत्यक्ष दलाल, पुनर्बीमा दलाल अथवा संमिश्र दलाल, जैसी स्थिति हो, के रूप में माना जाएगा जब तक कि स्पष्ट रूप से इसके विपरीत नहीं बताया गया हो;*

ठ. 'व्यक्ति' से अभिप्रेत है-

(क) समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन बनाई गई कंपनी; अथवा

(ख) सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1912 अथवा सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए किसी भी कानून के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समिति; अथवा

(ग) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन बनाई गई सीमित देयता वाली भागीदारी जिसमें कोई भी भागीदार विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) फेमा की धारा 2 के खंड (डब्ल्यू) में परिभाषित रूप में भारत के बाहर स्थित अनिवासी संस्था/व्यक्ति न हो, तथा उसके अधीन पंजीकृत विदेशी सीमित देयता वाली भागीदारी न हो; अथवा

(घ) बीमा दलाल के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य व्यक्ति;

ड. 'प्रधान अधिकारी' से अभिप्रेत है.—(i) निदेशक, जो निगमित निकाय के मामले में बीमा दलाल के कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार है; अथवा

(ii) केवल बीमा दलाल के कार्य करने के लिए नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

ढ. 'विनियम' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 अभिप्रेत हैं;

ण. 'पुनर्बीमा दलाल' से वह बीमा दलाल अभिप्रेत है, जो पारिश्रमिक के लिए बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों के साथ प्रत्यक्ष बीमा कंपनियों के लिए पुनर्बीमा की व्यवस्था करता है।

त. 'अपेक्षा'—(सॅलिसिटेशन) इन विनियमों के प्रयोजन हेतु बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए ग्राहक को मनवाने के उद्देश्य से बीमाकर्ता अथवा मध्यवर्ती द्वारा ग्राहक के साथ संपर्क के रूप में परिभाषित है;

थ. 'टेली कॉलर' – इन विनियमों के प्रयोजन के लिए दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के साथ बातचीत करने के प्रयोजन हेतु दूरविपणनकर्ता (टेली-मार्केटर) द्वारा नियुक्त व्यक्ति है।

द. 'दूरविपणनकर्ता' (टेली-मार्केटर) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान विनियम, 2010 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अध्याय III के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत संस्था है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), अथवा जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) अथवा साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57), अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों, जैसी स्थिति हो, में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

3. बीमा दलालों की श्रेणियाँ – बीमा दलाल के लाइसेंस के लिए आवेदन निम्नलिखित किसी एक अथवा उससे अधिक श्रेणियों के लिए किया जाएगा, अर्थात् :

(i) प्रत्यक्ष दलाल (जीवन)
(ii) प्रत्यक्ष दलाल (साधारण)
(iii) प्रत्यक्ष दलाल (जीवन और साधारण)
(iv) पुनर्बीमा दलाल
(v) संमिश्र दलाल

4. बीमा दलाल के कार्य :

प्रत्यक्ष दलाल, पुनर्बीमा दलाल और संमिश्र दलाल के कार्य इन विनियमों की अनुसूची I में दर्शायी गई हैं।

5. लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन का प्रस्तुतीकरण–

(i) बीमा दलाल के रूप में लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन प्राधिकरण को इन विनियमों की अनुसूची IX-फार्म ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में आवेदन फार्म में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन उपर्युक्त विनियम 3 के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन इन विनियमों के अनुबंध I में विनिर्दिष्ट किये अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(iv) लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन इन विनियमों की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट रूप में अपेक्षित शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6. आवेदन अपेक्षाओं के अनुरूप हो.—(1) ऐसा कोई भी आवेदन, जो सभी प्रकार से पूर्ण न हो तथा फार्म ए और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुरूप न हो एवं प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य कर दी गई अपेक्षाओं और/या निदेशों का पालन नहीं करता हो, अस्वीकृत किया जाएगा ।

बशर्ते कि, ऐसे किसी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले आवेदक को सभीप्रकार से आवेदन को भरने और त्रुटियों, यदि कोई हों, को सुधारने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा ।

(2) यदि कोई आवेदक प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर प्राधिकरण के अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(3) प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसे आवेदन पर विचार करेगा और उसकी प्राप्ति से पैंतालीस दिन के अंदर लिखित में आवेदक को उसपर अपने निर्णय की सूचना देगा।

(4) यदि प्राधिकरण का अध्यक्ष उपर्युक्त उप-विनियम (2) के अधीन किये गये आवेदन पर पुनर्विचार करने के बाद आवेदन को अस्वीकार करता है, तो आवेदक लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक नया आवेदन ऐसी अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के बाद ही कर सकता है। प्राधिकरण ऐसे नये आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।

7. सूचना का प्रस्तुतीकरण, स्पष्टीकरण और वैयक्तिक निरूपण.—(1) प्राधिकरण आवेदक से आवेदन के निपटान के प्रयोजन से तथा उसके बाद प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जानेवाले किसी भी विषय के संबंध में कोई भी अतिरिक्त सूचना *और/*या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है *और/या कुछ अपेक्षा/ओं का पालन करने के लिए आवेदक को निदेश दे सकता है।*

(2) प्राधिकरण आवेदक को प्राधिकरण द्वारा मांगी गई अपेक्षाएँ/स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना आदि प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करने का अवसर देगा ताकि प्राधिकरण आवेदन पर कार्रवाई कर सके।

(3) यदि अपेक्षित हो तो आवेदक अपने प्रधान अधिकारी के साथ आवेदन के संबंध में वैयक्तिक निरूपण के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होगा ।

(4) प्राधिकरण इस प्रकार उसे प्रस्तुत किये गये आवेदन के संबंध में कार्रवाई/निपटान के लिए आवश्यक होनेवाली कोई भी सूचना/आंकड़े/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निदेश दे सकता है।

(5) आवेदक ऐसी अतिरिक्त सूचना और/या स्पष्टीकरण स्वयं ही अविलंब प्राधिकरण की जानकारी में लाएगा, जो विनियम 8 के अनुसार उनके आवेदन पर विचार किये जाने से संबंधित हो।

8. आवेदन पर विचार – (1) लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय प्राधिकरण बीमा दलाल द्वारा कार्य संचालित करने से संबंधित सभी विषयों को ध्यान में रखेगा ।

(2) उपर्युक्त (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण विशेष रूप से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात् :-

i. क्या आवेदक अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनर्हताओं में से किसी भी अनर्हता से ग्रस्त तो नहीं है;
ii. क्या आवेदक के पास आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ हैं, जैसे, पर्याप्त कार्यालय परिसर, उपकरण और प्रशिक्षित श्रमशक्ति ताकि वह अपने कार्यकलाप प्रभावी ढंग से संपन्न कर सके;
iii. क्या आवेदक के पास उसकी सेवा में कम से कम ऐसे दो व्यक्ति हैं जो अनुसूची II में विनिर्दिष्ट आवश्यक योग्यताएँ और बीमा दलाल का कारोबार संचालित करने के लिए अनुभव रखते हैं और यदि आवेदक के कुछ शाखा कार्यालय हैं तो प्रत्येक शाखा कार्यालय में एक व्यक्ति है जो इन विनियमों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट आवश्यक योग्यताएँ और बीमा दलाल का कारोबार संचालित करने के लिए अनुभव रखता है।

टिप्पणी : यदि बीमा दलाल जीवन और साधारण बीमा कारोबार संचालित करना चाहता है, तो प्रत्येक के विषय में जीवन और साधारण बीमे का संबंधित अनुभव तथा इन विनियमों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट आवश्यक अर्हताएँ रखनेवाला कम से कम एक व्यक्ति कंपनी में उपस्थित होना चाहिए। किसी भी शाखा से अर्हता-प्राप्त व्यक्ति के प्रस्थान की स्थिति में उक्त प्रभार तदर्थ आधार पर किसी अन्य अर्हता-प्राप्त व्यक्ति को दिया जा सकता है तथा बीमा दलाल यथासंभव शीघ्रतम समय में उपयुक्त रूप से अर्हता-प्राप्त व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। तथापि, ऐसी व्यवस्था की सूचना प्राधिकरण को देना आवश्यक होगा। यदि बीमा दलाल अपने नियंत्रणाधीन किसी भी शाखा कार्यालय में इस शर्त का पालन नहीं करते, तो वे उस शाखा में कोई कारोबार तब तक नहीं करेंगे जब तक इन विनियमों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट रूप में आवश्यक अर्हताओं से युक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाता।

iv. क्या आवेदक के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किसी व्यक्ति को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में लाइसेंस प्रदान करने से इनकार किया गया है।

<u>स्पष्टीकरण</u> : - इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध" से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति के मामले में रिश्तेदार तथा किसी फर्म अथवा कंपनी अथवा निगमित निकाय के मामले में आवेदक का कोई सहयोगी, सहायक, परस्पर संबद्ध उपक्रम अथवा समूह कंपनी । इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शब्दों के अर्थ वही होंगे जो समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अथवा प्रतियोगिता अधिनियम, 2002, *जैसी स्थिति हो, में उनके लिए माने गये हैं ।*

v. क्या आवेदक विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट पूँजीगत अपेक्षाएँ; विनियम 11 में यथाविनिर्दिष्ट निवल मालियत (नेट वर्थ) संबंधी मानदंड तथा विनियम 12 में यथाविनिर्दिष्ट जमा संबंधी अपेक्षाएँ पूरी करता है।

vi. क्या आवेदक का प्रधान अधिकारी इन विनियमों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट रूप में आवश्यक अर्हता रखता है। (इन विनियमों के अनुबंध II-ए के अंतर्गत अपेक्षित सूचना आवेदक के प्रधान अधिकारी के अतिरिक्त निदेशक(निदेशकों)/शेयरधारक(शेयरधारकों)/प्रवर्तक(प्रवर्तकों)/ साझेदार(साझेदारों)/मुख्य प्रबंध कार्मिकों द्वारा भी प्रस्तुत की जाएगी)।

vii. क्या प्राधिकरण की राय में आवेदक का प्रधान अधिकारी अधिमानतः बीमा क्षेत्र में उसके अनुभव को देखते हुए इस प्रकार नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त है।

viii. क्या प्रधान अधिकारी/निदेशक/प्रवर्तक/शेयरधारक/साझेदार/मुख्य प्रबंध कार्मिक इन विनियमों के अनुबंध II-बी में विवरण के आधार पर योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) हैं।

ix क्या प्रधान अधिकारी/निदेशक/प्रवर्तक/शेयरधारक/साझेदार प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।

x क्या बीमा दलाल के प्रधान अधिकारी और/या किसी अन्य अधिकारी ने इन विनियमों की अनुसूची VI-ए और अनुसूची VI-बी, जैसा लागू हो, में विनिर्दिष्ट रूप में आचरण-संहिता का उल्लंघन किया है;

xi. क्या आवेदक अपने मुख्य उद्देश्य खंड के अलावा किसी अन्य कारोबार में तो लिप्त नहीं है;

xii. प्राधिकरण का अभिमत है कि लाइसेंस प्रदान करना पॉलिसीधारकों के हित में होगा;

xiii. क्या आवेदक के प्रवर्तक/शेयरधारक/साझेदार आवेदक संस्था में निवेश करने के लिए सुदृढ़ वित्तीय स्थिति रखते हैं।

xiv. बीमा दलाल की ओर से बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने और प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी किसी कर्मचारी को भी इन विनियमों की अनुसूची-II में उल्लिखित अपेक्षाएँ पूरी करनी होंगी तथा ऐसे कर्मचारियों की एक सूची प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

9. पूँजीगत अपेक्षाएँ

(1) इन विनियमों के अंतर्गत बीमा दलाल बनने की अपेक्षा करनेवाले किसी भी आवेदक के लिए नीचे उल्लिखित रूप में न्यूनतम चुकता पूँजी/अंशदान रखना होगा :

श्रेणी	न्यूनतम पूँजी/अंशदान (रुपये)
प्रत्यक्ष दलाल	पचास लाख
पुनर्बीमा दलाल	दो सौ लाख
संमिश्र दलाल	दो सौ पचास लाख

(2) शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के मामले में पूँजी ईक्विटी शेयरों के रूप में होगी तथा सहकारी समिति के मामले में पूँजी ईक्विटी शेयरों के रूप में होगी;

(3) एलएलपी के मामले में साझेदारों का अंशदान केवल नकदी में होगा;

(4) आवेदक इन विनियमों के अंतर्गत लाइसेंसीकृत रूप में केवल बीमा दलाल का कारोबार ही संचालित करेगा।

(5) विदेशी कंपनी द्वारा स्वयं अथवा उसकी सहायक कंपनियों अथवा उसके नामितियों के माध्यम से धारित कुल राशि किसी भी समय ऐसे आवेदक की चुकता ईक्विटी पूँजी के छब्बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का परिकलन उसी तरीके से किया जाएगा जैसा कि समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 में बीमाकर्ता के लिए विनिर्दिष्ट है।

(6) पूँजी के रूप में धारित बीमा दलाल के शेयर ऋण अथवा किसी अन्य सुविधा को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी रूप में गिरवी नहीं रखे जाएँगे तथा हर समय भार-रहित होंगे।

10. स्वामित्व का अंतरण :

1) बीमा दलाल शेयरों अथवा अंशदान, जैसी स्थिति हो, का कोई भी अंतरण प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना पंजीकृत नहीं करेगा जहाँ अंतरण के बाद अंतरिती की कुल चुकता ईक्विटी धारिता अथवा अंशदान उनकी चुकता पूँजी अथवा अंशदान के पाँच प्रतिशत से अधिक होने की संभावना हो।

2) इसी प्रकार, जहाँ किसी व्यक्ति, फर्म, समूह, एक ही प्रबंधन के अंतर्गत समूह अथवा कंपनी निकाय के घटकों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा पृथक् रूप से अंतरण किये जाने के लिए अभीष्ट शेयरों का अभिहित मूल्य चुकता पूँजी अथवा अंशदान के पाँच प्रतिशत से अधिक है वहाँ प्राधिकरण का पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

3) शेयरों अथवा अंशदान का हितकारी स्वामित्व और नियंत्रण सर्वथा और संपूर्ण रूप से प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संस्था/व्यक्ति के पास होगा।

4) शेयरधारिता के अंतरण के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन माँगने के लिए अपेक्षित दस्तावेज इन विनियमों के अनुबंध-VII में निर्दिष्ट हैं।

11. निवल मालियत (नेट वर्थ) की न्यूनतम राशि का अनुरक्षण

(1) बीमा दलाल की निवल मालियत लाइसेंस की अवधि के दौरान किसी भी समय विनियम 9 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम पूँजी अथवा अंशदान के 100 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) का पालन न होने की स्थिति में बीमा दलाल विनियम 9 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम पूँजी अथवा अंशदान के 100 प्रतिशत तक निवल मालियत को पुनः बहाल करने के लिए अपने द्वारा उठाये गये कदमों के संबंध में प्राधिकरण को सूचित करेगा।

टिप्पणी :

बीमा दलाल से अपेक्षित है कि वह निर्धारित फार्म में प्रत्येक छमाही में सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा विधिवत् प्रमाणित एक निवल मालियत प्रमाणपत्र प्राधिकरण को प्रस्तुत करे।

12. जमा संबंधी अपेक्षाएँ –

(1) प्रत्येक बीमा दलाल अपना व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले किसी भी अनुसूचित बैंक के पास मीयादी जमाराशि के रूप में न्यूनतम पूँजी/अंशदान (उपर्युक्त विनियम 9(1) में यथापरिभाषित) के 20 प्रतिशत की समतुल्य राशि जमा करेगा और इतनी जमाराशि को बनाये रखेगा जो प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उन्हें अदा नहीं की जाएगी। बशर्ते कि प्राधिकरण विनियम 2(1)(ठ)(घ) द्वारा सम्मिलित व्यक्ति के लिए, किसी भी स्थिति में एक सौ लाख रुपये से अनधिक जमाराशि की एक अलग सीमा लागू कर सकता है।

(2) प्राधिकरण के पास इस जमाराशि का ग्रहणाधिकार (लियन) होगा ।

(3) ऐसी जमाराशि बीमा दलाल द्वारा कोई ऋण अथवा ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए गिरवी नहीं रखी जाएगी।

(4) जब भी माँगा जाएगा तब प्रत्येक बीमा दलाल प्राधिकरण को उस अनुसूचित बैंक से प्राप्त भार-रहितता विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसी मीयादी जमाराशि रखी गई है।

13. व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमे की अपेक्षा –

(1) प्रत्येक बीमाकर्ता इन विनियमों की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट रूप में एक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा रक्षा प्राप्त करेगा तथा उसे प्राधिकरण द्वारा उन्हें प्रदत्त लाइसेंस की वैधता की सारी अवधि के दौरान हर समय चालू रखेगा।

बशर्ते कि प्राधिकरण उपयुक्त मामलों में नये लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल को इस बात की अनुमति देगा कि वह लाइसेंस जारी करने की तारीख से बारह महीने के अंदर ऐसी गारंटी प्रस्तुत करे।

14. शुल्क का भुगतान और शुल्क अदा न करने के परिणाम.—(1) लाइसेंस प्रदान करने और लाइसेंस के नवीकरण के लिए पात्र प्रत्येक आवेदक ऐसा शुल्क ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के अंदर अदा करेगा जैसा कि इन विनियमों की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(2) जहाँ बीमा दलाल उप-विनियम (1) के अंतर्गत देय वार्षिक शुल्क अदा नहीं करता, वहाँ प्राधिकरण लाइसेंस निलंबित कर सकता है, जिसके बाद बीमा दलाल उस अवधि के लिए कारोबार करना बंद करेगा जिस अवधि के दौरान ऐसा निलंबन जारी रहेगा।

15. लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया – (1) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक लाइसेंस प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी करता है, इन विनियमों की अनुसूची IX-फार्म बी में निर्धारित रूप में लाइसेंस प्रदान करेगा तथा इसकी सूचना आवेदक को उस श्रेणी का उल्लेख करते हुए प्रेषित करेगा जिसके लिए प्राधिकरण ने लाइसेंस प्रदान किया है । लाइसेंस समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में शर्तों और आचरण-संहिता का पालन बीमा दलाल द्वारा किये जाने के अधीन जारी किया जाएगा ।

(2) एक विनिर्दिष्ट श्रेणी के लिए इन विनियमों के अंतर्गत लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल इन विनियमों की अपेक्षाएँ पूरी करते हुए किसी अन्य श्रेणी हेतु प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिए भी आवेदन कर सकता है। तथापि, इस प्रकार का आवेदन पहले लाइसेंस प्रदान किये जाने से एक वर्ष पूरा होने के बाद ही किया जाएगा।

(3) यदि इन विनियमों के विनियम 5 के अंतर्गत जारी किया गया अथवा इन विनियमों की अधिसूचना से पहले प्रचलित किन्हीं अन्य विनियमों के अंतर्गत जारी किया गया लाइसेंस निरस्त/अभ्यर्पित किया जाता है अथवा नवीकरण प्राधिकरण द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट किये गये कारणों से अस्वीकृत किया जाता है, तो आवेदक लाइसेंस प्रदान करने के लिए लाइसेंस के इस प्रकार के निरसन/अभ्यर्पण अथवा नवीकरण के अस्वीकरण की प्रभावी तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ही प्राधिकरण के विचारार्थ नये सिरे से आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।

16. लाइसेंस की वैधता.—(1) एक बार जारी किया गया लाइसेंस उसके निर्गम की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जब तक उसे इन विनियमों के अनुसरण में लंबित अथवा निरस्त नहीं किया जाता ।

(2) किसी भी बीमा दलाल को वैध और प्रचलित लाइसेंस के बिना कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

17. आवेदन का अस्वीकरण.—(1) जहाँ विनियम 5 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन विनियम 8 में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता, वहाँ प्राधिकरण लाइसेंस प्रदान करने से इनकार कर सकता है।

बशर्ते कि कोई भी आवेदन आवेदक को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(2) लाइसेंस प्रदान करने से अस्वीकरण की सूचना प्राधिकरण द्वारा ऐसे अस्वीकरण से तीस दिन के अंदर आवेदक को उसमें वे कारण बताते हुए दी जाएगी जिनके आधार पर आवेदन को अस्वीकार किया गया है।

(3) प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी आवेदक ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर प्राधिकरण के अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(4) प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसे आवेदन पर विचार करेगा तथा उसपर अपने निर्णय की सूचना उसकी प्राप्ति से पैंतालीस दिन के अंदर आवेदक को लिखित में देगा।

(5) यदि प्राधिकरण का अध्यक्ष उपर्युक्त उप-विनियम (3) के अंतर्गत किये गये आवेदन पर पुनर्विचार करने के बाद आवेदन को अस्वीकार करता है, तो आवेदक अंतिम अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के बाद ही लाइसेंस प्रदान करने के लिए नया आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।

18. लाइसेंस का नवीकरण – (1) लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन बीमा दलाल द्वारा प्राधिकरण को लाइसेंस की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले इन विनियमों की अनुसूची IX फार्म ए में प्रस्तुत किया जाएगा।

परंतु शर्त यह है कि यदि आवेदन प्राधिकरण को उपर्युक्त उप-विनियम (1) में उल्लिखित अवधि के बाद, लेकिन वर्तमान लाइसेंस की वास्तविक समाप्ति से पहले प्राप्त होता है, तो आवेदक द्वारा प्राधिकरण को केवल एक सौ रुपये का अतिरिक्त शुल्क देय होगा ।

आगे यह भी शर्त है कि यदि आवेदक विलंब के लिए पिछले परंतुक द्वारा आवृत न किये गये कारण लिखित रूप में प्रस्तुत करता है, और यदि प्राधिकरण उन कारणों से संतुष्ट है, तो वह लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के बाद लाइसेंस की समाप्ति से 60 दिन की अवधि तक नवीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन को आवेदक द्वारा केवल सात सौ पचास रुपये का अतिरिक्त शुल्क अदा करने पर स्वीकार कर सकता है ।

आगे यह भी शर्त है कि लाइसेंस की समाप्ति से 60 दिन के बाद नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पर विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 12 महीने व्यतीत होने के बाद ही विचार किया जाएगा। तथापि, इस अंतराल के दौरान बीमा दलाल के लाइसेंस की विद्यमानता समाप्त होगी तथा वे केवल संविदा की समाप्ति तक मौजूदा पॉलिसियों के संबंध में सर्विसिंग को छोड़कर किसी नये व्यवसाय की अपेक्षा नहीं करेंगे।

टिप्पणी : बीमा दलाल को नवीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस की समाप्ति से नब्बे दिन पहले प्रस्तुत करने की अनुमति है।

(2) किसी भी बीमा दलाल को लाइसेंस की समाप्ति के बाद मौजूदा पॉलिसीधारकों के संबंध में सर्विसिंग को छोड़कर कोई नया बीमा कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) बीमा दलाल के बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने के लिए उत्तरदायी प्रधान अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आवश्यक होगा कि वे लाइसेंस के नवीकरण की अपेक्षा करने से पहले प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त कम से कम पच्चीस घंटों का सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लें ।

(4) उप-विनियम (1) के अधीन नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन के संबंध में कार्रवाई उसी तरीके से की जाएगी जैसा कि विनियम 8 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है ।

(5) प्राधिकरण आवेदन पर कार्रवाई करते समय बीमा दलाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण/आंकड़े माँग सकता है।

(6) बीमा दलाल उपर्युक्त उप-विनियम (5) के अंतर्गत अपेक्षित रूप में ऐसी जानकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने से 21 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि यदि आवेदक उपर्युक्त उप-विनियम (5) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट कारणों से अतिरिक्त समय की अपेक्षा करता है, तो ऐसे अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

(7) उपर्युक्त उप-विनियम (6) का पालन न करने पर बीमा दलाल का लाइसेंस तब तक लंबित रखा जा सकता है जब तक उपर्युक्त उप-विनियम (5) के अधीन अपेक्षित सूचना प्राधिकरण द्वारा प्राप्त नहीं की जाती।

(8) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि लाइसेंस के नवीकरण के लिए विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को आवेदक पूरा करता है, लाइसेंस का नवीकरण फार्म सी में तीन वर्ष की अवधि के लिए करेगा तथा आवेदक को इस आशय की सूचना प्रेषित करेगा ।

(9) यदि यह पाया जाता है कि संमिश्र दलाल ने लाइसेंस की प्रत्यक्ष श्रेणी अथवा पुनर्बीमा श्रेणी में विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो प्राधिकरण केवल उसी श्रेणी के लिए लाइसेंस का नवीकरण करने पर विचार कर सकता है जिसमें कोई बड़ा उल्लंघन नहीं पाया गया हो।

(10) यदि पाया जाता है कि दोनों जीवन और साधारण श्रेणियों में लाइसेंसप्राप्त प्रत्यक्ष दलाल ने कारोबार की जीवन अथवा साधारण श्रेणी में विनियमों का उल्लंघन किया है तो प्राधिकरण केवल उसी श्रेणी के लिए लाइसेंस का नवीकरण करने पर विचार कर सकता है जिसमें कोई बड़ा उल्लंघन नहीं पाया गया हो।

(11) यदि दोनों जीवन और साधारण श्रेणियों में लाइसेंसप्राप्त प्रत्यक्ष दलाल जीवन अथवा साधारण श्रेणी में कोई कारोबार नहीं कर रहा है, तो प्राधिकरण केवल उसी श्रेणी के लिए लाइसेंस का नवीकरण करने पर विचार कर सकता है जिसमें दलाल ने व्यवसाय को दर्ज कराया है।

टिप्पणी : बीमा दलालों द्वारा लाइसेंस के नवीकरण के आवेदन के साथ अनुबंध-III-ए, III-बी और III-सी के अनुसार दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

19. प्रक्रिया जहाँ लाइसेंस का नवीकरण प्रदान नहीं किया गया है.—(1) जहाँ विनियम 18 के अधीन लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन विनियम 8 में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करता, वहाँ प्राधिकरण लाइसेंस प्रदान करने से इनकार कर सकता है-

बशर्ते कि जब तक आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

(2) लाइसेंस प्रदान करने से अस्वीकृति की सूचना प्राधिकरण द्वारा आवेदक को उसमें वे कारण जिनके आधार पर आवेदन को अस्वीकृत किया गया है, दर्शाते हुए ऐसी अस्वीकृति से तीस दिन के अंदर दी जाएगी ।

(3) प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी आवेदक ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर प्राधिकरण के अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन कर सकता है ।

(4) प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसे अनुरोध पर विचार करेगा तथा उक्त आवेदन की प्राप्ति से पैंतालीस दिन के अंदर उसपर अपना निर्णय लिखित में आवेदक को सूचित करेगा ।

20. लाइसेंस प्रदान करने से अस्वीकृति का प्रभाव – कोई भी आवेदक, जिसका विनियम 18 के अधीन लाइसेंस का नवीकरण करने के लिए आवेदन प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया गया है, विनियम 19(2) के अधीन सूचना प्राप्त होने की तारीख को और उस तारीख से बीमा दलाल के रूप में कार्य करना समाप्त करेगा । तथापि, वह पहले से अपने द्वारा की गई संविदाओं के संबंध में सेवाएँ प्रदान करने के लिए लगातार बाध्य रहेगा । इस प्रकार की सेवा केवल उन वर्तमान संविदाओं के समाप्त होने की अवधि तक ही जारी रहेगी, जिसका विवरण विनियम 19 के अधीन सूचना प्राप्त होने पर प्राधिकरण को प्रकट किया जाएगा ।

21. लाइसेंस की अनुलिपि (डूप्लिकेट) का निर्गम – (1) लाइसेंस के खो जाने अथवा नष्ट किये जाने अथवा कटे-फटे होने की स्थिति में बीमा दलाल प्राधिकरण को लाइसेंस की अनुलिपि जारी करने का अनुरोध करते हुए एक हजार रुपये के शुल्क के साथ तथा लाइसेंस के निर्गम और उसके खो जाने अथवा नष्ट किये जाने अथवा कटे-फटे होने के संबंध में पूरा विवरण देते हुए एक घोषणा सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) प्राधिकरण इस बात से स्वयं संतुष्ट होने पर कि मूल लाइसेंस खो गया है, नष्ट किया गया है अथवा कटा-फटा है, फार्म आर में लाइसेंस की एक अनुलिपि (डूप्लिकेट) उस पर पृष्ठांकन करते हुए कि यह अनुलिपि है, जारी करेगा ।

22. बीमे की ऑनलाइन बिक्री.—(1) बीमा दलाल बीमाकर्ताओं के वेब पोर्टलों के साथ संबद्ध होने के द्वारा बीमा उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए बीमाकर्ताओं के साथ करार कर सकते हैं।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) के प्रयोजन के लिए बीमा दलाल को इन विनियमों की अनुसूची VIII में निर्धारित क्रियाविधियों का अनुसरण करना होगा।

23. दूरस्थ विपणन (टेली-मार्केटिंग) पद्धति से बीमे की बिक्री.—(1) बीमा दलाल जो विभिन्न बीमा कंपनियों के बीमा उत्पादों के वितरण के प्रयोजन के लिए किसी दूरविपणनकर्ता (टेलीमार्केटर) की सेवाएँ लेना चाहता है, के लिए आवश्यक होगा कि वह दिनांक 05/04/2011 के परिपत्र सं. आईआरडीए/एडीएमएन/जीडीएल/एमआईएससी/059/04/2011 द्वारा जारी किये गये बीमा उत्पादों के दूरस्थ विपणन संबंधी दिशानिर्देशों और/या इस विषय में समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किन्हीं अन्य विनियमों/दिशानिर्देशों/परिपत्रों का पालन करे ।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बीमा दलाल को दूरविपणनकर्ता की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होगा:

(i) बीमा दलाल द्वारा नियुक्त दूरस्थ विक्रेता इस विषय में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों/मार्गदर्शी सिद्धांतों अथवा किसी अन्य निदेश का पालन करेगा;

(ii) बीमा दलाल द्वारा नियुक्त दूरविपणनकर्ता किसी अन्य बीमाकर्ता अथवा बीमा संबंधी संस्था के साथ संबद्ध नहीं होगा;

(iii) यदि बीमा दलाल ट्राई (टीआरएआई) के पास दूरविपणनकर्ता के रूप में पंजीकृत है, तो बीमा दलाल केवल उनकी बीमा दलाल संस्था के प्रयोजन के लिए ही दूरस्थ विपणन करता रहेगा और किसी अन्य संस्था के लिए दूरविपणनकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा;

(iv) दूरविपणनकर्ता/बीमा दलाल द्वारा नियुक्त प्राधिकृत सत्यापकों को इन विनियमों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट रूप में बीमा दलाल के लिए अपेक्षित सांविधिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी;

(v) दूरविपणनकर्ता को नियुक्त करनेवाला बीमा दलाल दूरविपणनकर्ता के साथ एक करार करेगा, जिसकी एक प्रतिलिपि इन विनियमों के अनुबंध-IV-ए और अनुबंध-IV-बी के अनुसार निर्धारित फार्मेट में वचनपत्रों के साथ प्राधिकरण के पास दाखिल की जाएगी। ऐसे वचनपत्रों की प्रतिलिपियाँ प्राधिकरण तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा भी निरीक्षण के लिए बीमा दलाल के कब्जे में होंगी;

(vi) प्राधिकरण के पास दूरविपणनकर्ता के परिसर अथवा किसी अन्य परिसर, जो प्राधिकरण अभिलेखों/प्रलेखों के सत्यापन के लिए आवश्यक समझता है, का निरीक्षण करने तथा दूरविपणनकर्ता के किसी भी कर्मचारी के किसी प्रलेख/अभिलेख, अभिलेख विवरण की अपेक्षा करने अथवा अपने विवेकानुसार किसी भी प्रलेख/अभिलेख की प्रतियाँ लेने का अधिकार होगा;

(vii) दूरविपणनकर्ता को इस विषय में समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानेवाली किन्हीं अन्य शर्तों का पालन करना होगा।

24. वैध लाइसेंस के बिना बीमा दलाल के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई—

(1) ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, जो इन विनियमों के अधीन जारी किये गये वैध लाइसेंस को धारण किये बिना बीमा दलाल के रूप में कार्य करता है, कोई आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ करने के बावजूद और उस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम के अधीन दंडात्मक कार्रवाई की अपेक्षा कर सकता है ।

(2) जहाँ उप-विनियम (1) के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति एक कंपनी, फर्म अथवा निगमित निकाय है, वहाँ उक्त कंपनी, फर्म अथवा निगमित निकाय के विरुद्ध प्राधिकरण के द्वारा की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त कंपनी अथवा निगमित निकाय का प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी और फर्म का प्रत्येक भागीदार जो इस प्रकार के उल्लंघन का जान-बूझकर पक्षकार है, भी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाने के लिए जिम्मेदार होगा ।

25. पारिश्रमिक –

(1) जीवन और साधारण बीमे के लिए- किसी भी बीमा दलाल को पारिश्रमिक (रायल्टी अथवा लाइसेंस शुल्क अथवा प्रशासन प्रभार अथवा किसी अन्य रूप में भुगतान सहित) के रूप में प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किये गये तथा समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्रों/विनियमों में विनिर्दिष्ट/अधिसूचित सीमाओं से अधिक कोई राशि अदा नहीं की जाएगी अथवा अदा करने के लिए कोई संविदा नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण : *बीमे के संबंध में कोई दलाली अदा नहीं की जा सकती जहाँ एजेंसी कमीशन देय हो और इसी प्रकार जहाँ दलाली देय हो वहाँ बीमे के संबंध में किसी एजेंसी कमीशन का भुगतान नहीं किया जा सकता ।*

(2) पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए-

(i) समय-समय पर प्रचलित बाजार-प्रथाओं के अनुसार।

(ii) किसी विशिष्ट मामले के लिए प्रभारित दलाली, बाध्यकारी रक्षा से पहले बीमाकर्ता को अनुरोध करने पर प्रकट की जा सकती है।

टिप्पणी : उपर्युक्त उप-खंड (ii) के प्रयोजन के लिए विशिष्ट खाते के संबंध में सभी प्रकार के भुगतान, जैसे जोखिम निरीक्षण शुल्क अथवा जोखिम प्रबंध शुल्क अथवा प्रशासन प्रभार, आदि का कुल योग किया जाएगा।

(3) बीमा दलालों के पारिश्रमिक के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा लेखों का निपटान मासिक आधार पर किया जाएगा तथा यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बकाया शेषों का कोई प्रति-निपटान न किया जाए ।

26. एकल ग्राहक से कारोबार संबंधी उच्चतम सीमा.—(1) बीमा दलाल का कारोबार इस प्रकार से किया जाएगा कि प्रीमियम (प्रमात्रा, प्राप्तियाँ आदि, जैसी स्थिति हो) के 50 प्रतिशत से अधिक एक वित्तीय वर्ष में किसी एक ग्राहक से उत्पन्न नहीं होगा ।

टिप्पणी : *इस विनियम के प्रयोजनों के लिए "ग्राहक" शब्द में किसी फर्म अथवा कंपनी के मामले में सहयोगी अथवा सहायक संस्था अथवा एक ही प्रबंधन के अंतर्गत समूह प्रतिष्ठान शामिल होगा । "समूह" की परिभाषा का अर्थ वही होगा जैसा कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश)(5वाँ संशोधन) विनियम, 2013 में परिभाषित है।*

(2) अपने समूह के अंदर बीमा कंपनी से युक्त कारपोरेट घरानों द्वारा प्रवर्तित बीमा दलालों के लिए, किसी वित्तीय वर्ष में बीमा दलाल द्वारा किये गये बीमों का 25 प्रतिशत से अनधिक भाग प्रवर्तक समूह में बीमा कंपनी के पास जीवन व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय के लिए अलग-अलग रखा जाएगा । इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बीमा दलालों को प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिनांक 18.3.2008 के परिपत्र सं. 063/आईआर डीए/मेमो/07-08 तथा इस विषय में समय-समय पर जारी किये गये किसी अन्य परिपत्र/दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

(3) उप-विनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट प्रीमियम के प्रतिशत में पुनर्बीमा प्रीमियम एवं किसी सरकारी निकाय अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम से उत्पन्न होनेवाले बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रीमियम शामिल नहीं होंगे।

(4) क्या कोई कंपनी, व्यवसाय अथवा संगठन एक ही प्रबंधन के अंतर्गत है अथवा नहीं, इस विषय में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा ।

(5) बीमा दलाल लेखा-परीक्षित खातों के साथ प्रति वर्ष इस विनियम के अनुपालन की पुष्टि करते हुए सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा विधिवत् प्रमाणित एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

27. बीमा राशि का वियोजन.—(1) अधिनियम की धारा 64वीबी (64VB) के उपबंध बीमाकर्ता द्वारा जोखिम-ग्रहण के प्रश्न का निर्धारण करना जारी रखेंगे।

(2) पुनर्बीमा संविदाओं के मामले में पक्षकारों के बीच विशिष्ट रूप से अथवा अंतरराष्ट्रीय बाजार प्रथाओं के भाग के रूप में यह समझौता कर लिया जाए कि लाइसेंसप्राप्त पुनर्बीमा दलाल अथवा संमिश्र दलाल प्रीमियम वसूल कर सकता है तथा पुनर्बीमाकर्ता को प्रेषित कर सकता है और/या बीमाकृत व्यक्ति को आगे भेजने के लिए पुनर्बीमाकर्ता से प्राप्य दावों की राशि वसूल कर सकता है। इन परिस्थितियों में लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल द्वारा वसूल की गई धनराशि के संबंध में कार्रवाई इन विनियमों की अनुसूची V में विनिर्दिष्ट तरीके से की जाएगी।

28. बीमा दलालों के लिए आचरण संहिता – प्रत्येक बीमा दलाल इन विनियमों की अनुसूची VI-ए में विनिर्दिष्ट रूप में आचरण-संहिता का पालन करेगा । संमिश्र दलाल अथवा पुनर्बीमा दलाल के मामले में वह इन विनियमों की अनुसूची VI-बी में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त आचरण-संहिता का पालन करेगा।

29. खाता-बहियों, अभिलेखों, आदि का अनुरक्षण.—(1) प्रत्येक बीमा दलाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित को तैयार करेगा –

(i) प्रत्येक लेखांकन अवधि की समाप्ति पर तुलन-पत्र अथवा स्थिति विवरण;

(ii) उस अवधि के लिए लाभ-हानि लेखा;

(iii) नकदी/निधि प्रवाह का विवरण;

(iv) बीमा दलाल व्यवसाय संबंधी अतिरिक्त विवरण जैसे कि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किये जा सकते हैं ।

टिप्पणी : *इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय वर्ष 12 महीने (अथवा कम जहाँ व्यवसाय 1 अप्रैल के बाद प्रारंभ किया गया हो) की अवधि का होगा जो वर्ष के अप्रैल के पहले दिन प्रारंभ होगा और अनुवर्ती वर्ष के मार्च के 31वें दिन समाप्त होगा, तथा खातों का अनुरक्षण उपचय के आधार पर किया जाएगा ।*

(2) प्रत्येक बीमा दलाल प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर से पहले उप-विनियम (1) में बताये गये रूप में लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतिलिपि उन पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण को कारोबार के संचालन, खातों की स्थिति आदि के संबंध में लेखा-परीक्षकों की अभ्युक्तियों अथवा टिप्पणियों, यदि कोई हों, सहित प्रस्तुत करेगा तथा प्राधिकरण के पास दाखिल किये गये ऐसे खातों के साथ इस प्रकार की टिप्पणियों पर उपयुक्त स्पष्टीकरण दिया जाएगा।

(3) प्रत्येक बीमा दलाल लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से नब्बे दिन के अंदर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में बताई गई कमियाँ यदि कोई हों तो उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाएगा और तदनुसार प्राधिकरण को सूचित करेगा ।

(4) सभी खाता-बहियों, विवरणों, दस्तावेजों, आदि का अनुरक्षण बीमा दलाल के प्रधान कार्यालय अथवा उसके द्वारा नामित और प्राधिकरण को सूचित ऐसे किसी अन्य शाखा कार्यालय में किया जाएगा तथा उन्हें प्राधिकरण के उन अधिकारियों को सभी कार्यदिवसों पर उपलब्ध कराया जाएगा जो निरीक्षण के लिए उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किये जाएँगे।

(5) इस विनियम में उल्लिखित और बीमा दलाल द्वारा अनुरक्षित सभी बहियों और दस्तावेजों, विवरणों, संविदा नोटों आदि को उनके संबंधित वर्ष की समाप्ति से कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा। तथापि, उन मामलों से संबंधित दस्तावेज जहाँ दावे सूचित किये गये हैं और निर्णय न्यायालयों के फैसले के लिए लंबित है, यह अपेक्षित है कि ऐसे दस्तावेज न्यायालय द्वारा मामले का निपटान होने तक रखे जाएँ। पुनर्बीमा दलालों के मामले में अन्य सभी दस्तावेजों के संबंध में यह अपेक्षित है कि वे उनकी स्वाभाविक समाप्ति तक रखे जाएँ।

(6) विभिन्न विनियमों के अनुपालन की पुष्टि करने वाला प्रमाण-पत्र भी लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का भाग बनेगा।

(7) प्रत्येक बीमा दलाल प्राधिकरण को अपने द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षकों का विवरण इन विनियमों के अनुबंध V के अनुसार लेखा-परीक्षित खातों के साथ प्रस्तुत करेगा।

30. छमाही परिणामों की प्रस्तुति.—(1) प्रत्येक बीमा दलाल प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर और 30 अप्रैल से पहले कार्यनिष्पादन, वित्तीय स्थिति, आदि के ब्योरे से युक्त, लेखा-परीक्षित न किया गया एक छमाही वित्तीय विवरण प्राधिकरण को एक अर्हताप्राप्त सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ प्रस्तुत करेगा ।

(i) इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कि बीमा दलाल अपेक्षित पूँजी रख रहा है, बीमा दलाल बीमा दलाली को छोड़कर किसी अन्य व्यवसाय में लिप्त नहीं है तथा इन विनियमों के अनुबंध VI-ए के अनुसार विनियम 9 और 11 के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक निवल मालियत (नेट वर्थ) भी बनाये रखता है;

(ii) इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कि बीमा दलाल इन विनियमों के अनुबंध VI-बी के अनुसार विनियम 12 के अनुपालन में एक जमाराशि रखता है;

(iii) इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि इन विनियमों के अनुबंध VI-सी के अनुसार विनियम 13 के अनुपालन में एक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी प्रचलित है;

(iv) इस बात की पुष्टि करनेवाला एक प्रमाणपत्र कि बीमा दलाल ने इन विनियमों के अनुबंध VI-डी के अनुसार विनियम 25 में निर्धारित सीमाओं के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त किया है;

(v) पुनर्बीमा दलाल अथवा संमिश्र दलाल के मामले में इस आशय का प्रमाणपत्र कि बीमा दलाल विनियम 27 के उपबंधों का पालन कर रहा है तथा एक अलग बीमा बैंक खाता रख रहा है और उक्त खाते में निहित धनराशियों का उपयोग इन विनियमों के अनुबंध VI-ई के अनुसार विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट प्रयोजनों को छोड़कर किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया है।

31. आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ.—(1) प्रत्येक बीमा दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि आंतरिक लेखा-परीक्षा की उपयुक्त प्रणाली लागू है तथा उसके आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ उसके व्यवसाय के आकार, स्वरूप और जटिलता के लिए पर्याप्त हैं ।

(2) पुनर्बीमा और संमिश्र दलालों के मामले में यह अनिवार्य है कि बीमा दलाल के पास आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणालियाँ होंगी तथा वह एक अनुपालन अधिकारी को नामित करेगा जो बीमा दलाल का एक कर्मचारी होगा।

(3) उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना ऐसे बीमा दलाल के लिए यह अनिवार्य है जिसका व्यवसाय एक वित्तीय वर्ष में प्रीमियम के 10 करोड़ रुपये से अधिक है, कि वह अपने पास इस विषय में एक नामित अनुपालन अधिकारी रखेगा जो आंतरिक नियंत्रणों और प्रणालियों के लिए उत्तरदायी होगा।

32. दावा परामर्श कार्य

(1) प्राधिकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन बीमा दलालों द्वारा सीमित दावा परामर्श कार्य की अनुमति देता है:

(क) 1 करोड़ रुपये से अनधिक दावों के लिए बशर्ते कि इस प्रकार का दावा ऐसी पॉलिसी से उत्पन्न नहीं होता, जो उसी बीमा दलाल अथवा किसी अन्य बीमा दलाल द्वारा रखी गयी हो।

(ख) परामर्श कार्य प्रदान करने से पहले बीमा दलाल उस दावे के लिए संबंधित बीमाकर्ता के पास ग्राहक का प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राहक से एक लिखित अधिदेश प्राप्त करेगा, जिसके लिए ग्राहक द्वारा परामर्श माँगा गया है और बीमा दलाल द्वारा परामर्श दिया गया है।

(ग) बीमा दलाल ऐसी सेवाओं के लिए प्रभार वसूल कर सकता है जैसा कि बीमा दलाल और ग्राहक के बीच आपस में तय किया जा सकता है। तथापि, ऐसा शुल्क दावे के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जाएगा।

(घ) बीमा दलाल ऐसे ग्राहकों के साथ अपने सभी लेनदेनों में इन विनियमों की अनुसूचियों VI-ए और VI-बी, जैसा लागू हो, में यथाविनिर्दिष्ट आचरण संहिता के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होगा।

(ङ) इस प्रकार के परामर्श कार्य की व्यवस्थाओं से दो या उससे अधिक बीमा दलालों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर पहले भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई) द्वारा विचार किया जाएगा तथा उसके बाद आईबीएआई ऐसे विवाद का सारांश अपनी सिफारिश के साथ अंतिम निपटान के लिए प्राधिकरण के पास प्रेषित करेगा।

(च) प्राधिकरण समय-समय पर दावा परामर्श कार्य के संबंध में मानदंडों की समीक्षा करेगा और उनका निर्धारण करेगा।

33. सह-दलाली

(1) ग्राहक इस बात के लिए मुक्त है कि वह कार्यकलाप में प्रयुक्त किये जाने वाले बीमा दलालों के कौशल के आधार पर अपनी बीमा संबंधी आवश्यकताओं की दलाली का कार्य संयुक्त रूप से करने के लिए एक से अधिक बीमा दलालों को लिखित रूप में नियुक्त करे तथा उनके बीच उक्त कार्य के विषय में देय दलाली को बाँटने का तरीका

निर्धारित करे। किसी भी स्थिति में सबको मिलाकर बीमा दलालों के बीच बाँटी गई दलाली की कुल राशि विनियम 25 में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होगी।

(2) सभी प्रत्यक्ष बीमा सह-दलाल ऐसे बीमा दलाल होंगे जो संबंधित व्यवसाय की श्रेणी में दलाली करने के लिए लाइसेंसप्राप्त हैं तथा प्रत्येक सह-दलाल दिनांक 15 सितंबर 2006 के दिशानिर्देश सं. 020/एनएल/आईआरडीए/06 सहित समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये सह-दलाली संबंधी उपबंधों और मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(3) सह-दलालों के बीच जिस तरीके से दलाली की राशि बाँटी जाती है वह अनुरोध करने पर बीमाकर्ता को प्रकट की जाएगी। प्रत्येक सह-दलाल को उनके हिस्से के लिए अथवा अग्रणी सह-दलाल, जो आगे अन्य सह-दलालों को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा, दलाली के भुगतान के संबंध में बीमाकर्ता ग्राहक के अनुदेशों से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा।

(4) पुनर्बीमा स्थापन पर स्थित प्रत्येक सह-दलाल यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा कि इन विनियमों का पालन स्वयं करे तथा अपने द्वारा प्रयुक्त किन्हीं विदेशी दलालों द्वारा भी किया जाए।

34. जोखिमों के स्थापन के लिए विदेशी दलाल के साथ पुनर्बीमा/संमिश्र दलालों द्वारा दलाली की हिस्सेदारी—

(1) यदि भारत में लाइसेंसप्राप्त कोई बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता विदेश में पुनर्बीमे के स्थापन के लिए किसी पुनर्बीमा दलाल की सेवाओं का उपयोग करता है, तो ऐसा स्थापन केवल प्राधिकरण द्वारा लाइसेंसप्राप्त पुनर्बीमा अथवा संमिश्र दलाल के माध्यम से ही होगा।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) के प्रयोजनों के लिए लाइसेंसप्राप्त पुनर्बीमा अथवा संमिश्र दलाल भारत के बाहर बीमाकर्ताओं अथवा पुनर्बीमाकर्ताओं के पास पुनर्बीमे के स्थापन के लिए किसी विदेशी दलाल की सेवाएँ प्राप्त कर सकता है।

(3) उपर्युक्त उप-विनियम (2) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण से लाइसेंसप्राप्त पुनर्बीमा/संमिश्र दलाल विदेशी दलाल से प्राप्त सेवाओं के लिए उनके साथ दलाली के 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नहीं लेगा।

(4) भारत में बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं को विदेशी आवक पुनर्बीमा व्यवसाय के मामले में यदि ऐसा स्थापन किसी बीमा दलाल से संबद्ध है, तो वह केवल प्राधिकरण से लाइसेंसप्राप्त पुनर्बीमा/संमिश्र दलाल के माध्यम से ही होगा। तथापि, विदेशी दलाल विदेशी आवक पुनर्बीमे के स्थापन के लिए प्राधिकरण से लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल के साथ उपयुक्त व्यवस्था कर सकता है तथा दलाली की हिस्सेदारी इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा नियंत्रित होगी।

35. एक कारपोरेट समूह को एकल दलाली लाइसेंस तथा समूह कंपनियों के साथ व्यवहार

(1) प्राधिकरण किसी कारपोरेट समूह को प्रत्यक्ष दलाल (जीवन) और/या प्रत्यक्ष दलाल (साधारण) और/या पुनर्बीमा दलाल या संमिश्र दलाल की श्रेणियों में केवल एक ही बीमा दलाली लाइसेंस जारी करेगा। इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए समूह का अर्थ वही होगा जैसा कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (5वाँ संशोधन) विनियम, 2013 में परिभाषित है।

(2) बीमा दलाल की प्रवर्तक कंपनी यह वचनपत्र देगी कि प्रवर्तक समूह के अंदर किसी भी ग्राहक को उनकी बीमा संबंधी आवश्यकताओं के लिए विवश नहीं किया जाएगा। सभी सूचनाओं में एक ही प्रवर्तक समूह के अंदर उनके एक समूह कंपनी होने का सुस्पष्ट प्रकटीकरण किया जाएगा।

(3) आईसीएआई के लेखांकन मानक 18 के अनुसार प्रवर्तक समूह के साथ संबंधित पक्षकार संबंधी लेनदेनों के प्रकटीकरण उनके लेखा-परीक्षित खातों एवं तुलन-पत्र में अनिवार्यतः होंगे।

36. बीमा दलालों के नाम

(1) बीमा दलालों के पास बीमा दलाल के नाम में शब्द बीमा 'दलाल'/'बीमा दलाली' होगा जिससे उनके कार्यकलाप की दिशा प्रतिबिंबित हो सके तथा परामर्शदाताओं, जोखिम प्रबंधकों और इस प्रकार के अन्य लाइसेंस-रहित बीमा संबंधी संस्थाओं से आईआरडीए द्वारा लाइसेंस-प्राप्त बीमा दलालों का अंतर जनसाधारण के लिए स्पष्ट हो सके। दलाली लाइसेंस की अपेक्षा करने वाले नये आवेदकों के आवेदन पर नाम संबंधी अपेक्षा के पालन के अभाव में विचार नहीं किया जाएगा।

(2) प्रत्येक लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल हितधारकों के साथ अपने समस्त पत्र-व्यवहार में प्राधिकरण के पास पंजीकृत अपना नाम, पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालय का पता, आईआरडीए से प्राप्त लाइसेंस संख्या, वह श्रेणी जिसके लिए बीमा दलाल को लाइसेंस प्रदान किया गया है, लाइसेंस की वैधता अवधि प्रदर्शित करेगा । बीमा दलालों को प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना अपने पत्र-व्यवहार/साहित्य/पत्र-शीर्षों में किसी अन्य नाम का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

37. कुछ उल्लंघनों के लिए वित्तीय दंड

(1) यदि कोई लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 तथा उनके अंतर्गत बनाये गये किन्हीं नियमों और विनियमों के उपबंधों, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी भी परिपत्र/दिशानिर्देशों/आदेशों का उल्लंघन करता है, तो प्राधिकरण उल्लंघन के स्वरूप/गंभीरता के आधार पर उपयुक्त दंड लगाते हुए आदेश जारी कर सकता है।

(2) बीमा दलाल यदि प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट है, तो ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष को आवेदन कर सकता है।

(3) प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसे आवेदन पर विचार करेगा तथा उसकी प्राप्ति के पैंतालीस दिन के अंदर उस पर अपने निर्णय की सूचना आवेदक को लिखित में देगा।

(4) यदि प्राधिकरण का अध्यक्ष उपर्युक्त उप-विनियम (2) के अंतर्गत किये गये आवेदन पर पुनर्विचार करने के बाद आवेदन को अस्वीकार करता है, तो बीमा दलाल उपर्युक्त उप-विनियम (1) के अंतर्गत लागू किया गया अर्थदंड प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्णय की प्राप्ति से 15 दिन के अंदर अदा करेगा तथा ऐसा न करने पर उनका लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है।

38. प्राधिकरण को प्रकटीकरण.—(1) बीमा दलाल प्राधिकरण को ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रकटीकरण, जिसका संबंध उनके लाइसेंस से हो, स्वयं ही ऐसा परिवर्तन होने के 30 दिन के अंदर करेगा;

(2) बीमा दलाल प्राधिकरण को जब भी उसके द्वारा अपेक्षित किया जाता है तब ऐसी अपेक्षा करने से लेकर किसी भी स्थिति में तीस दिन से अनधिक अवधि में निम्नलिखित सूचना प्रकट करेगा, अर्थात्—

(i) किसी बीमा संविदा के स्थापन के संबंध में उनकी जिम्मेदारियाँ;

(ii) पूर्व में प्रस्तुत की गई सूचना अथवा विवरण में कोई भी परिवर्तन, जिसका संबंध उन्हें प्रदान किये गये लाइसेंस से हो;

(iii) उन ग्राहकों के नाम जिनके बीमा संविभाग का प्रबंध वे कर रहे हैं अथवा पहले कर चुके हैं;

(iv) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट कोई भी अन्य अपेक्षा ।

बशर्ते कि विनियम 2(1)(ठ)(घ) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में प्राधिकरण ऐसी सूचना माँग सकता है और प्राप्त कर सकता है जिसे वह उचित समझता है।

(3) किसी भी स्थिति में बीमा दलाल को निम्नलिखित के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा:

(i) प्रधान अधिकारी का परिवर्तन;

(ii) निदेशक (निदेशकों)/साझेदार (साझेदारों) में परिवर्तन;

(iii) कंपनी के नाम में परिवर्तन;

(iv) कारपोरेट/पंजीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन;

(v) कारोबार के प्रधान स्थान में परिवर्तन।

(4) बीमा दलाल प्राधिकरण को पूर्व में प्रस्तुत सूचना में जब भी कोई परिवर्तन/संवर्धन हो तब प्राधिकरण को निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगा

(i) शाखा कार्यालयों का प्रारंभ/समापन;

(ii) दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों की सूची;

(iii) व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी के अंतर्गत दावे के संबंध में;

(iv) अचल संपत्ति का अभिग्रहण करने पर;

(5) प्राधिकरण समय-समय पर बीमा दलाल से अपेक्षा कर सकता है कि वह संबंधित विषय में विनिर्दिष्ट तरीके से सूचना/आंकड़े/दस्तावेज प्रस्तुत करे।

(6) इस विनियम का पालन न करने पर इसके परिणामस्वरूप बीमा दलाल के विरुद्ध विनियम 41 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

स्पष्टीकरण : *(1) इस विनियम के प्रयोजन के लिए, 'महत्वपूर्ण परिवर्तन' से ऐसा कोई परिवर्तन अभिप्रेत है जिसका संबंध इन विनियमों के विनियम 8 के अंतर्गत उनके आवेदन पर विचार करने से है।*

(2) इस विनियम के प्रयोजन के लिए, 'कारोबार के प्रधान स्थान' से व्यवसाय के प्रधान कार्यालय का स्थान अभिप्रेत है जहाँ खाता बहियाँ और दस्तावेज रखे जाते हैं और/या प्रबंधन कार्य करता है।

39. प्राधिकरण का निरीक्षण करने का अधिकार.—(1) बीमा दलाल के परिसर का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकरण "निरीक्षण प्राधिकारी" के रूप में अपने एक अथवा अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है जिससे यह पता लगाया जा सके और देखा जा सके कि कारोबार कैसे संचालित किया जा रहा है तथा उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिए बीमा दलाल की खाता-बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण भी किया जा सके ।

(2) उप-विनियम (1) में उल्लिखित प्रयोजन निम्नानुसार हो सकते हैं, अर्थात् :-

(i) यह सुनिश्चित करना कि खाता-बहियों का अनुरक्षण अपेक्षित तरीके से किया जा रहा है;

(ii) यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम, नियमों, विनियमों के उपबंधों का पालन किया जा रहा है;

(iii) बीमा दलाल के कार्यकलापों से संबंध रखनेवाले किसी भी विषय पर किसी बीमाकृत व्यक्ति, किसी बीमाकर्ता, अन्य बीमा दलालों अथवा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों की जाँच-पड़ताल करना; तथा

(iv) बीमा व्यवसाय के समुचित विकास के हित में अथवा पॉलिसीधारकों के हित में अथवा पॉलिसीधारकों के हित में *अपने आप* बीमा दलाल के कार्यों की जाँच-पड़ताल करना ।

(3) जिस तरीके से निरीक्षण संचालित किया जाएगा, वह इन विनियमों की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट है।

40. प्राधिकरण द्वारा अन्वेषक की नियुक्ति.—(1) प्राधिकरण बीमा दलाल की खाता-बहियों अथवा उसके कार्यकलापों की जाँच-पड़ताल करने के लिए किसी सनदी लेखाकार अथवा बीमांकिक अथवा बीमे के क्षेत्र में अर्हताप्राप्त और अनुभव रखनेवाले किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।

बशर्ते कि इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति के पास निरीक्षण अधिकारी के वही अधिकार होंगे जो विनियम 39 में उल्लिखित हैं तथा विनियम 39 में बताये गये बीमा दलाल के दायित्व इस विनियम के अंतर्गत जाँच-पड़ताल के लिए लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण – *इस विनियम के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "सनदी लेखाकार" (चार्टर्ड अकाउंटेंट) का अर्थ वही होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 141 में दिया गया है, तथा अभिव्यक्ति 'बीमांकिक' का अर्थ वही होगा जो बीमांकिक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 2(1)(क) में दिया गया है।*

(2) ऐसी जाँच-पड़ताल के व्ययों और लागतों की वसूली प्राधिकरण द्वारा उस बीमा दलाल से की जाएगी जिसके कार्यकलापों की जाँच-पड़ताल करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई थी ।

41. सूचना के साथ लाइसेंस का निरस्तीकरण अथवा निलंबन – (1) किसी बीमा दलाल का लाइसेंस उचित सूचना और उनको अपनी बात कहने के लिए उचित अवसर देने के बाद निरस्त अथवा निलंबित किया जा सकता है यदि वे-

(क) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के समय-समय पर यथासंशोधित उपबंधों का उल्लंघन करते हैं;

(ख) प्राधिकरण द्वारा की गई अपेक्षानुसार बीमा दलाल के रूप में अपने कार्यकलापों से संबंधित कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करते;

(ग) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निदेशों का पालन नहीं करते;

(घ) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन में अथवा लाइसेंस की वैधता-अवधि के दौरान गलत या झूठी सूचना प्रस्तुत करते हैं; अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हैं अथवा प्रकट नहीं करते हैं;

(ङ) प्राधिकरण की अपेक्षानुसार आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं करते हैं;

(च) प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी निरीक्षण अथवा जाँच में सहयोग नहीं करते हैं;

(छ) पॉलिसीधारकों की शिकायतों का समाधान नहीं करते हैं अथवा इस संबंध में प्राधिकरण को संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं;

(ज) किसी ग्राहक अथवा ग्राहक के किसी भी निदेशक अथवा अन्य कर्मचारियों अथवा परिचयकर्ता के रूप में कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति को छूटें अथवा नकद या वस्तु रूप में प्रलोभन देने में लिप्त हैं;

(झ) कदाचार के दोषी पाये गये हैं अथवा उनका आचरण अनुसूची VI-ए और VI-बी, जो भी लागू है, में विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता के अनुरूप नहीं है;

(ञ) विनियम 9 के उपबंधों के अनुसार पूँजीगत अपेक्षाओं का अनुरक्षण नहीं करते हैं;

(ट) इन विनियमों के अधीन शुल्क, लागू किये गये अर्थदंड का भुगतान अथवा व्ययों की प्रतिपूर्ति नहीं करते;

(ठ) लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हैं;

(ड) विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते;

(ढ) ऐसे प्रधान अधिकारी के साथ व्यवसाय का संचालन करते हैं जो विनियम 8 में विनिर्दिष्ट रूप में निर्धारित अवधि के अंदर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता और परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता ।

(ण) प्राधिकरण यह महसूस करता है कि बीमा दलाल की स्थापना केवल कंपनियों के समूह अथवा उनकी सहयोगी संस्थाओं के अंदर निधियों का विपथन करने के लिए है, तथा यह तथ्य प्राधिकरण द्वारा की गई उचित जाँच के बाद प्रमाणित हो चुका है।

42. सूचना दिये बिना लाइसेंस का निरस्तीकरण अथवा निलंबन.—(1) बीमा दलाल का लाइसेंस सूचना दिये बिना निरस्त अथवा निलंबित किया जा सकता है, यदि वे—

(क) अनुसूची VI-ए और VI-बी, जो भी लागू है, में विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता के अंतर्गत किसी एक अथवा उससे अधिक अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हैं;

(ख) धोखाधड़ी करने के दोषी पाये गये हैं अथवा दंडनीय अपराध के दोषी ठहराये गये हैं;

(ग) ऐसी चूकें करते हैं जिनके लिए प्राधिकरण की राय में तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है, बशर्ते कि प्राधिकरण ने निरस्तीकरण के लिए कारण लिखित में सूचित कर दिये हों;

(घ) बीमा दलाल ने लाइसेंस प्रदान करने के बाद छह महीने के अंदर कारोबार प्रारंभ नहीं किया है ।

(2) यदि बीमा दलाल का लाइसेंस सूचना दिये बिना निलंबित किया गया है, तो इस प्रकार का लाइसेंस तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा जब तक विनियम 44 में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार जाँच नहीं की जाती।

43. निलंबन के आदेश का प्रकाशन.—विनियम 41 और विनियम 42 के अंतर्गत जारी किये गये लाइसेंस के निलंबन का आदेश प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाएगा, ताकि निलंबित बीमा दलाल द्वारा नये कारोबार का पंजीकरण बीमाकर्ताओं द्वारा तत्काल रोका जा सके।

(1) बीमा दलाल लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की तारीख को और उस तारीख से बीमा दलाल के रूप में कार्य करना समाप्त करेगा।

(2) तथापि, बीमा दलाल अपने द्वारा पहले से की गई संविदाओं के संबंध में सेवा प्रदान करना छह महीने की अवधि के लिए जारी रखेगा जिसके अंदर उक्त संविदाओं के संबंध में एक अन्य लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगा।

44. बीमा दलाल के लाइसेंस के निलंबन के बाद जाँच आयोजित करने की विधि –

(1) बीमा दलाल का लाइसेंस तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा जब तक इस विनियम में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार जाँच आयोजित नहीं की जाती।

(2) इस विनियम के अधीन जाँच आयोजित करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण निलंबन आदेश जारी करने के 15 दिन के अंदर एक जाँच अधिकारी को नियुक्त कर सकता है;

(3) जाँच अधिकारी बीमा दलाल के पंजीकृत कार्यालय अथवा व्यवसाय के प्रधान स्थान, जैसी स्थिति हो, में बीमा दलाल को ऐसी सूचना/आंकड़े माँगते हुए एक नोटिस जारी करेगा जो जाँच का संचालन करने के लिए वह आवश्यक समझता है तथा माँगी गई सूचना/आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए बीमा दलाल को ऐसी नोटिस प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन की समय-सीमा देगा;

(4) बीमा दलाल ऐसी नोटिस प्राप्त करने की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर जाँच अधिकारी को उक्त नोटिस का उत्तर उनके लिए आधारभूत अथवा जाँच अधिकारी द्वारा माँगे गये दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य की प्रतियों के साथ प्रस्तुत कर सकता है;

(5) जाँच अधिकारी बीमा दलाल को अपनी बात कहने के लिए एक उचित अवसर देगा ताकि वह उपर्युक्त उप-विनियम (4) के अधीन दिये गये अपने उत्तर के समर्थन में प्रस्तुति कर सके;

(6) बीमा दलाल या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है अथवा अपने द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है, तथापि शर्त यह होगी कि उक्त `प्राधिकृत व्यक्ति' की उपस्थिति के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा;

(7) यदि आवश्यक समझा जाता है तो जाँच अधिकारी प्राधिकरण से अपना मामला अपने एक अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(8) यदि आवश्यक समझा जाता है तो जाँच अधिकारी जाँच के दौरान बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य संबंधित संस्था से प्रतिसूचना/जानकारी माँग सकता है;

(9) यदि आवश्यक समझा जाता है तो जाँच अधिकारी बीमा दलाल से अतिरिक्त कागज-पत्रों की माँग कर सकता है;

(10) जाँच अधिकारी शीघ्रातिशीघ्र, परंतु किसी भी स्थिति में जाँच प्रारंभ करने से 60 दिन के अंदर कार्यवाही पूरी करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेगा बशर्ते कि यदि उपर्युक्त (9) में उल्लिखित रूप में 60 दिन की निर्धारित समय-सीमा के अंदर जाँच पूरी नहीं की जा सकती; तो जाँच अधिकारी इसके लिए कारण बताते हुए अध्यक्ष से अतिरिक्त समय की अपेक्षा कर सकता है;

(11) जाँच अधिकारी सभी संबंधित तथ्यों और बीमा दलाल द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद जाँच की कार्यवाही पूरी करने के 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

45. जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की जानेवाली कार्रवाई.—(1) जाँच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्राधिकरण उस रिपोर्ट पर विचार करेगा तथा यदि रिपोर्ट की विषय-वस्तु से बीमा दलाल को प्रदान किये गये लाइसेंस को निरस्त करने की आवश्यकता उत्पन्न हो तो बीमा दलाल को एक कारण-बताओ नोटिस जारी करेगा;

बशर्ते कि यदि विनियम 42 के उपबंध लागू होते हैं तो ऐसी कोई नोटिस अपेक्षित नहीं होगी।

(2) बीमा दलाल उक्त कारण बताओ नोटिस प्राप्त करने की तारीख से इक्कीस दिन के अंदर प्राधिकरण को उत्तर प्रेषित करेगा।

(3) प्राधिकरण कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद यथाशीघ्र, परंतु उक्त उत्तर प्राप्त करने से तीस दिन के अंदर ऐसा आदेश जारी करेगा जो वह उचित समझेगा।

तथापि, शर्त यह होगी कि जहाँ बीमा दलाल इस विनियम के अंतर्गत नोटिस देने पर कथित अवधि के अंदर कोई उत्तर नहीं देता, वहाँ प्राधिकरण ऐसी समयावधि के समाप्त होने के बाद मामले में गुण-दोष के आधार पर निर्णय करने के लिए आगे बढ़ सकता है तथा ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझता है।

(4) प्राधिकरण उप-विनियम (3) के अंतर्गत बनाया गया `प्राधिकरण का अंतिम आदेश' बीमा दलाल को भेजेगा।

(5) कोई भी बीमा दलाल यदि प्राधिकरण के आदेश से असंतुष्ट है तो ऐसी सूचना मिलने की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर प्राधिकरण के अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(6) प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसे आवेदन पर विचार करेगा और उस पर अपना निर्णय बीमा दलाल को उसकी प्राप्ति से पैंतालीस दिन के अंदर लिखित में सूचित करेगा।

46. लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए क्रियाविधि—

(1) प्राधिकरण बीमा दलाल के लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए अंतिम आदेश जारी करेगा तथा उक्त अंतिम आदेश की तारीख से वे बीमा दलाल के रूप में कार्य करना समाप्त करेंगे।

(2) बीमा दलाल के लाइसेंस के निरस्तीकरण की अधिसूचना की प्रक्रिया विनियम 47 में दी गई है।

(3) प्राधिकरण इस प्रकार होने की स्थिति में विनियम 12 के अधीन रखी गई बीमा दलाल की जमाराशि के निपटान के लिए ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझता है।

(4) बीमा दलाल जिसका लाइसेंस निरस्त किया गया है, लाइसेंस के निरस्तीकरण के आदेश से छह महीने की अवधि के लिए उनके द्वारा पहले से की गई संविदाओं के संबंध में सेवा प्रदान करना जारी रखेगा, जिस अवधि के दौरान उक्त संविदाओं के संबंध में आवश्यक सेवा किसी अन्य लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल द्वारा प्रदान करने के लिए वे आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

(5) लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल जो उस बीमा दलाल से पॉलिसी सेवा के दायित्वों का भार लेने के लिए सहमत है जिसका लाइसेंस निरस्त किया गया है, उक्त पूरी अवधि के दौरान पॉलिसियों / संविदाओं संबंधी सेवा प्रदान करने के लिए बीमाकर्ता को अपना अनुरोध प्रस्तुत करेगा।

(6) लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल पॉलिसी संबंधी सेवा के दायित्वों का भार लेने के लिए बीमाकर्ता से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संविदाओं की सेवा की तारीख से भावी प्रभाव के साथ प्रचलित वर्तमान संविदाओं पर दलाली वसूल कर सकता है।

(7) बीमा दलाल, जिसे बीमाकर्ता ने प्राधिकार दिया है, को संविदाओं की सेवा के आबंटन की तारीख से भावी प्रभाव के साथ प्रचलित वर्तमान संविदाओं पर बीमाकर्ता दलाली/ पॉलिसी सेवा का भुगतान करेगा।

47. लाइसेंस के निरस्तीकरण के आदेश का प्रकाशन.—विनियम 45 के उप-विनियम (3) के अधीन दिये गये लाइसेंस के निरस्तीकरण का आदेश प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त एक अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचारपत्र और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचारपत्र, जैसा कि प्राधिकरण उचित समझे, में प्रकाशित किया जाएगा ।

48. लाइसेंस के निरस्तीकरण का प्रभाव.—(1) लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की तारीख को और उस तारीख से बीमा दलाल, एक बीमा दलाल के रूप में कार्य करना बंद करेगा ।

(2) तथापि, बीमा दलाल पहले से अपने माध्यम से की गई संविदाओं की तामील छह महीने की अवधि के लिए जारी रखेगा जिसके अंदर उसके द्वारा उक्त संविदाओं के संबंध में अन्य लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी ।

(3) अन्य लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल जो पॉलिसी सेवा के दायित्वों का भार ग्रहण करने के लिए सहमत है, वर्तमान संविदाओं पर दलाली वसूल कर सकता है जो पूर्व में बीमाकर्ताओं से वसूल नहीं की गई हो, बशर्ते कि बीमा दलाल पॉलिसियों की सेवा उसकी पूरी अवधि के दौरान करने के लिए वचन देता हो।

49. लाइसेंस का स्वैच्छिक अभ्यर्पण : विनियम 5 के अधीन लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल अपना लाइसेंस अभ्यर्पित करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।

(2) अभ्यर्पण के लिए बीमा दलाल द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन को स्वीकार करने पर प्राधिकरण लाइसेंस के अभ्यर्पण के लिए एक आदेश पारित कर सकता है।

(3) बीमा दलाल, जिसका लाइसेंस अभ्यर्पित किया गया है तथा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है, को विनियम 48 में विनिर्दिष्ट रूप में व्यवस्था करनी होगी।

(4) लाइसेंस के अभ्यर्पण हेतु प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज/सूचना इन विनियमों के अनुबंध VIII के अनुसार है।

50. स्पष्टीकरण आदि जारी करने के लिए प्राधिकरण का अधिकार- इन विनियमों को लागू करने अथवा इनका अर्थ लगाने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण परिपत्रों के रूप में स्पष्टीकरण, निदेश और मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर सकता है।

51. सामान्य – (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से कोई भी व्यक्ति बीमा दलाल के रूप में तब तक कार्य नहीं कर सकता, जब तक इन विनियमों के अधीन अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के अधीन प्राधिकरण द्वारा उसको लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाता ।

क) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के अधीन लाइसेंसप्राप्त बीमा दलालों सहित बीमा दलाल इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के उपबंधों से नियंत्रित होंगे।

ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन जारी किये गये लाइसेंस, लाइसेंस की समाप्ति तक निरंतर वैध होंगे बशर्ते कि विनियमों की अधिसूचना की तारीख से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के किसी भी उपबंध का कोई उल्लंघन नहीं किया जाए।

ग) इन विनियमों की अधिसूचना से पहले लाइसेंस प्रदान करने के लिए अथवा लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्राधिकरण में प्राप्त आवेदन तब तक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होंगे जब तक ऐसे आवेदनों पर अंतिम रूप से विचार नहीं किया जाता/उनका निपटान नहीं किया जाता।

घ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन बीमा दलाल के विरुद्ध प्रारंभ की गई कार्यवाही / विभागीय जाँच / विभागीय निरीक्षण उनका अंतिम निपटान किये जाने तक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होंगे।

(2) बीमा दलाल और बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बीच बीमा दलाल के रूप में उनकी नियुक्ति के दौरान अथवा अन्य प्रकार से उत्पन्न होनेवाले किसी भी विवाद को इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण के पास भेजा जा सकता है;

तथा शिकायत अथवा अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर प्राधिकरण शिकायत की जाँच कर सकता है और यदि आवश्यक पाया जाता है तो इन विनियमों के अनुसार जाँच अथवा निरीक्षण अथवा अन्वेषण संचालित करने के लिए प्राधिकरण अग्रसर हो सकता है ।

अनुसूची I

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

प्रत्यक्ष दलाल/पुनर्बीमा दलाल/संमिश्र दलाल के कार्य

(विनियम 4 देखें)

1. **प्रत्यक्ष दलाल के कार्य.**—प्रत्यक्ष दलाल के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे :
   (क) ग्राहक के व्यवसाय और जोखिम प्रबंध दर्शन की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना;
   (ख) ग्राहक के व्यवसाय और जोखिम अंकन संबंधी सूचना से स्वयं परिचित होना ताकि यह बीमाकर्ता और अन्यों को स्पष्ट किया जा सके;
   (ग) उपयुक्त बीमा रक्षा और शर्तों के संबंध में परामर्श देना;
   (घ) जैसा लागू हो, उपलब्ध बीमा बाजारों की विस्तृत जानकारी का अनुरक्षण करना;
   (ङ) बीमाकर्ता/ओं से प्राप्त भाव (कोटेशन) ग्राहक के विचारार्थ प्रस्तुत करना;
   (च) रक्षा के लिए कीमत-निर्धारण की शर्तें तय करने के लिए जोखिम का निर्धारण करने में बीमाकर्ता द्वारा अपेक्षित रूप में जोखिम अंकन की आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना;
   (छ) ग्राहक से अनुदेश प्राप्त होने पर उनके संबंध में तत्परतापूर्वक कार्रवाई करना तथा उसको लिखित रूप में प्राप्ति-सूचनाएं और प्रगति की रिपोर्टें उपलब्ध कराना;
   (ज) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64वीबी (64VB) के अधीन प्रीमियम का भुगतान करने में ग्राहकों की सहायता करना;
   (झ) बीमा परामर्श कार्य और जोखिम प्रबंध से संबंधित सेवाएँ प्रदान करना;
   (ञ) दावों के संबंध में बातचीत में सहायता करना; तथा
   (ट) दावों के उचित अभिलेखों का अनुरक्षण करना;
2. **पुनर्बीमा दलाल के कार्य –** पुनर्बीमा दलाल के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे :
   (क) ग्राहक के व्यवसाय और जोखिम प्रतिधारण दर्शन से स्वयं परिचित होना;
   (ख) पुनर्बीमाकर्ता(ओं) अथवा अन्यों की सहायता करने के लिए बीमाकर्ता के व्यवसाय के स्पष्ट अभिलेखों का अनुरक्षण करना;
   (ग) अंतरराष्ट्रीय बीमा और पुनर्बीमा बाजारों में उपलब्ध पुनर्बीमा रक्षाओं से संबंधित तकनीकी आंकड़ों के आधार पर परामर्श देना;
   (घ) वैयक्तिक पुनर्बीमाकर्ताओं की शोधक्षमता रेटिंगों सहित, उपलब्ध पुनर्बीमा बाजारों के डेटाबेस का अनुरक्षण करना;
   (ङ) पुनर्बीमे के लिए परामर्श कार्य और जोखिम प्रबंध सेवाएँ प्रदान करना;
   (च) एक पुनर्बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ताओं के समूह का चयन करना और उनकी सिफारिश करना;
   (छ) ग्राहक की ओर से पुनर्बीमाकर्ता के साथ बातचीत करना;
   (ज) उनके पास रखी गई पुनर्बीमा संविदाओं के संराशीकरण की स्थिति में सहायता करना;
   (झ) ग्राहक से अनुदेश प्राप्त होने पर उनके संबंध में तत्परतापूर्वक कार्रवाई करना तथा उसको लिखित रूप में प्राप्ति-सूचनाएँ और प्रगति रिपोर्टें उपलब्ध कराना;
   (ञ) सहमत समय के अंदर प्रीमियम और दावे प्राप्त करना तथा प्रेषित करना;
   (ट) दावों के संबंध में वार्ता और निपटान में सहायता करना;
   (ठ) दावों के उचित अभिलेखों का अनुरक्षण करना;

(ङ) पुनर्बीमाकर्ताओं और अंतरराष्ट्रीय बीमा दलालों का चयन उनकी संबंधित सुरक्षा रेटिंगों को ध्यान में रखते हुए करते समय एवं उनकी सेवाओं का निर्धारण करते हुए संबंधित दायित्व स्थापित करते समय उचित सावधानी और सतर्कता बरतना;

(ढ) दोनों प्रत्यक्ष बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए तथा उनसे नये, दबावग्रस्त, उभरते और वर्तमान व्यवसाय व परिसंपत्ति वर्ग हेतु बाजार क्षमता और सुविधा का निर्माण करना;

(ण) उचित समय के अंदर प्रारंभिक हानि सूचना (पीएलए) देना;

(त) व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए आवक और जावक व्यवसाय के लिए अलग-अलग मानदंडों का अनुसरण करने की आवश्यकता होगी;

क. आवक व्यवसाय

i. दलाल को उस देश की पर्याप्त विशिष्ट जानकारी रखनी होगी जिसका व्यवसाय प्रस्तावित किया जा रहा है, जैसे :
राजनैतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिति, स्थानीय विनियम, कर संबंधी कानून, आदि।

ii. पुनर्बीमाकर्ताओं की व्यावसायिक योजना और जोखिम-वहन क्षमता के आधार पर नये व्यवसाय/ उत्पाद आरंभ करना

ख. जावक व्यवसाय

i. पुनर्बीमाकर्ता की रेटिंग और बाजार संबंधी विश्वसनीयता

(थ) निधियों के तत्परतापूर्वक संग्रहण और प्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए निधियों के लिए अनुवर्तन जैसा संगत हो, अध्यर्पणकर्ता से पुनर्बीमाकर्ता को तथा पुनर्बीमाकर्ता से अध्यर्पणकर्ता को निपटान के लिए नियत तारीखों से पर्याप्त समय पहले प्रारंभ करना होगा;

3. संमिश्र दलाल के कार्य – संमिश्र दलाल उपर्युक्त खंड 1 और 2 में उल्लिखित कार्य करेगा।

अनुसूची II

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 8 देखें)

प्रधान अधिकारी तथा बीमे की अपेक्षा करने के लिए उत्तरदायी किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए योग्यता, प्रशिक्षण और परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता

खंड 1 : न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ—

(क) किसी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था/विश्वविद्यालय से प्राप्त कला, विज्ञान, अथवा सामाजिक विज्ञान अथवा वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा उसकी समकक्ष योग्यता; अथवा

(ख) किसी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था/विश्वविद्यालय से प्राप्त इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि अथवा उसकी समकक्ष योग्यता; अथवा

(ग) किसी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था/विश्वविद्यालय से प्राप्त विधि में स्नातक उपाधि अथवा उसकी समकक्ष योग्यता; अथवा

(घ) किसी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त व्यवसाय-प्रशासन में मास्टर की उपाधि अथवा उसकी समकक्ष योग्यता; अथवा

(ङ) भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई का एसोसिएट/फेलो; अथवा

(च) जोखिम प्रबंध संस्थान, मुंबई का एसोसिएट/फेलो; अथवा

(छ) बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान, हैदराबाद की कोई स्नातकोत्तर अर्हता; अथवा

(ज) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली का एसोसिएट/फेलो; अथवा

(झ) इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउटेंट्स ऑफ इंडिया, कोलकाता का एसोसिएट/फेलो; अथवा

(ञ) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, नई दिल्ली का एसोसिएट/फेलो; अथवा

(ट) भारतीय बीमांकिक संस्थान का एसोसिएट/फेलो; अथवा

(ठ) चार्टर्ड इन्शूरेंस इन्स्टीट्यूट, लंदन का एसोसिएट/फेलो; अथवा

(ड) भारतीय सनदी वित्तीय विश्लेषक संस्थान का सनदी वित्तीय विश्लेषक; अथवा

(ढ) भारतीय बैंकर संस्थान, मुंबई का सर्टिफाइड एसोसिएटशिप; अथवा

(ण) इन विनियमों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कोई अन्य योग्यता;

खंड 2 : व्यावसायिक प्रशिक्षण और परीक्षा द्वारा प्रमाणीकरण :

(क) आवेदक के प्रधान अधिकारी को समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से निर्धारित पचास घंटों का सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त पूरा कर लेना चाहिए तथा प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे अथवा प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य परीक्षक निकाय द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित रूप में समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण निम्न स्थितियों में पच्चीस घंटे का होगा जहाँ आवेदक का प्रधान अधिकारी :

(i) इस प्रकार आवेदन जिस वर्ष में किया गया है, उससे पहले लगातार सात वर्ष की अवधि के लिए पुनर्बीमा संबंधी कार्यकलाप अथवा बीमा परामर्श कार्य करता रहा है; अथवा

(ii) प्राधिकरण को आवेदन करने से पहले कम से कम सात वर्ष की अवधि के लिए प्रधान जोखिम-अंकनकर्ता रहा है अथवा भारत में किसी राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी में प्रबंधक के पद पर कार्य करता रहा है; अथवा

(iii) भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई का एसोसिएट/ फेलो; अथवा जोखिम प्रबंध संस्थान, मुंबई का एसोसिएट/ फेलो; अथवा भारतीय बीमांकिक संस्थान का एसोसिएट/ फेलो; अथवा बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान, हैदराबाद की कोई स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त; अथवा चार्टर्ड इंश्यूरेंस इन्स्टीट्यूट, लंदन का एसोसिएट/ फेलो है;

(ग) जो उम्मीदवार उपर्युक्त (ख) के अंतर्गत आता है, उससे यह अपेक्षित होगा कि वह प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे अथवा प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य परीक्षक निकाय द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण करे।

अनुसूची III

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2013
(विनियम 13 देखें)

व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमे का अनुरक्षण—

(1) उक्त बीमा रक्षा अवश्य निम्नलिखित के संबंध में बीमा दलाल को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी

(क) उनकी ओर से अथवा उनके कर्मचारियों और निदेशकों की ओर से कोई भी त्रुटि अथवा चूक अथवा असावधानी;

(ख) धन अथवा अन्य संपत्ति की कोई भी हानि जिसके लिए दलाल किसी वित्तीय अथवा कपटपूर्ण कार्य अथवा चूक के परिणामस्वरूप कानूनी तौर पर बाध्य है;

(ग) दस्तावेजों की कोई हानि तथा इस प्रकार के दस्तावेजों को प्रतिस्थापित करने अथवा पुनःप्रचलित करने में लागतें और किये गये व्यय;

(घ) बीमा दलाल के कर्मचारियों अथवा भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा बेईमान और कपटपूर्ण कार्य अथवा चूकें ।

(2) उक्त क्षतिपूर्ति रक्षा—

(क) लाइसेंस की पूरी अवधि के लिए वार्षिक आधार पर होगी;

(ख) इस आशय की किसी शर्त से युक्त नहीं होगी कि दावों के भुगतान बीमा दलाल द्वारा पहले देयता पूरी करने के आधार पर होंगे;

(ग) इस बात का विचार किये बिना बीमे की अवधि के दौरान किये गये सभी दावों के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी कि दावा उत्पन्न करनेवाली घटना किस समय घटित हुई है ।

बशर्ते कि पूर्णतः उपर्युक्त अपेक्षाओं के अनुरूप न होनेवाली क्षतिपूर्ति बीमा रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमति उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किये जानेवाले कारणों के लिए विशेष मामलों में दी जाएगी ।

(3) बीमा दलालों के मामले में किसी एक दावे के लिए अथवा वर्ष के लिए कुल मिलाकर क्षतिपूर्ति की सीमा निम्नानुसार होगी :

बीमा दलाल की श्रेणी	<u>क्षतिपूर्ति की सीमा</u>
(क) प्रत्यक्ष दलाल	पचास लाख रुपये की न्यूनतम सीमा के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त पारिश्रमिक की तीन गुनी।
(ख) पुनर्बीमा दलाल	दो करोड़ और पचास लाख रुपये की न्यूनतम सीमा के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त पारिश्रमिक की तीन गुनी।
(ग) संमिश्र दलाल	पाँच करोड़ रुपये की न्यूनतम सीमा के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त पारिश्रमिक की तीन गुनी।

(4) प्रत्येक दावे के संबंध में अ-बीमाकृत आधिक्य बीमा दलाल द्वारा व्यवसाय में नियोजित पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(5) बीमा पॉलिसी भारत में किसी भी पंजीकृत बीमाकर्ता से प्राप्त की जाएगी जिसने

निम्नलिखित के लिए सहमति दी हो—

(क) इस बात के प्रमाण के रूप में कि उक्त रक्षा प्राधिकरण की अपेक्षाएँ पूरी करती है, बीमा दलाल की लाइसेंस संख्या, पॉलिसी संख्या, क्षतिपूर्ति की सीमा, आधिक्य और बीमाकर्ता के नाम सहित, नाम और पते से युक्त एक वार्षिक प्रमाणपत्र बीमा दलाल को उपलब्ध कराना;

(ख) बीमा दलाल को उक्त प्रमाणपत्र जारी करते समय प्राधिकरण को उक्त प्रमाणपत्र की एक अनुलिपि (डूप्लिकेट) प्रेषित करना; तथा

(ग) रक्षा के अमान्यकरण, उसका नवीकरण न कराने अथवा मध्यावधि में उसे निरस्त करने के किसी भी मामले की सूचना तत्काल बीमाकर्ता को देना ।

(6) प्रत्येक बीमा दलाल—

(क) यदि कोई रक्षा निरस्त की गई हो अथवा अमान्य की गई हो अथवा किसी पॉलिसी का नवीकरण नहीं किया गया हो तो प्राधिकरण को तत्काल सूचित करेगा;

(ख) उसके द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किये गये किसी भी दावे के संबंध में बीमाकर्ता को लिखित में तत्काल सूचित करेगा;

(ग) उन सभी परिस्थितियों अथवा घटनाओं की सूचना बीमाकर्ता को तत्काल देगा जो पॉलिसी के अंतर्गत दावा उत्पन्न कर सकती हों; तथा

(घ) जैसे ही कोई बीमाकर्ता सूचित करता है कि वह पॉलिसी के अंतर्गत दावे के संबंध में क्षतिपूर्ति को अस्वीकार करना चाहता है, तत्काल इसकी सूचना प्राधिकरण को देगा ।

अनुसूची IV

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

शुल्क (विनियम 14 देखें)

1. प्रत्येक बीमा दलाल लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय नीचे दर्शाये अनुसार वापस न करने योग्य आवेदन शुल्क अदा करेगा :

बीमा दलाल की श्रेणी	देय आवेदन शुल्क की राशि
प्रत्यक्ष दलाल	20,000 रुपये
पुनर्बीमा दलाल	25,000 रुपये
संमिश्र दलाल	40,000 रुपये

2. प्रत्येक बीमा दलाल नीचे निर्धारित किये अनुसार वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा :

बीमा दलाल की श्रेणी	प्रति वर्ष देय लाइसेंस शुल्क की राशि
प्रत्यक्ष दलाल	न्यूनतम 25,000 रुपये और अधिकतम 1,00,000 रुपये के अधीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अर्जित पारिश्रमिक के 0.50% की दर से परिकलित राशि।
पुनर्बीमा दलाल	न्यूनतम 75,000 रुपये और अधिकतम 3,00,000 रुपये के अधीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अर्जित पारिश्रमिक के 0.50% की दर से परिकलित राशि।
संमिश्र दलाल	न्यूनतम 1,25,000 रुपये और अधिकतम 5,00,000 रुपये के अधीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अर्जित पारिश्रमिक के 0.50% की दर से परिकलित राशि।

3. उक्त लाइसेंस शुल्क प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर से पहले अदा किया जाएगा।

4. प्रत्येक बीमा दलाल लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ 1000 रुपये (केवल एक हजार रुपये) का नवीकरण शुल्क अदा करेगा ।

5. उक्त शुल्क हैदराबाद में देय "बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण" के नाम आदाता खाता ड्राफ्ट द्वारा देय होगा ।

अनुसूची V

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 27 देखें)

पुनर्बीमा संविदाओं के मामले में पुनर्बीमा दलाल अथवा संमिश्र दलाल द्वारा संगृहीत धनराशियों के व्यवहार का तरीका

बीमा दलाल द्वारा संग्रहण की गई धनराशि के संबंध में निम्नलिखित तरीके से व्यवहार किया जाएगा :

(क) वह बीमा धनराशि के न्यासी के रूप में कार्य करेगा जोकि पुनर्बीमा दलाल के रूप में अपना कार्य संपन्न करने के लिए उससे अपेक्षित है तथा इस विनियम के प्रयोजनों के लिए यह माना जाएगा कि पुनर्बीमा दलाल को किया गया भुगतान पुनर्बीमाकर्ता को किया गया भुगतान समझा जाएगा;

(ख) वह सुनिश्चित करेगा कि `बीमा धनराशि' एक या उससे अधिक अनुसूचित बैंकों के पास अथवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य संस्थाओं के पास एक `बीमा बैंक खाते' में रखी जाएगी;

(ग) वह बैंक अथवा अन्य संस्था को लिखित रूप में सूचना देगा तथा उनसे लिखित रूप में पुष्टि प्राप्त करेगा कि वह उक्त खाते को किसी अन्य खाते के साथ सम्मिलित करने अथवा उस खाते में स्थित धनराशि के संबंध में समंजन (सेट-ऑफ़) करने के अधिकार, ऋण-भार या ग्रहणाधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं है;

(घ) वह सुनिश्चित करेगा कि बीमाकृत व्यक्ति से अथवा उसकी ओर से प्राप्त समस्त धनराशि `बीमा बैंक खाते' में अदा की जाएगी और तब तक जमाराशि के अंतर्गत रहने के लिए उक्त `बीमा बैंक खाते' में रखी जाएगी जब तक उसका अंतरण आगे पुनर्बीमाकर्ता को अथवा प्रत्यक्ष बीमाकर्ता को नहीं किया जाएगा।

(ङ) वह सुनिश्चित करेगा कि पॉलिसी के निरस्तीकरण अथवा उसकी शर्तों में परिवर्तन अथवा अन्यथा के कारण प्रत्यक्ष बीमाकर्ता को देय हो सकने वाली प्रीमियम की कोई भी धन-वापसी की राशि पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष बीमाकर्ता को अदा की जाएगी।

(च) वह सुनिश्चित करेगा कि प्राप्त वसूली/भुगतान पर ब्याज प्रत्यक्ष बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता के हित के लिए होगा।

(छ) वह उक्त 'बीमा बैंक खाते' से केवल प्रभार, शुल्क अथवा अर्जित कमीशन निकालेगा तथा इन्हें किसी अन्य खाते में अंतरित किया जा सकेगा;

(ज) वह सुनिश्चित करेगा कि 'बीमा बैंक खाते' से इस विनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार का अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा;

(झ) वह सुनिश्चित करेगा कि `बीमा बैंक खाते' में धारित धनराशियाँ बीमा दलाल द्वारा मीयादी जमाराशियों के रूप में नहीं रखी जाएँगी तथा अन्यत्र उनका निवेश नहीं किया जाएगा;

(ञ) यदि किसी समय, अपेक्षित "वियोजित राशि" में किसी भी कमी का उसे पता चलता है तब वह अपेक्षित स्थिति को पुनः प्रचलित करने के लिए तत्काल कदम उठायेगा।

टिप्पणी *: बीमा दलाल को प्रत्येक छमाही में इन विनियमों के प्रत्येक उपबंध के अनुपालन के संबंध में सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा विधिवत् प्रमाणित एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, बीमा दलाल प्रत्येक छमाही में प्रभारों, शुल्क अथवा उक्त अवधि के दौरान अर्जित दलाली/कमीशन की राशि तथा किसी अन्य खाते में किये गये किसी भी अंतरण के संबंध में सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।*

अनुसूची VI-ए

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

आचरण संहिता – बीमा दलाल

[विनियम 28 देखें]

1. प्रत्येक बीमा दलाल व्यावसायिक आचरण के मान्यताप्राप्त मानकों का अनुसरण करेगा तथा पॉलिसीधारकों के हित में अपने कार्यों का निर्वाह करेगा ।

2. **ग्राहक-संबंध से संबंधित मामलों में आचरण** – प्रत्येक बीमा दलाल :

   (क) हर समय अपने ग्राहकों से सर्वाधिक सद्भावना और सत्यनिष्ठा के साथ व्यवहार करेगा;

   (ख) सावधानी और कर्मठता के साथ कार्य करेगा;

   (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक यह समझे कि बीमा दलाल के साथ उसका क्या संबंध है और बीमा दलाल किसकी ओर से कार्य कर रहा है;

   (घ) भावी ग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सारी सूचना को पूर्णतः अपने तक और बीमाकर्ता(ओं) तक गोपनीय रखेगा जिन्हें व्यवसाय का प्रस्ताव किया जा रहा हो;

   (ङ) अपने कब्जे में स्थित गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा को बनाये रखने के लिए उपयुक्त कदम उठायेगा;

   (च) संबंध विकसित करने के लिए ग्राहक के विशिष्ट अधिकार को सुरक्षित रखेगा;

(छ) जिस ग्राहक के साथ वह व्यवहार कर रहा है, उसके प्रकार को तथा जोखिम और बीमे के संबंध में ग्राहक की जानकारी की सीमा को समझेगा;

(ज) बीमाकर्ता के पास ग्राहक का प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राहक से लिखित आदेश प्राप्त करेगा तथा बीमे को लागू करने के बाद ग्राहक को रक्षा प्रदान करने की सूचना देगा;

(झ) बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता के पास ग्राहक का प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राहक से लिखित आदेश प्राप्त करेगा; तथा पुनर्बीमे को लागू करने के बाद बीमाकर्ता को रक्षा की पुष्टि करेगा, एवं संबंधित पुनर्बीमा स्वीकृति और स्थापन की पर्चियाँ प्रस्तुत करेगा;

(ञ) हितों के संघर्ष से बचेगा;

(ट) अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेगा ।

3. **विक्रय प्रथाओं से संबंधित मामलों में आचरण –** प्रत्येक बीमा दलाल :-

(क) इस बात की पुष्टि करेगा कि वह भारतीय बीमा दलाल संघ अथवा प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित ऐसे दलालों के निकाय का सदस्य है जिसका प्राधिकरण के साथ सहमति ज्ञापन है;

(ख) यह पुष्टि करेगा कि वह व्यवसाय उत्पन्न करने के लिए एजेंटों अथवा अनुयाचकों को नियुक्त नहीं करेगा;

(ग) स्वयं की पहचान करेगा तथा प्रस्ताव पर स्थित उत्पादों में विकल्प की श्रेणी को यथाशीघ्र स्पष्ट करेगा;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि वह जिस सेवा का प्रस्ताव कर सकता है उसके प्रकार को ग्राहक समझता है;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित पॉलिसी भावी ग्राहक की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है;

(च) केवल उन्हीं विषयों में सलाह देगा जिनका वह जानकार है तथा जब आवश्यकता होगी तब परामर्श के लिए अन्य विशेषज्ञ से अपेक्षा करेगा अथवा उसकी सिफारिश करेगा;

(छ) किसी बीमाकर्ता अथवा भारतीय बीमा दलाल संघ के किसी सदस्य अथवा प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित बीमा दलालों के ऐसे निकाय के सदस्य की अयथार्थ या अनुचित आलोचना नहीं करेगा;

(ज) यह स्पष्ट करेगा कि किसी पॉलिसी अथवा पॉलिसियों का प्रस्ताव क्यों किया गया है तथा जहाँ उत्पादों का विकल्प है वहाँ मूल्य, रक्षा अथवा सेवा के तौर पर तुलना उपलब्ध कराएगा;

(झ) यदि प्रस्तावित रक्षा तुरंत लागू नहीं की गई हो तो रक्षा की वह अवधि स्पष्ट करेगा जब तक भाव (कोटेशन) वैध रहेगा;

(ञ) यह स्पष्ट करेगा कि प्रीमियम कब और कैसे देय है तथा ऐसे प्रीमियम का संग्रहण कैसे किया जाएगा, जहाँ प्रीमियम का पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषण दूसरा पक्षकार कर रहा है वहाँ उस पक्षकार के प्रति ग्राहक की संभावित देनदारी सहित ग्राहक को पूरा विवरण दिया जाएगा; तथा

(ट) हानि होने की स्थिति में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रियाएँ स्पष्ट करेगा ।

(ठ) धन शोधन (मनी लांडरिंग) की किसी भी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा ।

(ड) यह सुनिश्चित करेगा कि बीमा दलाल भ्रमजनक कॉलों या अप्रामाणिक कॉलों द्वारा स्वयं अथवा कॉल सेंटरों के माध्यम से व्यवसाय प्राप्त करने में लिप्त नहीं है।

4. **सूचना प्रस्तुत करने से संबंधित आचरण –** प्रत्येक बीमा दलाल –

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रकटीकरण न करने और अयथार्थताओं के परिणाम भावी ग्राहक को बताये जाएँगे;

(ख) भावी ग्राहक को प्रभावित करने से बचेगा तथा यह स्पष्ट कर देगा कि दिये गये सभी उत्तरों अथवा वक्तव्यों की जिम्मेदारी ग्राहक की स्वयं की होगी। दस्तावेजों में दी गई सूचना के ब्योरे की जाँच सावधानीपूर्वक करने के लिए ग्राहक से कहेगा तथा उस स्थिति में ग्राहक से निवेदन करेगा कि वह सही, उचित और पूरा प्रकटीकरण करे जहाँ उसे यकीन है कि ग्राहक ने ऐसा नहीं किया है एवं यदि आगे का प्रकटीकरण प्राप्त नहीं हो रहा हो तो उसे आगे की कार्रवाई करने से इनकार करने पर विचार करना चाहिए;

(ग) पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान बीमे को प्रभावित कर सकने वाले सभी परवर्ती परिवर्तनों के प्रकटीकरण का महत्व ग्राहक को स्पष्ट करेगा; तथा

(घ) अपनी जानकारी में स्थित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकटीकरण ग्राहक की ओर से करेगा तथा जोखिम का एक उचित प्रस्तुतीकरण करेगा ।

5. **बीमा संविदा के स्पष्टीकरण से संबंधित आचरण –** प्रत्येक बीमा दलाल :

(क) बीमा संविदा के अंतर्गत सहभागिता करनेवाले बीमाकर्ता(ओं) की सूची उपलब्ध कराएगा तथा उसके बाद होनेवाले किसी भी परिवर्तन की सूचना देगा;

(ख) अपने द्वारा सिफारिश की गई पॉलिसी द्वारा दी जानेवाली रक्षा के सभी आवश्यक प्रावधानों के बारे में स्पष्ट करेगा ताकि भावी ग्राहक यथासंभव समझ सके कि क्या खरीदा जा रहा है;

(ग) बीमाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये रूप में शर्तों को ठीक-ठीक उद्धृत करेगा;

(घ) पॉलिसी के अंतर्गत लगाई गई किसी भी वारंटी, प्रमुख अथवा असाधारण प्रतिबंधों, पॉलिसी के अंतर्गत अपवर्जनों की ओर ध्यान आकर्षित करेगा तथा यह स्पष्ट करेगा कि संविदा को कैसे निरस्त किया जा सकता है;

(ङ) तत्परतापूर्वक लिखित रूप में ग्राहक को इस बात की पुष्टि उपलब्ध कराएगा कि बीमे को लागू किया गया है । यदि इस पुष्टि के साथ अंतिम पॉलिसी वाक्यरचना सम्मिलित नहीं है तो इसे यथाशीघ्र प्रेषित किया जाएगा;

(च) किसी भी बीमा संविदा की शर्तों में होनेवाले परिवर्तन सूचित करेगा तथा किसी परिवर्तन के लागू होने से पहले उचित रूप से नोटिस देगा;

(छ) अपने ग्राहकों को उनकी ओर से प्रस्तावित किसी भी बीमे की सूचना देगा जो भारत से बाहर किसी बीमाकर्ता के साथ लागू किया जाएगा जहाँ अनुमति दी गई हो, तथा यदि उचित हो तो संबद्ध संभावित जोखिमों के बारे में सूचित करेगा; तथा

6. **पॉलिसियों के नवीकरण से संबंधित आचरण –** प्रत्येक बीमा दलाल :-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसका ग्राहक बीमे के समाप्त होने की तारीख जानता है, भले ही वह ग्राहक को आगे और रक्षा न देने के प्रस्ताव के विकल्प का चयन करता हो;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि पॉलिसी के प्रारंभ अथवा अंतिम नवीकरण की तारीख से घटित हो चुके ऐसे परिवर्तन जो पॉलिसी को प्रभावित करते हों, सूचित करने की आवश्यकता सहित, नवीकरण की सूचनाओं में प्रकटीकरण के कर्तव्य के बारे में एक चेतावनी निहित हो;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि नवीकरण की सूचनाओं में संविदा के नवीकरण के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता को उपलब्ध कराई गई समस्त सूचना का अभिलेख (पत्रों की प्रतियों सहित) रखने की अपेक्षा निहित हो;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को समाप्ति की तारीख से काफी पहले बीमाकर्ता की ओर से नवीकरण का निमंत्रण प्राप्त हो ।

7. **ग्राहक द्वारा दावे के संबंध में आचरण –** प्रत्येक बीमा दलाल :—

(क) ग्राहकों को तत्परतापूर्वक अपने दावे सूचित करने तथा सभी महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करने और परवर्ती घटनाओं की सूचना यथाशीघ्र देने का उनका दायित्व स्पष्ट करेगा;

(ख) ग्राहक से सही, उचित और पूर्ण प्रकटीकरण करने का अनुरोध करेगा जहाँ उसे विश्वास हो कि ग्राहक ने ऐसा नहीं किया है । यदि आगे का प्रकटीकरण प्राप्त नहीं हो रहा हो तो वह ग्राहक के लिए आगे और कार्य करने से इनकार करने पर विचार करेगा;

(ग) दावे से संबंधित किसी भी अपेक्षा के बारे में ग्राहक को तत्काल सूचित करेगा;

(घ) किसी दावे अथवा दावा उत्पन्न करनेवाली किसी घटना के संबंध में ग्राहक से प्राप्त कोई भी सूचना अविलंब, तथा किसी भी स्थिति में तीन कार्यदिवसों के अंदर प्रेषित करेगा;

(ङ) किसी दावे के संबंध में बीमाकर्ता के निर्णय अथवा अन्यथा स्थिति के संबंध में ग्राहक को अविलंब सूचित करेगा; तथा अपने दावे के संबंध में अनुसरण करने में ग्राहक की हर प्रकार से यथोचित सहायता करेगा ।

बशर्ते कि बीमा दलाल ऐसी किसी पॉलिसी संविदा के संबंध में वसूली का कार्य हाथ में नहीं लेगा जिसके संबंध में उसके माध्यम से व्यवस्था नहीं की गई है तथा विनियम 32 के अंतर्गत अनुमति-प्राप्त दावों को छोड़कर उसे ऐसी किसी पॉलिसी के संबंध में दावा परामर्शदाता के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए जिसके संबंध में उसके द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है ।

8. **शिकायतें प्राप्त करने से संबंधित आचरण –** प्रत्येक बीमा दलाल :—

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि अनुदेश पत्रों, पॉलिसियों और नवीकरण दस्तावेजों में शिकायतों के निपटान की प्रक्रियाएँ निहित होंगी;

(ख) शिकायतें फोन पर अथवा लिखित में स्वीकार करेगा;

(ग) शिकायत प्राप्त होने की सूचना पत्राचार की प्राप्ति से चौदह दिनों के अंदर भेजेगा तथा शिकायत के संबंध में कार्रवाई करनेवाले स्टाफ-सदस्य को उस पर कार्रवाई करने के लिए समय-सारणी के साथ सूचित करेगा;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि जवाबी पत्र भेजे जाएँगे तथा शिकायतकर्ता को सूचित करेगा कि यदि जवाबी पत्र से वह असंतुष्ट है तो वह क्या कर सकता है;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों पर उचित रूप से वरिष्ठ स्तर पर कार्रवाई की जाएगी;

(च) शिकायतों को दर्ज करने और उनपर निगरानी रखने के लिए उसके पास एक प्रणाली विद्यमान होगी ।

9. **प्रलेखीकरण के संबंध में आचरण –** प्रत्येक बीमा दलाल :-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि जारी किये गये कोई भी दस्तावेज समय-समय पर प्रचलित सभी सांविधिक और विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार होंगे;

(ख) पॉलिसी प्रलेख परिहार्य विलंब के बिना भेजेगा;

(ग) पॉलिसी प्रलेखों के साथ यह सूचना उपलब्ध कराएगा कि ग्राहक द्वारा प्रलेखों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाएगा और उन्हें सँभालकर रखा जाएगा;

(घ) ग्राहकों की सहमति के बिना उनसे प्राप्त प्रलेखों को रोक नहीं रखेगा जब तक कि ग्राहक को पर्याप्त और उचित कारण लिखित में और अविलंब प्रकट न किये जाएँ। जहाँ प्रलेखों को रोक रखा जाता है, वहाँ भी ग्राहक को बीमा संविदा संबंधी पूरा विवरण अवश्य प्राप्त होना चाहिए;

(ङ) बीमा पॉलिसी के संबंध में प्राप्त सभी धनराशियों की प्राप्ति-सूचना भेजेगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर तत्परतापूर्वक भेजे जाएँ तथा सभी पत्रों के लिए त्वरित उत्तर प्राप्त होने के लिए अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करेगा; तथा

(छ) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लिखित शर्तें उचित विषय-वस्तु से युक्त होंगी तथा उनमें ग्राहकों के अधिकार और दायित्व स्पष्ट रूप से और सरल भाषा में निर्दिष्ट होंगी; तथा

(ज) अपने को देय किसी भी धनराशि के भुगतान के अधीन, ग्राहक द्वारा बताये गये किसी नये बीमा दलाल को वे सभी प्रलेख उपलब्ध कराएगा जिनके लिए ग्राहक हकदार है तथा ग्राहक की ओर से कार्य करने के लिए नये बीमा दलाल को जिनकी आवश्यकता है ।

10. **विज्ञापन से संबंधित मामलों में आचरण.**—प्रत्येक बीमा दलाल बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000 के संबंधित उपबंधों के अनुरूप होगा, तथा :—

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि दिये गये वक्तव्य भ्रमजनक और अतिरंजक नहीं हैं;

(ख) जहाँ उपयुक्त हो वहाँ संविदागत लाभों जिन्हें प्रदान करने के लिए बीमा पॉलिसी बाध्य है तथा गैर-संविदागत लाभों जिन्हें प्रदान किया जा सकता है, के बीच भेद दिखालायेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापन केवल एक बीमाकर्ता की पॉलिसियों तक ही सीमित नहीं होंगे, उस स्थिति को छोड़कर जहाँ ऐसे प्रतिबंध के लिए कारण उस बीमाकर्ता के पूर्व-अनुमोदन से पूरी तरह स्पष्ट नहीं किये जाते हों;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापनों में ऐसा कुछ भी निहित नहीं होगा जिससे कानून का उल्लंघन होता है अथवा कानून द्वारा अपेक्षित कोई बात उनमें से नहीं छूटेगी;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापन से कानून की अवज्ञा अथवा उल्लंघन को प्रोत्साहन या छूट नहीं मिलती;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि आम तौर पर औचित्य और मर्यादा के प्रचलित मानकों के आलोक में विज्ञापनों के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिनके कारण गंभीर और व्यापक अपराध अथवा अव्यवस्था के उत्पन्न होने की संभावना हो;

(छ) यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापन इस प्रकार तैयार नहीं किये जाएँगे जिससे ग्राहकों के विश्वास का दुरुपयोग हो सके अथवा उनके पास अनुभव और जानकारी न होने का अनुचित लाभ उठाया जा सके;

(ज) यह सुनिश्चित करेगा कि वस्तुनिष्ठ रूप से जानने योग्य तथ्यों के मामलों से संबंधित सभी विवरण, दावे और तुलनाएँ प्रमाणीकरण के लिए सक्षम होंगी ।

11. पारिश्रमिक की प्राप्ति से संबंधित मामलों में आचरण.—प्रत्येक बीमा दलाल :—

(क) यह प्रकट करेगा कि क्या वह इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित पारिश्रमिक के अतिरिक्त ग्राहक से प्रभार वसूल करने का प्रस्ताव करता है, और यदि ऐसा है तो किस प्रकार से;

(ख) ग्राहक को बीमा प्रीमियम और किसी शुल्क अथवा प्रभार तथा किसी संबंधित सेवा के प्रयोजन के विषय में अलग से लिखित में सूचित करेगा;

(ग) यदि ग्राहक द्वारा अनुरोध किया जाता है तो पारिश्रमिक की राशि अथवा उस ग्राहक के लिए बीमा लागू करने के परिणामस्वरूप प्राप्त की जानेवाली अन्य पारिश्रमिक की राशि प्रकट करेगा । इसमें बीमा संविदा की व्यवस्था के अतिरिक्त ग्राहक की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रदान की गई किसी भी सेवा के परिणामस्वरूप प्राप्त कोई भी भुगतान शामिल होगा; तथा

(घ) बीमा लागू करने से पहले, ग्राहक के लिए वसूल की गई दावे की राशि में से कोई कटौती करने के लिए ग्राहकों की इच्छा उन्हें सूचित करेगा, जहाँ संबंधित बीमे के प्रकार के लिए यह मान्यताप्राप्त प्रथा हो ।

12. प्रशिक्षण संबंधी मामलों से संबंधित आचरण – प्रत्येक बीमा दलाल :-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसका स्टाफ इस संहिता द्वारा उनसे प्रत्याशित मानकों को जानता है और उनका पालन करता है;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि स्टाफ सक्षम और उपयुक्त हैं तथा उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके स्टाफ द्वारा दिये गये परामर्श की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए प्रणाली विद्यमान है;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि स्टाफ के सदस्य अपने कार्यकलापों को प्रभावित करनेवाले एजेंसी के कानून सहित कानूनी अपेक्षाओं के जानकार हैं; तथा वे केवल उन्हीं श्रेणियों के व्यवसाय को संभालेंगे जिनमें वे सक्षम हैं;

(ङ) अधिनियम की धारा 41 की ओर ग्राहक का ध्यान आकर्षित करेगा जो कमीशन में छूट और हिस्सेदारी को प्रतिबंधित करती है ।

13. प्रत्यक्ष और पुनर्बीमा दलालों के लिए सामान्य सूचना और शिक्षा

(क) बीमा दलाल उद्योग की शिक्षा संबंधी पहलों को समर्थन देगा जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं और समुदाय को बीमे के विषय में स्पष्ट करना हो।

(ख) बीमा दलाल ग्राहक के लिए निम्नलिखित को शीघ्र उपलब्ध कराएगा :

(i) बीमे से संबंध में अद्यतन जानकारी;

(ii) बीमाकृत व्यक्तियों हेतु आवश्यक बीमे के स्तर का निर्धारण करने के लिए उनके सहायतार्थ सूचना; तथा

(iii) बीमा उत्पादों और सेवाओं, तथा इस आचरण संहिता के बारे में सूचना।

14. प्रत्येक बीमा दलाल ऐसे प्रत्येक कार्यालय में जहाँ वह कारोबार संचालित कर रहा है और जहाँ जनसाधारण की पहुँच है, इस आशय की एक नोटिस प्रदर्शित करेगा कि अनुरोध करने पर आचरण-संहिता की प्रति उपलब्ध है

तथा यदि जनता का कोई सदस्य कोई शिकायत करना चाहता है अथवा किसी विवाद का समाधान करने में प्राधिकरण से सहायता की अपेक्षा करता है तो वह प्राधिकरण को लिख सकता है।

15. इन विनियमों में यथापरिभाषित बीमा दलाल अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत किसी बीमाकर्ता के बीमा दलाल के रूप में कार्य नहीं करेगा।

16. प्रत्येक बीमा दलाल बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41), उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंधों का पालन करेगा जो बीमा दलालों के रूप में उनके द्वारा किये जानेवाले कार्यकलापों पर लागू हो सकते हैं और उनके लिए संगत हैं।

अनुसूची VI-बी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 28 देखें)

पुनर्बीमा दलाल और संमिश्र दलाल के लिए अतिरिक्त आचरण-संहिता

1. सामान्य (पुनर्बीमे की सभी संविदाओं पर लागू)

क) संमिश्र बीमा दलाल अथवा पुनर्बीमा दलाल जोखिम का बीमा करनेवाले बीमाकर्ता अथवा उस बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता जिसे जोखिम के लिए शर्तें बताने के लिए कहा गया है, के विशिष्ट लिखित प्राधिकरण के बिना किसी भी जोखिम के संबंध में पुनर्बीमा रक्षा के लिए शर्तें विकसित करने अथवा पुनर्बीमे का स्थापन करने के लिए पुनर्बीमा बाजारों में प्रवेश नहीं करेगा।

ख) पुनर्बीमा दलाल अथवा संमिश्र दलाल पुनर्बीमे का स्थापन करने के लिए आदेश प्राप्त करने की प्रत्याशा में पुनर्बीमा क्षमता को अवरुद्ध नहीं करेगा।

ग) बीमा दलाल बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को बाजार में प्रवेश करने से पहले, प्रयुक्त की जानेवाली पुनर्बीमा स्थापन पर्ची की एक सही और पूर्ण प्रतिलिपि उपलब्ध कराएगा। बीमा दलाल उक्त स्थापन पर्ची में बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित कोई भी आशोधन अथवा सुधार सम्मिलित करेगा।

घ) बीमा दलाल बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को अपने द्वारा विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त सभी शर्तें (अनुमत पुनर्बीमा कमीशन और दलाली सहित) प्रस्तुत करेगा तथा वह हिस्सा जो अग्रणी पुनर्बीमाकर्ता उन शर्तों पर लिखना चाहता है और स्वीकार्य पुनर्बीमा सुरक्षा के साथ, बताई गई शर्तों पर अपेक्षित पुनर्बीमा के स्थापन के बारे में बीमा दलाल की प्रत्याशा निर्दिष्ट करेगा।

ङ) बीमा दलाल बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को, शर्तें बताते हुए अग्रणी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित स्थापन पर्ची की एक सही प्रतिलिपि उसपर पुनर्बीमाकर्ता की हस्ताक्षरित लाइन निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत करेगा।

च) जहाँ जोखिम पर पुनर्बीमा विभिन्न शर्तों पर विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं के पास रखने का प्रस्ताव किया जाता है, वहाँ यह तथ्य उपयुक्त रूप से पुनर्बीमाकर्ताओं को प्रकट किया जाएगा कि सभी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए शर्तें एकसमान नहीं हैं।

छ) बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता ने जब बताई गई पुनर्बीमा शर्तें स्वीकार कर ली हैं, तब बीमा दलाल अपेक्षित पुनर्बीमा रक्षा स्थापित करेगा तथा समय-समय पर स्थापन की प्रगति के बारे में बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को सूचित करता रहेगा। जोखिम जिन पुनर्बीमाकर्ताओं को प्रस्तावित किया जाता है, उनका चयन करने में बीमा दलाल केवल ऐसे ही पुनर्बीमाकर्ताओं का उपयोग करने की आवश्यकता के संबंध में सतर्क रहेगा जो किसी मान्यताप्राप्त रेटिंग एजेंसी द्वारा बीबीबी अथवा उससे उच्चतर रेटिंग प्राप्त हैं, जैसा कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा – पुनर्बीमा) विनियम, 2013 के विनियम 3(9) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013 के विनियम 8(क) द्वारा अपेक्षित है। जहाँ पुनर्बीमा का अधिस्थापन किया जाता है, वहाँ अच्छी बाजार प्रथा के साथ सुसंगत तरीके से बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता के साथ परामर्श करने के बाद हस्ताक्षर किये जाएँगे।

ज) पुनर्बीमे का स्थापन पूरा करने के तत्काल बाद बीमा दलाल रक्षा की शर्तें और पुनर्बीमाकर्ताओं के नाम तथा उनमें से प्रत्येक के साथ स्थापित हिस्सों की सूचना देते हुए बीमा दलाल का रक्षा नोट जारी कर सकता है। उक्त कवर नोट के अंतर्गत पुनर्बीमे के लिए लागू सभी महत्वपूर्ण खंडों और शर्तों की सूचीबद्धता निहित हो सकती है तथा जहाँ खंडों की वाक्यरचना/शब्दावली बाजार मानक के अनुरूप नहीं है, वहाँ पुनर्बीमा संविदा में प्रयुक्त की जानेवाली वाक्यरचना/ शब्दावली बीमा दलाल के रक्षा नोट के साथ संलग्न की जाएगी।

झ) बीमा दलाल पुनर्बीमा प्रीमियम प्राप्त करने के बाद एक महीने के अंदर एक औपचारिक हस्ताक्षरित पुनर्बीमा पॉलिसी प्रलेख अथवा संबंधित पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित पुनर्बीमा संविदा के अन्य स्वीकार्य प्रमाण के द्वारा उक्त रक्षा नोट का अनुवर्तन करेगा।

ञ) बीमा दलाल के पास एक आंतरिक सुरक्षा जाँच प्रक्रिया होगी अथवा वह मान्यताप्राप्त साख-श्रेणी-निर्धारण एजेंसियों द्वारा दी गई साख रेटिंग का अनुसरण करेगा तथा एक या उससे अधिक पुनर्बीमाकर्ताओं की साख रेटिंग के बारे में बीमाकर्ता द्वारा उठाये गये किसी भी प्रश्न का उत्तर अविलंब देगा। जहाँ बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता किसी भी कारण से किसी विशिष्ट पुनर्बीमाकर्ता को स्वीकार करने से इनकार करता है तथा जोखिम के प्रारंभ से पहले सुरक्षा को बदलने के लिए बीमा दलाल से कहता है वहाँ बीमा दलाल तत्परतापूर्वक इस प्रकार करेगा और रक्षा के संबंध में लाये गये नये पुनर्बीमाकर्ता के संबंध में उक्त बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को सूचित करेगा।

2. आनुपातिक समझौते अथवा गैर-आनुपातिक समझौते का स्थापन

क) आनुपातिक समझौते का स्थापन करने के लिए आमंत्रित संमिश्र बीमा दलाल अथवा पुनर्बीमा दलाल पुनर्बीमाकर्ता के सहयोग से समझौता प्रस्ताव पर्ची तैयार करेगा तथा बाजार में प्रवेश करने से पहले उक्त पर्ची और सूचना के प्रति बीमाकर्ता की सहमति प्राप्त करेगा।

ख) जहाँ पुनर्बीमा समझौते का स्थापन विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं के पास अलग-अलग शर्तों पर किया जाता है, वहाँ इस तथ्य की जानकारी कि इस प्रकार की प्रथा विद्यमान है, सभी पुनर्बीमाकर्ताओं को उपयुक्त रूप से दी जाएगी।

ग) जहाँ कोई पुनर्बीमाकर्ता एक हिस्सा किसी शर्त के अधीन स्वीकार करता है, वहाँ स्थापन को बाध्यकारी बनाने से पहले, अध्यर्पण करनेवाले बीमाकर्ता को इन शर्तों की जानकारी दी जाएगी और उसकी सहमति प्राप्त की जाएगी।

घ) बीमा दलाल समझौते के स्थापन की प्रगति समय-समय पर सूचित करेगा। स्थापन को पूरा करने के तत्काल बाद बीमा दलाल समझौते की शर्तें निर्धारित करनेवाला रक्षा नोट तथा पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची उनके हिस्सों के साथ जारी करेगा। जहाँ किसी समझौते का अधिस्थापन किया जाता है, वहाँ बीमा दलाल बीमाकर्ता के साथ परामर्श करने के बाद अच्छी बाजार प्रथा के अनुरूप सुसंगत तरीके से हिस्सों को कम संकेतित करेगा।

ङ) बीमा दलाल स्थापन को पूरा करने के तीन महीने के अंदर औपचारिक समझौते की वाक्यरचना/शब्दावली अथवा अन्य औपचारिक पुनर्बीमा संविदा प्रलेखीकरण के संबंध में हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

च) बीमा दलाल के पास एक आंतरिक सुरक्षा जाँच प्रक्रिया होगी अथवा वह मान्यताप्राप्त साख-श्रेणी-निर्धारण एजेंसियों द्वारा दी गई साख रेटिंग का अनुसरण करेगा तथा एक या उससे अधिक पुनर्बीमाकर्ताओं की साख रेटिंग के बारे में अध्यर्पण करनेवाले बीमाकर्ता द्वारा उठाये गये किसी भी प्रश्न का उत्तर अविलंब देगा। जहाँ बीमाकर्ता किसी भी कारण से किसी विशिष्ट पुनर्बीमाकर्ता को स्वीकार करने से इनकार करता है तथा पुनर्बीमा अवधि के प्रारंभ से पहले सुरक्षा को बदलने के लिए बीमा दलाल से कहता है वहाँ बीमा दलाल तत्परतापूर्वक इस प्रकार करेगा और रक्षा के संबंध में लाये गये नये पुनर्बीमाकर्ता के संबंध में उक्त बीमाकर्ता को सूचित करेगा।

3. विदेशी आवक पुनर्बीमा का स्थापन

क) पुनर्बीमा दलाल सुनिश्चित करेगा कि भारतीय पुनर्बीमाकर्ता विदेश स्थित बीमाकर्ता से पुनर्बीमा प्रीमियम पुनर्बीमा संविदा में निर्धारित प्रीमियम भुगतान शर्त के अनुसार प्राप्त करेगा/करेंगे।

ख) पुनर्बीमा दलाल जोखिम का बीमा करनेवाले विदेश स्थित बीमाकर्ता अथवा बीमाकर्ता जिसे जोखिम के लिए शर्तें बताने के लिए कहा गया है, के विशिष्ट लिखित प्राधिकार के बिना पुनर्बीमा रक्षा के लिए शर्तें विकसित करने अथवा किसी भी जोखिम पर पुनर्बीमा का स्थापन करने के लिए भारतीय पुनर्बीमा बाजारों में प्रवेश नहीं करेगा।

ग) पुनर्बीमा दलाल विदेश स्थित ग्राहक के संबंध में किन्हीं भी शर्तों के लिए वचनबद्ध होने से पहले, प्रयुक्त की जानेवाली स्थापन पर्ची की एक सही और संपूर्ण प्रतिलिपि भारत में स्थित पुनर्बीमाकर्ता को उपलब्ध कराएगा। बीमा दलाल उक्त स्थापन पर्ची में पुनर्बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित कोई भी आशोधन अथवा सुधार शामिल करेगा।

घ) बीमा दलाल विदेश स्थित बीमाकर्ता को, विभिन्न भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं से अपने द्वारा प्राप्त सभी शर्तें (अनुमत पुनर्बीमा कमीशन और दलाली सहित) प्रस्तुत करेगा तथा वह हिस्सा निर्दिष्ट करेगा जो पुनर्बीमाकर्ता उन शर्तों पर लिखना चाहता है और स्वीकार्य पुनर्बीमा सुरक्षा के साथ बताई गई शर्तों पर अपेक्षित पुनर्बीमा के स्थापन के बारे में बीमा दलाल की प्रत्याशा सूचित करेगा।

ङ) बीमा दलाल विदेश स्थित बीमाकर्ता को शर्तें बताते हुए भारतीय पुनर्बीमाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित स्थापन पर्ची की एक सही प्रतिलिपि उस पर पुनर्बीमाकर्ता की हस्ताक्षरित लाइन निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत करेगा।

च) जहाँ जोखिम के पुनर्बीमे का स्थापन विभिन्न शर्तों पर विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं के पास करना प्रस्तावित है, वहाँ यह तथ्य कि सभी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए शर्तें एकसमान नहीं हैं, पुनर्बीमाकर्ताओं को उपयुक्त रूप से प्रकट किया जाएगा।

छ) बीमा दलाल किसी भी आवक व्यवसाय के कारण उत्पन्न होनेवाले दावे के संबंध में कार्रवाई करने के लिए भारतीय पुनर्बीमाकर्ता(ओं) द्वारा अपेक्षित रूप में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगा।

4. विदेश स्थित पुनर्बीमाकर्ताओं के पास स्थापित पुनर्बीमा व्यवसाय

क) पुनर्बीमा दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि विदेश स्थित केवल उन्हीं पुनर्बीमाकर्ताओं के पास व्यवसाय का स्थापन किया जाता है जो प्राधिकरण के पास पंजीकृत हैं;

ख) पुनर्बीमा दलाल पुनर्बीमा व्यवसाय का स्थापन करते समय किसी भी कराधान, विदेशी मुद्रा, धन-शोधन निवारण अथवा किसी भी अन्य प्रयोज्य सांविधिक कानून का पालन सुनिश्चित करेगा।

5. विपत्तियों और आपदाओं के लिए प्रतिक्रिया

क) पुनर्बीमा दलाल बाढ़, भूकंप, चक्रवात, प्रचंड तूफान और ओला-वृष्टि जैसी विपत्तियों और आपदाओं के संबंध में जो बड़ी संख्या में दावों के लिए कारणभूत हैं, समयोचित, व्यावसायिक और व्यावहारिक रूप में तथा सहानुभूतिपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया दर्शायेगा।

6. पुनर्बीमा संविदा के स्पष्टीकरण के संबंध में आचरण—प्रत्येक पुनर्बीमा दलाल :

क) पुनर्बीमा संविदा के अंतर्गत सहभागिता करनेवाले पुनर्बीमाकर्ता(ओं) की सूची उपलब्ध कराएगा तथा उसके बाद होनेवाले किसी भी परवर्ती परिवर्तन की सूचना देगा;

ख) अपने द्वारा सिफारिश की गई पॉलिसी द्वारा प्रदत्त रक्षा के सभी आवश्यक प्रावधानों को स्पष्ट करेगा ताकि यथासंभव भावी ग्राहक समझ सके कि वह क्या खरीद रहा है;

ग) शर्तें बिलकुल उसी रूप में बतायेगा जैसी कि पुनर्बीमाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं;

घ) पॉलिसी के अंतर्गत लागू की गई किसी भी वारंटी, प्रमुख और असाधारण प्रतिबंधों, पॉलिसी के अंतर्गत अपवर्जनों की ओर ध्यान आकर्षित करेगा तथा यह स्पष्ट करेगा कि संविदा किस प्रकार निरस्त की जा सकती है;

ङ) बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को तत्परतापूर्वक लिखित रूप में इस बात की पुष्टि उपलब्ध कराएगा कि पुनर्बीमा लागू कर दिया गया है। यदि इस पुष्टीकरण के साथ अंतिम पॉलिसी वाक्यरचना शामिल नहीं की गई है तो वह यथाशीघ्र प्रेषित की जाएगी।;

च) किसी भी पुनर्बीमा संविदा की शर्तों में परिवर्तन सूचित करेगा तथा किसी भी परिवर्तन के प्रभावी होने से पहले उचित नोटिस देगा;

अनुसूची VII

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 39 देखें)

निरीक्षण प्रक्रिया

1. **निरीक्षण से पहले सूचना.**—(क) विनियम 39 के अधीन निरीक्षण करने से पहले प्राधिकरण इस प्रयोजन के लिए बीमा दलाल को दस दिन की सूचना देगा ।

(ख) उपर्युक्त खंड 1(क) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहाँ प्राधिकरण संतुष्ट है कि पॉलिसीधारकों के हित में ऐसी कोई सूचना नहीं दी जाएगी, वह लिखित में दर्ज किये कारणों से यह निदेश दे सकता है कि ऐसी किसी सूचना के बिना बीमा दलाल के कार्यों का निरीक्षण किया जाए ।

(ग) बीमा दलाल निरीक्षण प्राधिकारी को ऐसे बीमा दलाल द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिकृत परिसर में पूर्णतः प्रवेश करने देगा तथा बीमा दलाल के कब्जे में स्थित बहियों, अभिलेखों, दस्तावेजों और कंप्यूटर डेटा की जाँच करने के लिए सभी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएगा ।

(घ) निरीक्षण प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह निरीक्षण के दौरान बीमा दलाल के किसी प्रधान अधिकारी अथवा किसी कर्मचारी के वक्तव्यों की जाँच करे अथवा उन्हें अभिलिखित करे तथा उसे शक्तियाँ होंगी कि वह दस्तावेजों/अभिलेखों को जब्त करे अथवा उनकी प्रतियाँ निकाले ।

(ङ) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण के संबंध में हर प्रकार से सहयोग प्रदान करे जिसकी प्रत्याशा बीमा दलाल से प्राप्त करने के लिए उचित रूप से की जा सकती है ।

(च) इस संबंध में प्राधिकरण की अपेक्षाओं का पालन न करने अथवा निरीक्षण अधिकारियों को सहयोग प्रदान न करने का परिणाम लाइसेंस का निलंबन होगा।

2. **प्राधिकरण को रिपोर्ट की प्रस्तुति.**—निरीक्षण प्राधिकारी निरीक्षण की समाप्ति से 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

3. **निष्कर्षों आदि की सूचना.**—(क) प्राधिकरण उक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अपने निष्कर्ष बीमा दलाल को सूचित करेगा। बीमा दलाल सूचना की प्राप्ति की तारीख से 21 दिन के अंदर प्राधिकरण को उत्तर देगा।

(ख) बीमा दलाल से स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण बीमा दलाल को ऐसे उपाय करने के लिए निदेश दे सकता है जो प्राधिकरण द्वारा उपयुक् समझे जाएँगे ।

(ग) उपर्युत (ख) पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, प्राधिकरण बीमा दलाल को एक नोटिस उससे उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 21 दिन के अंदर कारण दर्शाने की अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि बीमा दलाल को प्रदत्त लाइसेंस क्यों नहीं निलंबित अथवा निरस्त किया जाना चाहिए अथवा प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य कार्रवाई क्यों नहीं प्रारंभ की जानी चाहिए।

(घ) प्राधिकरण उपर्युक्त (ग) के अंतर्गत जारी की गई नोटिस के लिए प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद बीमा दलाल को प्रदान किये गये लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण का निदेश देते हुए आदेश पारित कर सकता है अथवा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उपयुक्त समझा गया कोई अन्य आदेश जारी कर सकता है।

(ङ) बीमा दलाल यदि प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट है तो ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर प्राधिकरण के अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(च) प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसे आवेदन पर विचार करेगा तथा उस पर अपना निर्णय उसकी प्राप्ति से पैंतालीस दिन के अंदर लिखित में सूचित करेगा।

अनुसूची VIII

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 22 देखें)

बीमा दलालों द्वारा बीमे की ऑनलाइन बिक्री

बीमा दलाल को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उन बीमाकर्ताओं के ऑनलाइन उत्पादों का प्रस्ताव करने की अनुमति है जिनके साथ बीमाकर्ता के वेब पोर्टलों के माध्यम से बिक्री के लिए उसने करार कर लिया है।

1) बीमा दलाल द्वारा विकसित की गई वेबसाइट में प्राधिकरण द्वारा लाइसेंसप्राप्त रूप में बीमा दलाल का नाम निहित होगा तथा किसी अन्य नाम का प्रयोग अथवा किसी अन्य वेबसाइट के साथ सहबद्धता निषिद्ध है।

2) बीमा दलाल अपनी वेबसाइट पर अपनी लाइसेंस संख्या, लाइसेंस की तारीख और उसकी वैधता, लाइसेंस की श्रेणी, प्रधान अधिकारी का नाम और उसके संपर्क का ब्योरा, बोर्ड की संरचना के संबंध में सूचना; तथा अन्य संबंधित जानकारी प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा।

3) बीमा दलाल की वेबसाइट का उपयोग केवल बीमा उत्पादों के वेब संग्रहण (वेब ऐग्रिगेशन) और उनकी तुलना तथा ऐसे बीमाकर्ताओं के बीमा उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए ही किया जाएगा जिनके साथ बीमा दलाल का वैध करार है।

4) उस बीमाकर्ता के बीमा उत्पादों को छोड़कर जिसके साथ बीमा दलाल ने ऑनलाइन उत्पादों की बिक्री के लिए करार किया है, बीमा दलाल किसी भी स्वरूप और प्रकार के अन्य उत्पादों को प्रकाशित, विज्ञापित नहीं करेगा अथवा उनके प्रदर्शन या बिक्री के लिए व्यवस्था नहीं करेगा।

5) बीमा दलाल की वेबसाइट उस बीमाकर्ता की वेबसाइट के साथ संबंध उपलब्ध कराएगा जिसके साथ बीमा दलाल ने बीमाकर्ता के उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री के लिए करार किया है तथा बीमा दलाल द्वारा उक्त ऑनलाइन बिक्री का निष्पादन केवल बीमाकर्ता की वेबसाइट के माध्यम से ही किया जाएग।

6) बीमा दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक के पास ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ही प्रकार के उत्पाद प्रस्तावित करनेवाले कम से कम पाँच बीमाकर्ताओं के उत्पादों को देखने तथा अपनी पसंद के बीमाकर्ता और उत्पादों का चयन करने का विकल्प हो।

7) बीमा दलाल को केवल निम्नलिखित वर्गों के उत्पादों अथवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथाअनुमोदित किन्हीं अन्य उत्पादों का ही ऑनलाइन प्रस्ताव करने की अनुमति दी जाती है

i. जीवन :
   - क. आजीवन पॉलिसियाँ
   - ख. मीयादी बीमा उत्पाद
   - ग. बंदोबस्ती उत्पाद
   - घ. स्वास्थ्य बीमा उत्पाद
   - ङ. सेवानिवृत्ति – तत्काल वार्षिकी
   - च. सेवानिवृत्ति – आस्थगित वार्षिकी
   - छ. बच्चों के उत्पाद

ii. जीवनेतर ;
   - क. आवास बीमा
   - ख. मोटर बीमा
   - ग. स्वास्थ्य बीमा

घ. यात्रा बीमा

ङ. वैयक्तिक दुर्घटना बीमा

च. ग्रामीण बीमा

8) बीमा दलाल उत्पादों की केवल उन्हीं विशेषताओं को दर्शायेगा जो प्राधिकरण के फाइल एण्ड यूज़ दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमोदित हैं। ऐसी कोई सूचना जो पॉलिसीधारक के हितों के प्रतिकूल हो अथवा भ्रामक हो तथा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित न हो, बीमा दलालों द्वारा अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी।

9) बीमा दलाल विभिन्न बीमाकर्ताओं के उत्पादों की विशेषताएँ प्रदर्शित करते समय किसी एक बीमाकर्ता के प्रति पक्षपात नहीं करेगा।

10) बीमा दलाल की वेबसाइट पर दर्शायी जानेवाली टेम्प्लेटों के संबंध में बीमा दलाल और उन बीमाकर्ताओं के बीच परस्पर सहमति होनी चाहिए जिनके उत्पादों की तुलना की जाती है।

11) प्रदर्शित किये जानेवाले उत्पादों की तुलनाएँ अद्यतन होनी चाहिए तथा उन्हें उत्पादों की सही स्थिति प्रतिबिंबित करनी चाहिए।

12) बीमा दलाल उत्पादों से संबंधित सूचना पूर्णतया बीमाकर्ताओं से प्राप्त सूचना के आधार पर ही प्रदर्शित करेंगे।

13) बीमा दलाल निम्नलिखित कार्य नहीं करेंगे

i) वेबसाइट पर अन्य वित्तीय संस्थाओं/एफएमसीजी के उत्पादों अथवा सेवाओं अथवा अन्य उत्पाद या सेवा से संबंधित कोई सूचना प्रदर्शित नहीं करेंगे।

ii) वेबसाइट पर बीमा उत्पाद या सेवा सहित किसी भी उत्पाद या सेवा, अन्य वित्तीय उत्पादों या सेवा/ अथवा किसी अन्य उत्पाद या सेवा से संबंधित किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करेंगे।

iii) *निम्नलिखित अपवादों के अधीन* उत्पाद के संबंध में अग्रणी निर्माण/ तुलना आदि के लिए बहुविध वेबसाइटों का परिचालन नहीं करेंगे अथवा अन्य अनुमोदित/अननुमोदित/लाइसेंसरहित संस्थाओं/ वेबसाइटों के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे :

बीमा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त बीमा दलाल की प्राथमिक वेबसाइट के लिए .com अथवा .in अथवा .co.in जैसे प्रत्ययों के साथ बहुविध क्षेत्र (डोमेन) नामों अथवा एक ही क्षेत्र (डोमेन) के नामों का प्रयोग करने की अनुमति है बशर्ते कि

क. प्राथमिक अथवा अनुषंगी अथवा उत्पाद श्रेणी विशिष्ट वेबसाइटों अथवा मोबाइल साइटों के डोमेन नाम बीमा दलाल के स्वामित्व में हों और उसके नाम से पंजीकृत हों

ख. बीमा दलाल प्राधिकरण को लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन में लिखित में ऐसी वेबसाइटों अथवा मोबाइल साइटों के डोमेन नामों के पंजीकरण की तारीख और उन्हें प्रारंभ करने की तारीख के बारे में सूचित करे तथा उसके बाद मौजूदा वेबसाइटों के नाम (नामों) में किसी परिवर्तन अथवा नई वेबसाइटों की स्थिति में क्रमशः डोमेन नाम के पंजीकरण की तारीख और प्रारंभ करने की तारीख से 15 दिन के अंदर प्राधिकरण को सूचित करे।

14) बीमा दलाल अपनी वेबसाइटों पर बीमाकर्ताओं के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क वसूल नहीं करेगा;

15) बीमा दलाल बीमाकर्ता के साथ बीमा दलाल के ग्राहक / ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए करार कर सकता है तथा उक्त करार दोनों बीमाकर्ता और बीमा दलाल के पास प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

16) बीमा दलाल जिसने बीमाकर्ता के साथ करार कर लिया है, को बीमाकर्ताओं द्वारा केवल बीमा दलाल द्वारा प्राप्त और सेवा प्रदान की गई पॉलिसियों के लिए बीमाकर्ताओं की वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन नवीकरण प्रीमियम वसूल करने के लिए अनुमति दी जा सकती है।

17) ऑनलाइन बिक्री के लिए प्रीमियमों के भुगतान की विधि बीमा पॉलिसियों की ऑनलाइन बिक्री के लिए बीमाकर्ता द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग अथवा

समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति प्राप्त रूप में किसी अन्य तरीके से होगी। प्रीमियम को किसी नामित बैंक के बीमाकर्ता के प्रीमियम वसूली खाते में सीधे जमा करना होगा तथा किसी भी तरीके से इसे बीमा दलाल के बैंक खाते के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए। बीमा दलाल इस प्रयोजन के लिए प्रीमियमों हेतु कोई भी नकद भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे।

18) ऑनलाइन लेनदेन पूरा होने पर प्रीमियम के भुगतान और पॉलिसी की बिक्री के लिए बीमाकृत व्यक्ति को इस बात के लिए समर्थ होना चाहिए कि वह ई-प्रीमियम रसीद और अधिमानतः पॉलिसी प्रलेख भी तत्काल उत्पन्न कर सके तथा सेव / मुद्रित कर सके। वैकल्पिक रूप से बीमाकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार पॉलिसी प्रलेख ई-मेल द्वारा / अथवा हार्ड कॉपी के रूप में वितरित किया जा सकता है।

19) ऑनलाइन उत्पादों की बिक्री अथवा प्रीमियमों की प्राप्ति हेतु उनके वेब पोर्टलों को संघटित करने के लिए बीमाकर्ताओं के साथ किये गये करार किसी भी प्रकार से पॉलिसीधारकों के हितों के प्रतिकूल नहीं होंगे। बीमा दलाल बीमाकर्ताओं को उनके उत्पादों की बिक्री के लिए कोई वचन नहीं देंगे अथवा प्रतिबद्ध नहीं होंगे।

20) बीमा दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि धन-शोधन निवारण संबंधी मामलों के अनुपालन के लिए प्राधिकरण अथवा अन्य किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निदेशों का पालन किया जाएगा। बीमा दलाल के साथ हस्ताक्षरित किये जानेवाले करार में बीमाकर्ता इस आशय के आवश्यक नियम और प्रयोज्य खंड शामिल करेगा।

21) बीमाकर्ता एवं बीमा दलाल इस प्रयोजन के लिए किये जानेवाले करार के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग रूप से बाध्य होंगे।

22) बीमा उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री करते समय बीमा दलाल एवं बीमाकर्ताओं को समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 और/या किसी अन्य अधिनियम तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विनियमों/मार्गदर्शी सिद्धांतों/परिपत्रों/निदेशों के प्रावधानों का पालन करना होगा।

अनुसूची IX

फार्म ए

[विनियम 5 और 18 देखें]

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013

लाइसेंस प्रदान करने/लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन

आवेदक का नाम :

लाइसेंस संख्या :

श्रेणी जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया है :

समाप्ति की तारीख :

नये आवेदन के मामले में :

आवेदित श्रेणी :

बीमा दलाल - .....

(जैसा लागू हो, श्रेणी का उल्लेख करें)

प्रत्यक्ष (जीवन)

प्रत्यक्ष (साधारण)

प्रत्यक्ष (जीवन और साधारण)

पुनर्बीमा

संमिश्र

फार्म भरने के लिए अनुदेश :

1. यह महत्वपूर्ण है कि इस आवेदन फार्म को भरने से पहले प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाए ।
2. यह आवश्यक है कि आवेदक प्राधिकरण को विधिवत् भरा गया आवेदन सभी उपयुक्त, समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें ।
3. आवेदन पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वह हर प्रकार से पूर्ण हो ।
4. आवेदकों को चाहिए कि वे आवेदनों पर स्वयं हस्ताक्षर करें ।
5. जो सूचना अधिक विवरण के साथ देने की आवश्यकता हो, वह अलग पत्रकों पर दी जाए जिन्हें आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना चाहिए ।
6. यदि आवेदक कोई कंपनी नहीं है, तो इस फार्म में माँगी गई सूचना अपेक्षाओं को उपयुक्त रूप में अनुकूल बनाकर दी जाएगी।

आवेदक का विवरण

1.1 आवेदक का नाम : .....

1.2 (क) पता – व्यवसाय का प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय :

.....
.....
.....

पिन कोड : ..... टेलीफोन सं. .....

ई-मेल : ..... फैक्स सं. : .....

(ख) पत्राचार के लिए पता :

.....
.....
.....
.....
.....

पिन कोड : ..... टेलीफोन सं. .....

ई-मेल : ..... फैक्स सं. : .....

(ग) शाखा कार्यालयों के पते :

.....
.....
.....

(घ) प्रधान अधिकारी का नाम और पदनाम

.....

2. संगठन – संरचना

2.1 आवेदक की स्थिति :

(उदा. लिमिटेड कंपनी–निजी/सरकारी, साझेदारी, अन्य। यदि सूचीबद्ध है, तो शेयर बाजारों के नाम तथा नवीनतम शेयर भाव दिया जाए)

2.2 संस्थापन की तारीख और स्थान :

दिन माह वर्ष स्थान

2.3 व्यवसाय का विस्तार जैसा कि संस्था के बहिरनियमों में वर्णित है

(संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों अथवा भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि के साथ संक्षेप मे दिया जाए)।

2.4 प्रमुख शेयरधारकों की सूची (जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा सहयोगी संस्थाओं के साथ आवेदक के 5% और उससे अधिक शेयर धारित करते हैं – केवल सीमित कंपनियों के लिए लागू है)

दिनांक.....को शेयरधारिता :

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कंपनी की कुल चुकता पूँजी का प्रतिशत	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हाँ अथवा नहीं

2.5 सभी निदेशकों/साझेदारों/स्वामी का विवरण :—

नाम	योग्यता	बीमा दलाली सेवाओं और संबंधित क्षेत्रों में अनुभव	आवेदक फर्म/ कंपनी में शेयरधारिता	अन्य कंपनियों में निदेशन

2.6 सहयोगी कंपनियों/संस्थाओं का नाम और कार्यकलाप

कंपनी/फर्म का नाम	पता	संचालित कार्यकलाप का प्रकार	प्रवर्तक/निदेशक के हित का स्वरूप	आवेदक कंपनी का स्वरूप और हित

क्या सहयोगी कंपनियों/संस्थाओं के किसी एक अथवा उससे अधिक व्यक्तियों का आवेदक के व्यवसाय में हित निहित है ?

2.7 आवेदक के प्रधान बैंकरों का नाम और पता :

2.8 सांविधिक लेखा-परीक्षकों का नाम और पता :

3 व्यवसाय संबंधी सूचना

3.1 कार्यकलापों की अनुमानित मात्रा और आय (प्रत्याशित सहित) के साथ व्यवसाय की तीन वर्षीय योजना का दस्तावेज जिसके लिए लाइसेंस की अपेक्षा की गई है, विशेष रूप से दी जानी चाहिए ।

3.2 कार्यात्मक दायित्वों को अलग से दर्शानेवाला संगठन चार्ट संलग्न किया जाना चाहिए।

3.3 प्रमुख प्रबंध कार्मिकों संबंधी विवरण

नाम	योग्यता	बीमा दलाली/बीमा परामर्श कार्यों के विशेष संदर्भ में अनुभव	नियुक्ति की तारीख	कार्यात्मक क्षेत्र

3.4 आवेदक के पास उपलब्ध कार्यालय स्थान, उपस्कर और श्रमशक्ति जैसी मूलभूत संरचना का विवरण

3.5 बीमा दलाली/बीमा परामर्श/जोखिम प्रबंध और अन्य सेवाओं में अनुभव का विवरण (इतिहास, प्रमुख घटनाएँ और वर्तमान गतिविधियाँ) (भारत के बाहर का अनुभव भी निर्दिष्ट किया जाए) :

3.6 पिछले तीन वर्षों के दौरान संचालित व्यवसाय तथा उन पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची जिनके पास सँभाले गये कुल पुनर्बीमा प्रीमियम के दस प्रतिशत से अधिक का स्थापन किया गया।

क्रम संख्या	नाम	सँभाला गया प्रीमियम		प्रदत्त सेवाएँ
		राशि	दलाल द्वारा सँभाले गये कुल प्रीमियम का प्रतिशत	

3.7 आवेदक द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाओं के स्वरूप से संबंधित समझी जानेवाली कोई अन्य सूचना।

4. वित्तीय सूचना

4.1 पूँजी-विन्यास (लाख रुपये)

पूँजी-विन्यास	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले का वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष
क) प्राधिकृत पूँजी ख) निर्गम पूँजी ग) चुकता पूँजी घ) निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ (पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों को छोड़कर) ङ) कुल योग (ग) + (घ)			
टिप्पणी :—1. एलएलपी के मामले में कृपया पूँजी में से आहरण और/या साझेदारों को ऋण घटाकर निर्दिष्ट करें। 2.एलएलपी के मामले में कृपया साझेदारों की वित्तीय स्थिति, साधन और निवल मालियत (नेट वर्थ) निर्दिष्ट करें।			

4.2 संसाधनों का अभिनियोजन (लाख रुपये)

विवरण	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले का वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	पूर्ववर्ती वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	चालू वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)
(क) अचल परिसंपत्तियाँ (ख) संयंत्र और मशीनरी (ग) कार्यालयीन उपस्कर (घ) निर्दिष्ट भाव वाले निवेश (ङ) अनिर्दिष्ट भाव वाले निवेश (च) चल परिसंपत्तियों का ब्योरा (छ) अन्य			

(निवेशों, सहयोगी कंपनियों/फर्मों को दिये गये ऋणों और अग्रिमों का विवरण जहाँ प्रवर्तकों/ निदेशकों का हित हो, अलग से दिया जाए)।

4.3 आय के प्रमुख स्रोत : (लाख रुपये)

विवरण	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले का वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	पूर्ववर्ती वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)
क) प्रत्यक्ष बीमा पारिश्रमिक ख) पुनर्बीमा पारिश्रमिक ग) परामर्श शुल्क घ) बीमा परामर्श कार्य ङ) निवेश आय च) अन्य			

चूँकि बीमा दलाल द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक अलग-अलग जोखिम के लिए भिन्न-भिन्न हो सकता है, अतः वह दायरा निर्दिष्ट करें जिसके अंदर पारिश्रमिक प्राप्त किया गया है।

4.4 कर से पहले आय और लाभ (पीबीटी) (लाख रुपये)

विवरण कर से पहले आय लाभ	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले का वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	पूर्ववर्ती वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	चालू वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)

4.5 लाभांश (लाख रुपये)

विवरण	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले का वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	पूर्ववर्ती वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	चालू वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)
राशि प्रतिशत			

टिप्पणी : कृपया तीन वर्षों के लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखे संलग्न करें। जहाँ लेखा-परीक्षा न की गई रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं, वहाँ कारण बताएँ। यदि पिछले लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों के बाद न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षा पूरी नहीं की गई है, तो बाद की तारीख को समाप्त अवधि के लिए लेखा-परीक्षित लेखों का विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5.अन्य सूचना, यदि कोई हो

5.1 निपटाये गये और लंबित विवादों का विवरण :

विवाद का स्वरूप	पक्षकार का नाम	लंबित/निपटाया गया	निपटान की तारीख

5.2 पिछले तीन वर्षों में यदि आवेदक अथवा किसी भी साझेदार/निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा कोई आर्थिक अपराध किये गये हों तो उनका ब्योरा।

6.0 संलग्न दस्तावेज :

7. शुल्क का भुगतान :

टिप्पणी : वापस न करने योग्य शुल्क (आवेदित श्रेणी के आधार पर) तथा बीमा

विनियमक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 14 में

यथाविनिर्दिष्ट

भुगतान का विवरण : माँग ड्राफ्ट (डीडी) सं.:..... दिनांक :.....

बैंक का नाम :

भुगतान के अन्य प्रकार :

8.: वचन-पत्र

8.1 क्या आवेदक के साथ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित किसी व्यक्ति को पूर्व में लाइसेंस प्रदान करने से इनकार किया गया है अथवा नहीं

व्यक्तियों का नाम	आवेदक के साथ संबंध	प्रशिक्षण का ब्योरा

इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित" से किसी व्यक्ति के मामले में आवेदक का कोई रिश्तेदार, तथा किसी फर्म अथवा कंपनी अथवा कंपनी निकाय के मामले में सहयोगी संस्था, सहायक संस्था, परस्पर संबद्ध उपक्रम अथवा समूह कंपनी अभिप्रेत है।

8.2 आवेदक के प्रधान अधिकारी का योग्यता और अनुभव संबंधी विवरण

नाम	पता	योग्यता (बीमा दलाली परीक्षा की उत्तीर्णता सहित)	पिछला अनुभव (बीमा उद्योग सहित)	पिछला रोजगार	रोजगार संबंधी विवरण

8.3 बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने और उसे प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की सूची

नाम	पता	पदनाम	योग्यता (बीमा दलाली परीक्षा की उत्तीर्णता सहित)	जिम्मेदारियों का विवरण

8.4 लाइसेंस के नवीकरण के लिए मीयादी जमाराशि का विवरण

बैंक का नाम	पता	मीयादी जमा (एफ.डी.) संख्या	जमा के अंतर्गत धारित राशि	प्रारंभिक पूँजी में से प्रतिशत	परिपक्वता दिनांक

9. घोषणा

इस घोषणा पर जैसी स्थिति हो, दो निदेशकों दो साझेदारों के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।

मैं/हम इसके द्वारा लाइसेंस के लिए आवेदन करता हूँ/करती हूँ/करते हैं ।

मैंने/हमने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 का अवलोकन किया है तथा मैं/हम इस बात से संतुष्ट हूँ/हैं कि

मैं/हम बीमा दलाल के लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हूँ/हैं ।

मैं/हम यह स्पष्ट करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त प्रश्नों का सत्यनिष्ठापूर्वक और पूर्णतः उत्तर दिया है तथा वह समस्त सूचना उपलब्ध कराई है जो मेरे/हमारे लाइसेंस के प्रयोजनों के लिए उचित रूप से संबंधित मानी जा सकती है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि आवेदन फार्म में उपलब्ध कराई गई सूचना पूर्ण और सही है ।

मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम लाइसेंस की अवधि के दौरान मेरे/हमारे द्वारा अर्जित पारिश्रमिक में पूर्णतः अथवा अंशतः किसी छूट की अनुमति किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन के रूप में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नहीं दूँगा/दूँगी/देंगे अथवा किसी छूट की अनुमति का प्रस्ताव नहीं करूँगा/करूँगी/करेंगे ।

मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि लाइसेंस के निरस्तीकरण अथवा उसका नवीकरण न होने के समय बहियों पर व्यवसाय से हट जाने (रन-ऑफ बिजनेस) का अंकन करूँगा/करूँगी /करेंगे ।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे पास अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत बीमा एजेंट का लाइसेंस नहीं है ।

	के लिए और उनकी ओर से
---	---
(नाम और हस्ताक्षर)	(नाम और हस्ताक्षर)
{स्पष्ट अक्षरों में})	(स्पष्ट अक्षरों में)
निदेशक	
आवेदक का नाम	आवेदक का नाम
स्थान :	
दिनांक :	

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

फार्म बी

(विनियम 5 और 15 देखें)

लाइसेंस

लाइसेंस संख्या :

1. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा

   .....को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत .....दलाल

   (श्रेणी के विवरण का उल्लेख करें)

   के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है ।
2. उक्त बीमा दलाल के लिए लाइसेंस कूट निम्न प्रकार से है

   .....
3. यह लाइसेंस ..... से ..... तक वैध होगा ।
4. यह लाइसेंस अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) एवं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुसार अथवा उनके अनुरूप है ।

स्थान :

आदेशानुसार

दिनांक : .....

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

के लिए और उनकी ओर से

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

फार्म सी

(विनियम 18 देखें)

लाइसेंस के नवीकरण का प्रमाणपत्र

लाइसेंस संख्या :

1. मेसर्स

   .....

   श्रेणी.....दलाल का लाइसेंस बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 की धारा..... तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) के अधीन एतद्द्वारा.....से.....तक की अवधि के लिए नवीकृत किया जाता है।
2. हैदराबाद में.....दिन.....दो हजार.....को जारी किया गया।
3. यह लाइसेंस ..... से ..... तक विधिमान्य होगा।
4. यह लाइसेंस इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4), उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये जानेवाले दिशा-निर्देशों, परिपत्रों और निदेशों का पालन करेगा।

स्थान :

आदेशानुसार

दिनांक :

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2013
फार्म आर
[विनियम 21 देखें]
लाइसेंस की अनुलिपि (डूप्लिकेट लाइसेंस)

लाइसेंस संख्या

1. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद् द्वारा उपर्युक्त अधिनियम के अधीन .....
.....को
.....दलाल
के रूप में
(श्रेणी के विवरण का उल्लेख करें)
कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है।

2. उक्त बीमा दलाल के लिए लाइसेंस कूट.....है।
3. यह लाइसेंस .....से.....तक विधिमान्य होगा।
4. यह लाइसेंस बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के अधीन है एवं इसे किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुपालन के अथवा उनके अनुरूप होने के तौर पर नहीं माना जाएगा।

स्थान :

आदेशानुसार

दिनांक :.....

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
लाइसेंस की अनुलिपि (डूप्लिकेट लाइसेंस) के लिए आवेदन

1. मैं आपको सूचित करते हुए स्वीकार करता हूँ/करती हूँ कि मेरा/हमारा लाइसेंस संख्या.....
   1. खो गया है
   2. नष्ट किया गया है
   3. कटा-फटा है

   जोकि निम्नलिखित कारणों से हुआ है.....
2. शुल्क का भुगतान :

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) को वापस न करने योग्य 1000/- रुपये का शुल्क अदा करने की आवश्यकता है।

भुगतान का विवरण :

माँग ड्राफ्ट (डीडी) संख्या.....दिनांक :.....

बैंक का नाम : .....

भुगतान के अन्य प्रकार :

3. **घोषणा**

मैं इसके द्वारा विनियम 21 के अधीन लाइसेंस की अनुलिपि (डूप्लिकेट लाइसेंस) के लिए आवेदन करता हूँ/करती हूँ।

अतः मैं/हम प्राधिकरण से अनुरोध करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि कृपया उपर्युक्त परिस्थितियों के आलोक में लाइसेंस की एक अनुलिपि (डूप्लिकेट लाइसेंस) जारी करें।

मैं .....सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषित करता हूँ/करती हूँ और यह पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है।

निदेशक 1 के हस्ताक्षर निदेशक 2 के हस्ताक्षर

दिनांक :

अनुबंध-I

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

नया दलाल लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रलेखीकरण और प्रक्रियागत अपेक्षाएँ

[विनियम 5 देखें]

क. पूर्ण आवेदनपत्र की प्रस्तुति।

क) फार्म ए में की गई अपेक्षानुसार संबंधित सूचना प्रस्तुत करना।

ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 14 के अधीन निर्धारित रूप में हैदराबाद में देय माँग ड्राफ्ट (डीडी) द्वारा आवेदित बीमा दलाल की श्रेणी के अनुसार आवश्यक शुल्क का प्रेषण।

ग) आवेदक की संस्था के अंतर्नियमों और बहिर्नियमों की मुद्रित प्रति प्रस्तुत करना। संस्था के अंतर्नियमों और बहिर्नियमों के मुख्य उद्देश्य विनियमों के अनुसार होने चाहिए।

घ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 8 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार प्रशिक्षण की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना। लाइसेंस प्रदान करने के लिए किसी भी आवेदन पर विचार किया जा सके, इसके पहले यह आवश्यक है कि इस अपेक्षा का अनुपालन किया जाए।

ङ) प्रधान अधिकारी : अनुबंध II-बी में यथाउल्लिखित योग्यता और उपयुक्तता मानदंड के फार्मेट के साथ अनुबंध II-ए में उल्लिखित रूप में प्रधान अधिकारी से संबंधित डेटा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, विवरण के लिए विनियम 8 देखें।

च) प्रधान अधिकारी को इस आशय का प्रमाणीकरण करनेवाला विधिवत् नोटरीकृत एक शपथपत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि बीमा अधिनियम, 1938 की उप-धारा 42डी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी भी अनर्हता से आवेदक (कंपनी के निदेशक/साझेदार, प्रधान अधिकारी और मुख्य प्रबंध कार्मिक) ग्रस्त नहीं हैं।

छ) अनुबंध-II-बी में उल्लिखित रूप में योग्यता और उपयुक्तता फार्मेट के साथ अनुबंध-II-ए में निर्धारित फार्म में निदेशकों/साझेदारों, शेयरधारकों, प्रवर्तक और मुख्य प्रबंध कार्मिकों का ब्योरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ज) अनुबंध-II-ए में निर्धारित फार्म में उन कर्मचारियों की सूची उनकी योग्यताओं के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए जो बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने और उसे प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

झ) आवेदक के बैंक खाते की संख्या के साथ सांविधिक लेखा-परीक्षकों और प्रधान बैंकरों का विवरण।

ञ) मूलभूत संरचना के समर्थक साक्ष्य, जैसे पंजीकृत कार्यालय के लिए कार्यालय स्थान/उपस्कर/प्रशिक्षित श्रमशक्ति, आदि के संबंध में स्वामित्व/पट्टा करार संबंधी कागजात के साथ मूलभूत संरचना का ब्योरा तथा देश में विभिन्न स्थानों पर शाखा कार्यालय खोलने के लिए भावी आयोजना एवं परिसर के फोटोग्राफों सहित अनुमानित समय-सीमा का विवरण।

ट) प्रशासनिक व्यय, वेतन और मजदूरी तथा अन्य व्यय, राजस्व खाते से आहरण, लाभ-हानि खाते के पूर्वानुमान एवं पूर्वानुमानित 3 वर्ष के लिए तुलन-पत्र।

ठ) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), जोखिम अंकन, जोखिम निर्धारण, दावों का निपटान, विपणन, लेखे, बैक ऑफिस आदि जैसे कंपनी के कार्यकलापों का पूरा चित्र देते हुए संगठन का चार्ट।

ड) जोखिम निर्धारण, जोखिम अंकन और दावों के प्रबंध आदि क्षेत्रों का अच्छा ज्ञान और इनमें कार्य करने का अनुभव रखनेवाले, जीवन बीमे की पृष्ठभूमि से युक्त और इस क्षेत्र से भरती किये गये अनुभवी कार्मिकों की सूची। इस प्रकार चयन किये गये लोगों के नियुक्ति-पत्रों/कार्यग्रहण पत्रों के साथ उनकी विस्तृत सीवी, शैक्षिक योग्यताओं की प्रतियाँ प्राधिकरण को प्रस्तुत करें।

ढ) ऐसी किसी अन्य सूचना को अभिलिखित करें जो बीमा व्यवसाय के विकास और संवर्धन के लिए आवेदक द्वारा प्रदत्त सेवाओं के स्वरूप से संबंधित हो।

ण) प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझी जानेवाली कोई भी अन्य अपेक्षाएँ।

ख. हस्ताक्षरकर्ता

क) उपर्युक्त आवेदन फार्म और विभिन्न फार्मेटों पर दो निदेशकों और प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

ख) उपर्युक्त यथाउल्लिखित हस्ताक्षरकर्ताओं के अतिरिक्त लेखा-विवरणों पर लेखा-परीक्षकों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

दस्तावेजों/अपेक्षाओं की उपर्युक्त सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं। अतिरिक्त दस्तावेजों की सूचना आवेदित लाइसेंस की श्रेणी, शेयरधारिता के स्वरूप, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के अनुसार और प्राधिकरण की राय में अपेक्षित किसी अन्य अनुपालन के मामले के आधार पर दी जाएगी।

ग. वैयक्तिक प्रस्तुतीकरण

प्राधिकरण के संतोष के अनुरूप निर्दिष्ट आवश्यकताएँ पूरी करने के बाद आवेदक से यह अपेक्षित होगा कि वह आवेदन के संबंध में व्यवसाय की योजनाओं के प्रस्तुतीकरण के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हो।

अनुबंध-II-ए

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

प्रधान अधिकारी/निदेशकों/साझेदारों/प्रवर्तकों/शेयरधारकों/मुख्य प्रबंध कार्मिकों का विवरण

[विनियम 8 देखें]

प्रधान अधिकारी का वैयक्तिक विवरण	
पूरा नाम	**उल्लेख करें श्री/श्रीमती**
पता	

जन्म तिथि	**फोन सं.**
राष्ट्रीयता	**सेल सं.**
संगठन में स्थिति	फैक्स सं.
वर्तमान स्थिति में कब से हैं	**ईमेल आईडी**
	वेब पता

कर्तव्यों/जिम्मेदारियों का विवरण

योग्यताएँ, अनुभव और उपलब्धियाँ

संस्थान का नाम	देश	योग्यता	अध्ययन/उपाधिग्रहण का वर्ष

व्यावसायिक योग्यता
(अनिवार्य व्यावसायिक अर्हताओं के लिए नीचे खंड 1 देखें)

इस कंपनी में वर्तमान शेयरधारिता - .....को स्थिति

कंपनी का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कंपनी में धारित शेयरों का प्रतिशत	

अन्य कंपनियों में ईक्विटी हित / अन्य कंपनियों में शेयरधारिता

कंपनी का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कंपनी में धारित शेयरों का प्रतिशत	

अन्य कंपनियों में धारित निदेशन/साझेदारी/स्वामित्व की स्थितियाँ

कंपनी का नाम	संगठन में धारित स्थिति	अवधि (..... से.....तक)	

कार्य करने का अनुभव

नियोजक का नाम	व्यवसाय का स्वरूप	पदनाम	कर्तव्यों का विवरण	अवधि

1) मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर इस आवेदन में दी गई समस्त जानकारी वास्तविक और सही है।
2) मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने योग्यता और उपयुक्तता का विवरण भर दिया है तथा इस फार्म के साथ संलग्न कर दिया है।

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक:

अनुबंध-II-बी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

योग्यता और उपयुक्तता के मानदंड

(विनियम 8 देखें)

आवेदक प्राधिकरण को इस बात के लिए संतुष्ट करना चाहिए कि—

क) प्रधान अधिकारी लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिए योग्य और उपयुक्त है;
ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) इन विनियमों की धारा 2 में परिभाषित रूप में कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है; निदेशक इन विनियमों की धारा 2 में परिभाषित रूप में कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए योग्य और उपयुक्त व्यक्ति हैं;
ग) उसके सभी महत्वपूर्ण शेयरधारक/साझेदार योग्य और उपयुक्त व्यक्ति हैं;
घ) आवेदक पर प्रभावी नियंत्रण रखने वाले सभी व्यक्ति व्यवसाय का संचालन करने के लिए योग्य और उपयुक्त व्यक्ति हैं;
ङ) आवेदक के सभी मुख्य प्रबंध कार्मिक योग्य और उपयुक्त हैं।

<u>प्रधान अधिकारी/निदेशकों/साझेदारों/प्रवर्तकों/शेयरधारकों/मुख्य प्रबंध कार्मिकों के लिए घोषणा और वचन-पत्र</u>

प्रधान अधिकारी/निदेशकों/साझेदारों/प्रवर्तकों/शेयरधारकों/मुख्य प्रबंध कार्मिकों की 'योग्य और उपयुक्त' स्थिति तय करने के लिए उचित सावधानी बरतने के प्रयोजन के लिए निर्धारित 'घोषणा और वचन-पत्र' नीचे दिया गया है। अब से बीमा दलालों को वर्तमान प्रधान अधिकारी और निदेशकों/साझेदारों एवं प्रधान अधिकारी/निदेशक/साझेदार के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति से घोषणा और वचन-पत्र प्राप्त करने के लिए उक्त फार्मेट का प्रयोग करना चाहिए।

प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अलग फार्म प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है।

बीमा दलाल का नाम :			
I.	**वैयक्तिक विवरण**		
	क.	पूरा नांम	
	ख.	दलाल संस्था में स्थिति	
	ग.	जन्मतिथि	
	घ.	शैक्षिक अर्हताएँ	
	ङ.	संबंधित पृष्ठभूमि और अनुभव	
	च.	स्थायी पता	
	छ.	वर्तमान पता	
	ज.	ई-मेल पता/ टेलीफोन संख्या	
	झ.	आयकर अधिनियम के अंतर्गत पैन आयकर मंडल का नाम और पता	
	ञ.	बीमे में संबंधित ज्ञान और अनुभव	
	ट.	स्थिति से संबंधित कोई अन्य सूचना	
II.	**संबंधित योग्यता और उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रोपर) के मानदंड** **यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर 'हाँ' है, तो कृपया पूरा विवरण दें।**		
	क.	क्या आपने कभी किसी कानून के अंतर्गत सेबी, रिज़र्व बैंक, आईआरडीए, पीएफआरडीए, एफएमसी आदि जैसे किसी विनियामक प्राधिकरण से पंजीकृत हैं अथवा लाइसेंस प्राप्त किया है	
	ख.	क्या आपने इस आवेदन में बताये गये नाम के अलावा किसी अन्य नाम से कारोबार किया है	
	ग.	क्या आपको कोई कारोबार, व्यापार अथवा व्यवसाय, जिसके लिए कानून के अंतर्गत विशिष्ट लाइसेंस, पंजीकरण अथवा अन्य प्राधिकार अपेक्षित है, करने के लिए किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कभी अस्वीकार अथवा प्रतिबंधित किया गया है	
	घ.	क्या कभी आपको कोई व्यावसायिक कार्यकलाप करने के लिए किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा निंदित अथवा अनुशासित अथवा निलंबित किया गया है अथवा अनुमति या लाइसेंस या पंजीकरण देने से इनकार किया गया है	
	ङ.	क्या आप कभी किसी जाँच-पड़ताल अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन रहे हैं अथवा आपको कभी किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई चेतावनी या फटकार दी गई है	
	च.	क्या कभी आपको किसी कानून के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है अथवा आप किसी लंबित कार्यवाही के अधीन रहे हैं	
	छ.	क्या कभी आपको किसी भी समय किसी व्यवसाय/पेशे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है	
	ज.	आर्थिक विधियों और विनियमों के उल्लंघन के लिए लंबित, प्रारंभ किये गये अथवा अतीत में दोषसिद्धि के परिणामी अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	

	झ.	आपके विरुद्ध लंबित अथवा प्रारंभ किये गये अथवा अतीत में दोषसिद्धि के परिणामी आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
	ञ.	क्या आप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत परिकल्पित किसी भी अनर्हता से ग्रस्त हैं?	
	ट.	क्या आप सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के आदेश पर किसी जाँच के अधीन रहे हैं?	
	ठ.	क्या कभी आप सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/ विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/वैधानिक अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाये गये हैं, यदि हाँ तो विवरण दें।	
	ड.	क्या कभी आप सेबी, आईआरडीए, डीसीए जैसे विनियामक की सूचना में प्रतिकूल रूप से आये हैं। (यद्यपि उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस स्तंभ में विनियामकों द्वारा दिये गये ऐसे आदेशों अथवा निष्कर्षों का उल्लेख करे जिन्हें बाद में पूर्णतः उलट दिया गया हो/रद्द किया गया हो, तथापि इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा, यदि इस प्रकार उलट देना/रद्द करना गुण-दोष के आधार पर नहीं, बल्कि क्षेत्राधिकार की परिसीमा अथवा उसके अभाव जैसे तकनीकी कारणों से हुआ हो। यदि विनियामक का आदेश अस्थायी तौर पर स्थगित किया गया है तथा अपीलीय/अदालती कार्यवाही अनिर्णीत है, तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए)।	
	ढ.	क्या आपकी किसी समूह कंपनी/सहयोगी कंपनी/संबंधित पक्षकार के पास आईआरडीए द्वारा जारी किया गया कोई लाइसेंस है	
III.	मद I और II के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) का निर्णय करने के लिए सुसंगत समझी गई कोई अन्य जानकारी		
	वचन-पत्र		
	मैं पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार वास्तविक और पूर्ण है। मैं अपनी नियुक्ति के बाद घटित होनेवाली सभी घटनाओं के बारे में यथाशीघ्र प्राधिकरण को पूर्णतः सूचित करने का वचन देता हूँ/देती हूँ, जो ऊपर उपलब्ध कराई गई सूचना से संबंधित हों।		
	स्थान :	हस्ताक्षर	
	दिनांक :	नाम	

अनुबंध-III-ए

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 18 देखें)

नवीकरण के लिए आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये जानेवाले दस्तावेज

1. विधिवत् भरा गया फार्म-ए (आवेदन फार्म)।
2. नवीकरण शुल्क के रूप में माँग ड्राफ्ट (डीडी)।
3. कंपनी के एक निदेशक/साझेदार और प्रधान अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित नवीकरण संबंधी जाँच-सूची।

4. अनुबंध-I के अनुसार सनदी लेखाकार (सीए) द्वारा विधिवत् प्रमाणित कंपनी की शेयरधारिता का वर्तमान स्वरूप तथा पिछले नवीकरण के समय विद्यमान स्वरूप।
5. कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये गये संस्था के अंतर्नियमों और बहिर्नियमों की मुद्रित प्रतिलिपि।
6. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी के अनुपालन में विधिवत् नोटरीकृत शपथपत्र।
7. प्रधान अधिकारी द्वारा 25 घंटे के लिए प्राप्त नवीकरण प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।
8. अनुबंध-IX के अनुसार कंपनी के एक निदेशक/साझेदार और प्रधान अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित वचन-पत्र।
9. कंपनी के प्रधान कार्यालय के वर्तमान पट्टा करार की प्रतिलिपि।
10. कंपनी की ओर से व्यवसाय की अपेक्षा करनेवाले और उसे प्राप्त करनेवाले कर्मचारियों की सूची।
11. पिछले तीन वर्षों के लिए व्यवसाय के प्रीमियम आंकड़े और वर्ष-वार शीर्षस्थ 10 ग्राहकों की सूची।
12. बैंक से प्राप्त ग्रहणाधिकार (लियन) की पुष्टि करनेवाले पत्र के साथ मीयादी जमाराशि की रसीद की प्रतिलिपि।
13. पिछले तीन वर्षों के लिए व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसियों की प्रतिलिपियाँ।
14. नकदी-प्रवाह विवरणों के साथ पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों की प्रतिलिपियाँ।
15. पुनर्बीमा/संमिश्र बीमा दलालों के संबंध में विनियम 23 के अनुपालन को प्रमाणित करते हुए सनदी लेखाकार (सीए) से प्राप्त प्रमाणपत्र।
16. आवेदक के संबंध में कोई अन्य विशिष्ट दस्तावेज।

अनुबंध-III-बी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 18 देखें)

शेयरधारिता के स्वरूप का फार्मेट

क्रम संख्या	**शेयरधारक का नाम**	**पंजीकरण / पिछले नवीकरण के समय, जो भी बाद में हो (.....को स्थिति)**		**नवीकरण के लिए आवेदन के समय**		**टिप्पणी**
		धारित शेयरों की संख्या	**चुकता शेयर पूँजी का प्रतिशत**	**धारित शेयरों की संख्या**	**धारित चुकता शेयर पूँजी का प्रतिशत**	

टिप्पणी : ऐसे शेयरधारकों के नाम जो 5 प्रतिशत से अधिक धारित नहीं करते/जिन्होंने कभी 5 प्रतिशत से अधिक धारित नहीं किया, `अन्य' में दर्शाये जाने चाहिए, जब तक कि वे प्रमुख शेयरधारकों के साथ संबद्ध न हों अथवा उनका अंग न हों।

उन शेयरधारकों का विवरण जो उपर्युक्त के अंतर्गत नहीं आते, परंतु जिन्होंने पंजीकरण की तारीख/ नवीकरण की नवीनतम तारीख से चुकता पूँजी के 5 प्रतिशत से अधिक धारित किया है।

क्रम संख्या	**शेयरधारक का नाम**	**धारित शेयरों की संख्या**	**धारिता की अवधि**

अनुबंध-III-सी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 18 देखें)

वचन-पत्र का फार्मेट

संदर्भ सं. दिनांक

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

तीसरी मंजिल, परिश्रम भवन

बशीरबाग

हैदराबाद-500004

महोदय,

वचन-पत्र

हम इसके द्वारा निम्नलिखित वचन-पत्र प्रस्तुत करते हैं तथा निम्नानुसार पुष्टि करते हैं कि :

1. आज की तारीख की स्थिति के अनुसार प्रवर्तकों/प्रबंधन/आवेदक कंपनी के संबंध में किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं है (यदि कोई हस्तक्षेप हो तो उस हस्तक्षेप का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए)।
2. आज की तारीख की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास रोजगार में व्यक्तियों की संख्या ..... है तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदन के संबंध में कार्यवाही की प्रक्रिया के दौरान रोजगार में न्यूनतम 2 ऐसे अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जिनके पास अनुसूची II में विनिर्दिष्ट आवश्यक अर्हताएँ हों और विनियम
   8(2)(iii) के अधीन बीमा दलाल के व्यवसाय का संचालन करने के लिए आवश्यक अनुभव हो।
3. आवेदक कंपनी के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किसी भी निदेशक/साझेदार/प्रधान अधिकारी/शेयरधारक/कर्मचारी/व्यक्ति को पूर्व में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्रदान करने से इनकार नहीं किया गया है।
4. प्रधान अधिकारी ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 की अनुसूची VI-ए और VI-बी, जो भी लागू हो, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में आचरण-संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।
5. आवेदक कंपनी प्राधिकरण के पास दाखिल किये गये संस्था के बहिर्नियमों के मुख्य उद्देश्यों तक सीमित रहते हुए विनियम 8(2)(xii) का पालन करेगी।
6. प्रधान अधिकारी विनियम 2(1)(ण) के अधीन केवल बीमा दलाल के कार्य करने के लिए ही नियुक्त किया गया है तथा वह किसी अन्य बीमा संबंधी अथवा किसी अन्य संस्था संबंधी न तो कोई निदेशन/रोजगार/समनुदेशन धारित करता है और न ही पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक आधार पर उसका प्रतिनिधित्व करता है।
7. कंपनी का कोई भी निदेशक/साझेदार अथवा/और कोई कर्मचारी किसी अन्य बीमा संबंधी संस्था में कोई निदेशन/रोजगार धारित नहीं करता अथवा उसका प्रतिनिधित्व करता है।

8. बीमा दलाल के कार्यालय परिसर और उसकी शाखाओं का उपयोग केवल बीमा दलाली व्यवसाय के लिए ही किया जाता है और किया जाएगा तथा कोई अन्य कार्यकलाप संचालित नहीं किया जाएगा।
9. हमारी किसी भी सहयोगी कंपनी/निदेशक/प्रवर्तक/मुख्य प्रबंध कार्मिक/प्रधान अधिकारी/कर्मचारी के पास एजेंसी/कारपोरेट एजेंसी/टीपीए/सर्वेक्षक का लाइसेंस नहीं है।
10. हमने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीबी (VB) के अनुसार प्रीमियम का भुगतान करने में ग्राहकों की सहायता की है तथा कभी भी ग्राहकों की ओर से प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है।
11. हमने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 का अनुपालन करते हुए देय कमीशन अथवा दर्शाये गये प्रीमियम के संबंध में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पूर्णतः या अंशतः कोई छूट नहीं दी है।
12. हम पुष्टि करते हैं कि न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षा का उपयोग शेयर और प्रतिभूतियाँ खरीदने में एवं अंतर-कंपनी जमाराशियों में रखने और ऋण देने आदि के द्वारा करते हुए उसे कम नहीं किया गया है।
13. हम पुष्टि करते हैं कि लाइसेंस की अवधि के दौरान बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 4 में विनिर्दिष्ट रूप में कार्यों का पालन किया गया है।

हम यह पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त विवरण हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

इसके अलावा हम समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित सभी लागू विनियमों/नियमों/सूचनाओं/परिपत्रों का पालन करने का वचन देते हैं।

प्रधान अधिकारी (निदेशक, प्रधान अधिकारी के अलावा)

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
दिनांक	दिनांक

टिप्पणी : जो घोषणा लागू न हो उसे काट दें तथा संबंधित सूचना अलग से संलग्न करें।

अनुबंध-IV-ए

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 23 देखें)

दूरविपणन सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए बीमा दलाल द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला वचन-पत्र

बीमा दलाल का नाम :

संपर्क के लिए पता :

लाइसेंस संख्या :

लाइसेंस की श्रेणी :

लाइसेंस की वैधता :

हम, मेसर्स.....बीमा दलाल कंपनी बीमा उत्पादों के दूरविपणन के प्रयोजन के लिए दूरविपणनकर्ता के रूप में मेसर्स.....

की सेवाएँ लेना चाहते हैं। हम निम्नलिखित को प्रमाणित करते हैं और वचन देते हैं।

1) कि हमारे द्वारा नियुक्त किये जाने के लिए प्रस्तावित किया जा रहा दूरविपणनकर्ता ट्राई (टीआरएआई) के पास पंजीकरण संख्या.....के साथ पंजीकृत है तथा उक्त पंजीकरण .....तक वैध है।

2) कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त नियुक्त दूरविपणनकर्ता इस संबंध में ट्राई द्वारा जारी किये गये विनियमों/परिपत्रों/मार्गदर्शी सिद्धांतों और निदेशों का पालन करेगा तथा दूरविपणनकर्ता द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में ऐसे उल्लंघनों के लिए बीमा दलाल उत्तरदायी ठहराया जाएगा;
3) कि उक्त दूरविपणनकर्ता की सेवाएँ .....वर्षों के लिए लेने का प्रस्ताव है तथा इस आशय का एक करार कार्य की सीमा, शुल्क का भुगतान और अन्य शर्तें निर्दिष्ट करते हुए किया गया है। करार की एक प्रतिलिपि प्राधिकरण के पास दाखिल की गई है।
4) कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दूरविपणनकर्ता समय-समय पर इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विनियमों/मार्गदर्शी सिद्धांतों/परिपत्रों/किन्हीं अन्य निदेशों का पालन करेगा।
5) कि हम समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप में अभिलेख/प्रलेख अथवा कोई भी अन्य सूचना प्रस्तुत करेंगे।
6) कि हम अपनी दलाली कंपनी को प्रदत्त सेवाओं को छोड़कर दूरविपणनकर्ता द्वारा किये जानेवाले अन्य कार्यकलापों से पूर्णतः अवगत हैं तथा यह प्रमाणित करते हैं कि कोई भी कार्यकलाप किसी भी अन्य बीमा संबंधी संस्था से संबंधित नहीं है।
7) कि बीमा दलाल का कोई भी निदेशक/साझेदार/मुख्य प्रबंध कार्मिक/शेयरधारक/कर्मचारी दूरविपणनकर्ता का निदेशक/साझेदार/मुख्य प्रबंध कार्मिक/शेयरधारक/कर्मचारी नहीं है।
8) कि दूरविपणनकर्ता बीमा दलाल का कोई संबंधित पक्षकार अथवा उसकी सहयोगी कंपनी नहीं है तथा दूरविपणनकर्ता के संबंधित पक्षकारों/सहयोगी कंपनियों/समूह कंपनियों का ब्योरा इस दस्तावेज के साथ संलग्न है।
9) कि हमने अन्य संस्थाओं के लिए दूरविपणनकर्ता द्वारा किये जानेवाले कार्यकलापों के संबंध में दूरविपणनकर्ता से पूरी जानकारी प्राप्त की है तथा उनसे दूरविपणनकर्ता के संबंधित पक्षकारों/सहयोगी कंपनियों/समूह कंपनियों के कार्यकलापों के विवरण के संबंध में सूचना भी प्राप्त की है तथा हम प्रमाणित करते हैं कि किसी भी कार्यकलाप का स्वरूप हितों के किसी संघर्ष का नहीं है।

(यह आवश्यक है कि इस प्रमाणपत्र पर दलाली कंपनी के दो निदेशकों/साझेदारों और प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँ)

स्थान :

दिनांक :

अनुबंध-IV-बी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 23 देखें)

दूरविपणन सेवाओं के लिए बीमा दलाल द्वारा नियुक्त दूरविपणनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला वचन-पत्र

दूरविपणनकर्ता का नाम :

संपर्क के लिए पता :

ट्राई लाइसेंस संख्या :

लाइसेंस की श्रेणी :

लाइसेंस की वैधता :

हम, मेसर्स.....बीमा उत्पादों के दूरविपणन के प्रयोजन के लिए दूरविपणनकर्ता के रूप में मेसर्स..... द्वारा नियुक्त किये गये हैं। हम निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं और वचन देते हैं :

1) कि हम ट्राई (टीआरएआई) के पास पंजीकरण संख्या.....के साथ पंजीकृत हैं तथा यह पंजीकरण .....तक वैध है।
2) कि हम इस संबंध में ट्राई द्वारा जारी किये गये विनियमों/परिपत्रों/मार्गदर्शी सिद्धांतों और निदेशों का पालन करेंगे तथा हमारे द्वारा उनका कोई भी उल्लंघन होने की स्थिति में हम इस प्रकार के उल्लंघनों के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित की जानेवाली कार्रवाइयों अथवा जारी किये जानेवाले निदेशों द्वारा आबद्ध होंगे।
3) कि हम .....वर्षों के लिए नियुक्त हैं तथा इस आशय का एक करार कार्य की सीमा, शुल्क का भुगतान और अन्य शर्तें निर्दिष्ट करते हुए बीमा दलाल के साथ किया गया है। इस करार की एक प्रतिलिपि प्राधिकरण के पास दाखिल की गई है।
4) कि हम समय-समय पर इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये जानेवाले विनियमों/मार्गदर्शी सिद्धांतों/परिपत्रों/किन्हीं अन्य निदेशों का पालन करेंगे।
5) कि हम समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप में अभिलेख/दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।
6) कि हमने कोई भी सेवाएँ प्रदान करने के लिए किसी भी अन्य बीमा संबंधी संस्था से कोई करार नहीं किया है।
7) कि हमारी संस्था का कोई भी निदेशक/साझेदार/मुख्य प्रबंध कार्मिक/शेयरधारक/कर्मचारी बीमा दलाल अथवा बीमा संबंधी किसी अन्य संस्था का निदेशक/साझेदार/ मुख्य प्रबंध कार्मिक/शेयरधारक/कर्मचारी नहीं है।
8) कि हम दलाली कंपनी अथवा बीमा कार्यकलापों से संबद्ध किसी भी अन्य संस्था का संबंधित पक्षकार अथवा उसकी सहयोगी कंपनी नहीं हैं तथा संबंधित पक्षकारों/सहयोगी कंपनियों/समूह कंपनियों का ब्योरा इस दस्तावेज के साथ संलग्न है।
9) कि हमने दलाली कंपनी को प्रदान की जानेवाली दूरविपणन सेवाओं को छोड़कर हमारी संस्था द्वारा किये जानेवाले कार्यकलापों के बारे में बीमा दलाल को सूचित किया है तथा हम प्रमाणित करते हैं कि कोई भी कार्यकलाप हितों के संघर्ष से संबद्ध नहीं है।
10) कि हम समझते हैं कि प्राधिकरण को दूरविपणनकर्ता के परिसर अथवा किसी भी अन्य परिसर जो अभिलेखों/दस्तावेजों के सत्यापन के लिए प्राधिकरण आवश्यक समझता है, का निरीक्षण करने के लिए पूरे अधिकार हैं तथा किसी भी दस्तावेज/अभिलेख की माँग करने, दूरविपणनकर्ता के किसी भी कर्मचारी के वक्तव्य को अभिलिखित करने अथवा प्राधिकरण के विवेकानुसार दस्तावेजों/प्रलेखों की प्रतियाँ निकालने का अधिकार है।
11) कि हम प्राधिकरण अथवा इस प्रकार करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हमारे परिसर में निरीक्षण संचालित करने के संबंध में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे और समस्त सहायता उपलब्ध कराएँगे।

(यह आवश्यक है कि इस प्रमाणपत्र पर दूरविपणनकर्ता के दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँ)

स्थान :

दिनांक :

अनुबंध-V

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 29 देखें)

सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति और फर्म का लेखा-परीक्षण

बीमा दलाल का विवरण	
बीमा दलाल का नाम	

कूट संख्या			
संपर्क का पता		टेलीफोन सं. सेल सं. फैक्स ई-मेल	
लाइसेंस की वैधता कब से		लाइसेंस की वैधता कब तक	
श्रेणी			
प्रधान अधिकारी का नाम			
लेखा-परीक्षक का विवरण			
लेखा-परीक्षक फर्म का नाम			
1 अप्रैल _____ से 31 मार्च _____ तक समाप्त लेखांकन अवधि से संबंधित लेखा-परीक्षा के लिए नियुक्ति (यदि परिचालन आंशिक अवधि के लिए है, तो कृपया अवधि का उल्लेख करें)			
लेखा-परीक्षा में साझेदार का नाम (जो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा) ("हस्ताक्षरकर्ता साझेदार")			
क्या पूर्ववर्ती नियुक्ति से लेखा-परीक्षक फर्म या हस्ताक्षरकर्ता साझेदार में कोई परिवर्तन है ?			
यदि हाँ, तो परिवर्तन के लिए कारण बताएँ			

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि पिछले तीन वर्षों के लिए लेखा-परीक्षित रिपोर्टें नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राधिकरण के पास दाखिल की गई हैं

वर्ष का उल्लेख करें	प्राधिकरण को रिपोर्टें प्रस्तुत करने की तारीखों का उल्लेख करें

मैं इसके द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत करता हूँ/करती हूँ और घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस आवेदन (संलग्न किन्हीं अनुबंधों और परिशिष्टों सहित) में दी गई समस्त सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है।

नाम :

पदनाम : प्रधान अधिकारी

दिनांक :

अनुबंध-VI-ए

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 30 देखें)

(विनियम 9 और 11 के अंतर्गत अपेक्षित पूँजी और निवल मालियत के अनुरक्षण के संबंध में दलाली कंपनी के लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी किया जानेवाला प्रमाणपत्र) जो छमाही तौर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए

बीमा दलाल का नाम :

लाइसेंस संख्या :

लाइसेंस की श्रेणी :

लाइसेंस की वैधता :

हम, दलाली कंपनी मेसर्स.....जिनका पंजीकृत कार्यालय.....में है, के लेखा-परीक्षकों ने खाता-बहियों का सत्यापन किया है और हम प्रमाणित करते हैं कि उक्त दलाली कंपनी.....की स्थिति के अनुसार रु. .....की पूँजी का अनुरक्षण करता है। हमने यह भी सत्यापन किया है और पाया है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त कंपनी की निवल मालियत रु. ..... है। हम प्राधिकरण की जानकारी के लिए निवल मालियत की गणना भी इस प्रमाणपत्र के साथ संलग्न करते हैं।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इसी अवधि के संबंध में उक्त दलाली कंपनी में विदेशी ईक्विटी से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 में निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया गया है।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि उक्त दलाली कंपनी किसी अन्य व्यवसाय में लिप्त नहीं है और केवल बीमा दलाली के व्यवसाय का ही संचालन कर रही है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन है/कोई परिवर्तन नहीं है जिसके लिए उक्त कंपनी ने ऐसे परिवर्तन के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया है/ प्राप्त नहीं किया है

लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

मुहर सहित

दिनांक :

स्थान :

अनुबंध-VI-बी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 30 देखें)

(विनियम 12 के अंतर्गत अपेक्षित जमाराशि के अनुरक्षण के संबंध में दलाली कंपनी के लेखा-परीक्षकों द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र) जो छमाही तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए

बीमा दलाल का नाम :

लाइसेंस संख्या :

लाइसेंस की श्रेणी :

लाइसेंस की वैधता :

अवधि जिससे यह प्रमाणपत्र संबंधित है :

हम, मेसर्स ....., दलाली कंपनी मेसर्स .....जिनका पंजीकृत कार्यालय .....में है, के लेखा-परीक्षकों ने आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन किया है तथा हम यह प्रमाणित करते हैं और पुष्टि करते हैं कि उक्त दलाली कंपनी रु. .....की जमाराशि का अनुरक्षण करती है जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित न्यूनतम पूँजी का .....प्रतिशत है। हम नीचे इसका ब्योरा प्रस्तुत करते हैं :

1) बैंक का नाम और पता जहाँ जमाराशि का अनुरक्षण किया जाता है;
2) जमाराशि की तारीख और परिपक्वता की तारीख;
3) पुष्टि करें कि क्या यह सूचित करते हुए उक्त बैंक को नोटिस दी गई है तथा उक्त बैंक से उचित प्राप्ति-सूचना ली गई है, कि :
   क) उक्त जमाराशि का आईआरडीए के पास ग्रहणाधिकार (लियन) होगा;
   ख) जब तक प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की जाती, तब तक मीयादी जमाराशि उक्त दलाली कंपनी को अदा नहीं की जाएगी;
   ग) उक्त बीमा दलाल द्वारा कोई ऋण अथवा ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए इस जमाराशि को गिरवी नहीं रखा जाएगा

लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर
मुहर सहित

दिनांक :
स्थान :

अनुबंध-VI-सी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2013
(विनियम 30 देखें)

(विनियम 13 के अंतर्गत अपेक्षित व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमे के अनुरक्षण के संबंध में दलाली कंपनी के लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र) जो छमाही तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए

बीमा दलाल का नाम :

लाइसेंस संख्या :

लाइसेंस की श्रेणी :

लाइसेंस की वैधता :

हम, मेसर्स ....., दलाली कंपनी मेसर्स .....जिनका पंजीकृत कार्यालय .....में है, के लेखा-परीक्षकों ने आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन किया है तथा हम यह प्रमाणित करते हैं कि उक्त दलाली कंपनी ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के अंतर्गत अपेक्षित रूप में ....(बीमा कंपनी का नाम) से एक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी प्राप्त की है। इसका ब्योरा निम्नानुसार है।

1) बीमा कंपनी का नाम और पता;
2) पॉलिसी संख्या और पॉलिसी के प्रारंभ होने की तारीख;
3) पॉलिसी की समाप्ति की तारीख;
4) क्षतिपूर्ति की सीमा और वर्ष के दौरान प्राप्त कुल पारिश्रमिक;

5) अबीमाकृत आधिक्य;

6) एओए : एओवाई का अनुपात

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त दलाली कंपनी ने उक्त पॉलिसी के अंतर्गत दावे की कोई सूचना प्राप्त की है/प्राप्त नहीं की है तथा इसकी जानकारी लिखित में उक्त बीमा कंपनी, जिसने उक्त व्यावसायिक क्षतिपूर्ति (पीआई) पॉलिसी जारी की है, को दी गई है/नहीं दी गई है।

लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

मुहर सहित

दिनांक :

स्थान :

अनुबंध-VI-डी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 30 देखें)

(विनियम 25 के अंतर्गत दलाली कंपनी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में दलाली कंपनी के लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र) जो छमाही तौर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए

बीमा दलाल का नाम :

लाइसेंस संख्या :

लाइसेंस की श्रेणी :

लाइसेंस की वैधता :

अवधि जिससे यह प्रमाणपत्र संबंधित है :

हम, दलाली कंपनी मैसर्स .....जिनका पंजीकृत कार्यालय .....में है, के लेखा-परीक्षकों ने उनकी खाता-बहियों का सत्यापन किया है तथा हम यह प्रमाणित करते हैं कि उक्त दलाली कंपनी ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 25 तथा इस विषय में जारी किये गये परिपत्रों/विनियमों में निर्धारित पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

मुहर सहित

दिनांक :

स्थान :

अनुबंध-VI-ई

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 30 देखें)

(विनियम 27 के अंतर्गत अपेक्षित बीमा धनराशि के वियोजन के संबंध में दलाली कंपनी के लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र) जो छमाही तौर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए

बीमा दलाल का नाम :

लाइसेंस संख्या :

लाइसेंस की श्रेणी :

लाइसेंस की वैधता :

अवधि जिससे यह प्रमाणपत्र संबंधित है :

हम, दलाली कंपनी मैसर्स .....जिनका पंजीकृत कार्यालय .....में है, के लेखा-परीक्षकों ने उनके अभिलेखों का सत्यापन किया है तथा हम निम्नलिखित को प्रमाणित करते हैं और उसकी पुष्टि करते हैं।

1) कि विनियम ..... के अनुपालन में उक्त दलाली कंपनी ने .....बैंक के पास "बीमा बैंक खाता" खोल दिया है जिसका ब्योरा संलग्न है।
2) कि उक्त दलाली कंपनी ने उक्त बैंक को लिखित सूचना दी है तथा उक्त बैंक से लिखित पुष्टि प्राप्त की है कि उक्त दलाली कंपनी उक्त खाते को किसी भी अन्य खाते के साथ सम्मिलित करने अथवा उस खाते में स्थित धनराशि पर किसी समंजन, प्रभार या लियन के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं है।
3) कि उक्त बीमा बैंक खाता/खाते किसी भी अन्य खाते के साथ सम्मिलित नहीं किया गया है/किये गये हैं। उपर्युक्त खाते/खातों का उपयोग केवल उक्त विनियमों में बताये गये उद्देश्यों के लिए ही किया जाता है और सामान्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता।
4) कि उक्त दलाली कंपनी ने केवल उक्त बीमा बैंक खाते/खातों से अर्जित प्रभार, शुल्क अथवा कमीशन को ही निकाला है तथा अपने अन्य खातों में अंतरित किया है।
5) कि पुनर्बीमा संविदाओं के भाग के रूप में प्रत्यक्ष बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त धनराशियाँ उक्त बीमा बैंक खाते/खातों में रखी गई हैं तथा उपर्युक्त (4) में यथानिर्धारित अंतरणों को छोड़कर किसी भी अन्य खाते में इनका विपथन अथवा अंतरण नहीं किया गया है।
6) कि `बीमा बैंक खाते' में धारित धनराशियाँ मीयादी जमाराशियों में धारित नहीं हैं अथवा किसी भी अन्य लिखत में इनका निवेश नहीं किया गया है।

लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर
मुहर सहित

दिनांक :
स्थान :

अनुबंध-VII

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2013
(विनियम 10 देखें)

स्वामित्व के अंतरण के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किये जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों की सूची, जब अंतरण कुल चुकता पूँजी के 5 प्रतिशत से अधिक हो {जैसा कि दलालों के विनियम 10(1) में निर्दिष्ट किया गया है}

यदि प्रस्तावित खरीदार एक कारपोरेट संस्था हो :

1. शेयरधारिता में प्रस्तावित परिवर्तन का अनुमोदन करने वाले निदेशक बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. संलग्न फार्मेट के अनुसार तथा सीए/सीएस द्वारा विधिवत् प्रमाणित, प्रस्तावित शेयरधारिता के स्वरूप की एक प्रतिलिपि।
3. शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए अंतरिती के बोर्ड संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि।

4. शेयरों के अंतरण के लिए मौद्रिक प्रतिफल का विवरण।
5. अंतरिती की शेयरधारिता के स्वरूप की एक प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. एक पुष्टीकरण, यदि प्रस्तावित शेयरधारकों में से कोई भी एक विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) अथवा विदेशी राष्ट्रिक हो।
7. एक पुष्टीकरण, यदि दलाली कंपनी का कोई भी वर्तमान निदेशक पहले से ही अंतरिती के साथ संबद्ध हो।
8. पिछले तीन वर्षों के लिए अंतरिती के लेखा-परीक्षित खाते, आयकर (आईटी) विवरणियों की प्रमाणित प्रतियों के साथ।
9. लेखा-परीक्षकों से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र कि अंतरिती एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) नहीं है, यदि लागू हो। इन शेयरों के अधिग्रहण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी), यदि अंतरिती एक गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) हो।
10. अंतरिती की सहयोगी कंपनियों/संस्थाओं की विस्तृत सूची और उनके कार्यकलापों का विस्तृत विवरण।
11. बीमा दलाल की शेयर पूँजी की पुनर्संरचना के लिए तर्काधार (रेशनेल)।
12. अंतरिती से प्राप्त एक वचनपत्र कि आवेदक कंपनी का कोई भी निदेशक और मुख्य प्रबंध कार्मिक किसी/किन्हीं अन्य बीमा संबंधी संस्था(ओं) में कोई भी निदेशन/रोजगार धारण नहीं कर रहा है।
13. आपकी कंपनी में किसी अन्य प्रस्तावित परिवर्तन का विवरण।
14. कोई भी अन्य दस्तावेज, यदि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो।

<u>यदि खरीदार एक व्यक्ति हो</u> :

1. संलग्न फार्मेट के अनुसार और सीए/सीएस द्वारा विधिवत् प्रमाणित, प्रस्तावित शेयरधारिता के स्वरूप की एक प्रतिलिपि।
2. अंतरिती की निवल मालियत (नेट वर्थ) का प्रमाण-पत्र और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए आयकर विवरणियाँ।
3. शेयरों के अंतरण के लिए मौद्रिक प्रतिफल का विवरण।
4. शेयरधारिता में प्रस्तावित परिवर्तन का अनुमोदन करने वाले निदेशक बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. अंतरिती/अंतरितियों द्वारा कंपनी में निवेश की जाने वाली निधियों के स्रोत के लिए विधिवत् नोटरीकृत शपथपत्र (एफिडविट)।
6. कोई भी अन्य दस्तावेज, यदि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो।

शेयरधारिता के स्वरूप का फार्मेट

क्रम संख्या	शेयरधारक का नाम	शेयरों के अंतरण से पहले (1)		शेयरों के अंतरण के बाद (2)		टिप्पणी
		धारित शेयरों की संख्या	चुकता शेयर पूँजी का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	धारित चुकता शेयर पूँजी का प्रतिशत	

टिप्पणी :

1. यदि वर्तमान शेयरधारिता का स्वरूप पंजीकरण/पिछले नवीकरण (जो भी बाद में हो) के समय विद्यमान शेयरधारिता के समान नहीं है, तो इसका विवरण भी दिया जाना चाहिए।
2. उन शेयरधारकों के नाम जो 5 प्रतिशत से अधिक धारित नहीं करते/जिन्होंने 5 प्रतिशत से अधिक कभी धारित नहीं किया है, 'अन्य' में दर्शाये जाने चाहिए, जब तक वे प्रवर्तक शेयरधारकों के साथ संबद्ध अथवा उनका भाग न हों।

अनुबंध-VIII

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 46 देखें)

दलाली कंपनी द्वारा लाइसेंस के स्वैच्छिक अभ्यर्पण के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की सूची

क) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदन करने की तारीख की स्थिति के अनुसार सभी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

ख) लाइसेंस के अभ्यर्पण के लिए कारण दर्ज करनेवाले निदेशक बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि।

ग) प्रधान अधिकारी से इस बात का पुष्टीकरण कि लाइसेंस के अभ्यर्पण के लिए अनुरोध करने की तारीख से कोई भी नया व्यवसाय स्थापित नहीं किया जाएगा।

घ) वैध लाइसेंस का मूल प्रमाणपत्र।

ङ) कंपनी के निदेशकों का एक वचनपत्र कि जिन वर्तमान ग्राहकों की पॉलिसियाँ प्रचलित हैं, उन्हें छह महीने की अवधि के लिए सेवाएँ प्रदान की जाएँगी तथा इस अवधि के अंदर विनियम 48 के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार किसी अन्य लाइसेंस-प्राप्त दलाल द्वारा संविदाओं के संबंध में आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के लिए आपके द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

च) संस्था के बहिर्नियमों (एमओए)/संस्था के अंतर्नियमों (एओए) के मुख्य उद्देश्यों को हटाने के लिए अधिसूचित करना तथा कंपनियों के रजिस्ट्रार को सूचित करना और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उनकी अपेक्षाओं का पालन करना अथवा कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास कंपनी को पंजी से निकालने के लिए की गई कार्रवाई का प्रमाण प्रस्तुत करना।

छ) संलग्न फार्मेट के अनुसार पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए दावों एवं व्यवसाय प्रीमियम संबंधी सांख्यिकी प्रस्तुत करना।

ज) ऐसी प्रत्येक घटना का ब्योरा जो कंपनी की जानकारी में आई हो जहाँ आपकी कंपनी ग्राहकों को हर्जाना अथवा क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए बाध्य हो सकती हो, चाहे वह व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी द्वारा रक्षित हो या न हो, निम्नलिखित सूचना देते हुए प्रस्तुत करना :

i) घटना के होने की तारीख।
ii) संबंधित ग्राहक का नाम।
iii) दावा उत्पन्न करने की संभावना वाली घटना का स्वरूप।
iv) दावे के आधार का संक्षिप्त विवरण।
v) दावे की सूचित अथवा अनुमानित राशि।
vi) दावे के लिए अपनी बहियों में बीमा दलाल द्वारा प्रावधान की गई राशि।
vii) दावे की वर्तमान स्थिति।

झ) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।

प्रीमियम संबंधी सांख्यिकी

व्यवसाय का सामान्य वर्गीकरण

माह							विविध (मिसिलेनियस)		
	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	मोटर	इंजीनि-यरिंग	पीए	स्वास्थ्य	अन्य	कुल
अप्रैल									
मई									
जून									
जुलाई									
अगस्त									
सितंबर									
अक्तूबर									
नवंबर									
दिसंबर									
जनवरी									
फरवरी									
मार्च									
कुल									

व्यवसाय का जीवन संबंधी वर्गीकरण

माह	असंबद्ध	संबद्ध	वार्षिकी	समूह	स्वास्थ्य	कुल
अप्रैल						
मई						
जून						
जुलाई						
अगस्त						
सितंबर						
अक्तूबर						
नवंबर						
दिसंबर						
जनवरी						
फरवरी						
मार्च						
कुल						

<u>दावों से संबंधित सांख्यिकी</u>